

राजस्थान सरकार

जिला आपदा प्रबन्धन योजना 2026
जिला चूरु

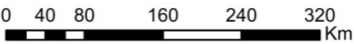
अभिषेक सुराणा, **IAS**
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु

अर्पिता सोनी **RAS**
अति. जिला कलक्टर, चूरु

—: विषयानुक्रमणिका :—

क्र.सं.	विषय विवरण	पृष्ठ संख्या
1	अध्याय 1 परिचय	4–6
2	अध्याय 2 जोखिम संवेदनशीलता, क्षमता एवं जोखिम आंकलन	7–19
3	अध्याय 3 संस्थागत व्यवस्थाएं	20–35
4	अध्याय 4 रोकथाम और शमन उपाय	36–39
5	अध्याय 5 तैयारी उपाय	40–81
6	अध्याय 6 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	82–83
7	अध्याय 7 प्रतिक्रिया एवं राहत	84–85
8	अध्याय 8 पुनः निर्माण, पुनर्वास और रिकवरी उपाय	86–101
9	अध्याय 9 डी.डी.एम.पी. क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन	102–104
10	अध्याय 10 डीडीएमपी के अद्यतन और रख रखाव के लिए निगरानी मूल्यांकन एवं कार्यप्रणाली	105–106
11	अध्याय 11 डी.डी.एम.पी. क्रियान्वयन के लिए समन्वय तन्त्र	107
12	अध्याय 12 मानव क्रियान्वयन/संचालन प्रक्रिया एवं चैकलिस्ट	108–111
13	आपदा आंकलन प्रपत्र	112
14	Churu District Pollution Plan	113–119
15	जिले में एसडीआरएफ मद से उपलब्ध संसाधनों की सूची	120
16	जिले के अधिकारियों की दूरभाष सूची	121–128

Key Map Churu District



अध्याय – 1

परिचय

1.1. कार्य योजना की आवश्यकता :-

घटनाएँ चाहे प्राकृतिक हो या मानव जनित अचानक या मंद, पृथ्वी के अन्दर से या वायुमण्डल से उत्पन्न हो पृथ्वी पर मानव सहित जन्तुओं एवं वनस्पतियों पर व्यापक दुष्प्रभाव डालती है तथा विनाश एवं मानसिक तनाव उत्पन्न करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रकोप प्रभावी रूप से क्षतिकारक भौतिक घटना या मानव क्रिया है जिसके द्वारा मानव जीवन को क्षति हो सकती है सम्पत्ति की भी क्षति हो सकती है, सामाजिक एवं आर्थिक विध्वंश हो जाता है या पर्यावरण में अनवयन हो जाता है।

सभी प्रकार की चरम घटनाएँ प्रकोप होती हैं परन्तु सभी प्रकोप आपदा नहीं होते हैं कोई भी प्रकोप उसे समय आपदा होता है जब वह मानव आवासित क्षेत्रों में आता है तथा विनाश का कारण बनता है यहां ध्यान देने वाली प्रमुख बात यह है कि आपदाओं को हमेशा मनुष्य के संदर्भ में देखा जाता है, अर्थात् आपदाओं को हमेशा मनुष्य के संदर्भ में देखा जाता है, अर्थात् आपदाओं का आकलन मानव जीवन एवं सम्पत्ति को होने वाली क्षति के संदर्भ में देखा जाता है।

आपदा प्रबंधन विभिन्न प्रकार की आपदाओं का विश्लेषण कर उनके बचाव दुर्घटना के होने वाले प्रभाव को कम करने एवं दुर्घटना घटित हो जाने पर खतरे के प्रभाव को कम कर जान माल की क्षति से भली प्रकार निपटने के लिए पूर्व तैयारी करने हेतु चूरु जिले के उपखण्ड वार आपदा प्रबंधन की कार्य योजना तैयार की जा रही हैं। यह आपदा प्रबंधन योजना समग्र जिले के लिये के रूप में तैयार की गई है।

1.2. कार्य योजना के उद्देश्य :-

- 1-जिले में विभिन्न आपदाओं के दुष्प्रभावों का विश्लेषण कर पूर्व तैयारी अनुसार जान माल की क्षति को कम करना।
- 2-समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढ़ाना।
- 3-आपदा नियंत्रण में मूलभूत संसाधन के स्तर का पता लगाकर कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखना।
- 4-आपदा न्यूनीकरण (mitigation) के विभिन्न पहलुओं का क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विकास योजना में समावेश करना।
- 5-राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।
- 6-संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा के आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है और किसी अन्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है को बिल्कुल नकार दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति आवश्यक है। जिसके कार्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- (क) प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम में पूर्व योजना तैयार करना।
- (ख) भागीदारी विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- (ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
- (घ) उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
- (ङ) स्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।
- (च) सभी सहायता कार्यों में पारम्परिक समन्वय बनाना।
- (छ) राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया कक्ष से सहायता के लिये समन्वय स्थापित करना।

1.1 विकास और आपदा :-

इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाएँ उसके नियंत्रण में नहीं हैं वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। 1999 में उड़ीसा में आये तूफान तथा 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश के उदाहरण हैं।

1.2 बहु-आपदा अनुक्रिया योजना :-

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएँ, आंगजनी, सड़क दुर्घटनाएँ, रेल व वायुयान दुर्घटनाएँ इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पिछले 50 वर्षों (1950-2000) में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 44 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965-69, 1979-82, 1984-87, 1991-92 व 1999-2000 में रहा है। पिछले दो दशकों में मात्र 1983-84, 1992-93, 1995-96 व 1997-98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी-कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियंत्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएँ हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन, एवं पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाँचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

1.3 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य :-

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न हैं :-

1. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
2. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
3. आपदा न्यूनीकरण (mitigation) के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
4. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
5. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
6. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं :-

1. प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standardisation) करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोंतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

1.4 नीतिगत कथन :-

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धि विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुण्करणसर में बाढ़ तथा पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

प्लान का उपयोग :-

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सेक्शन 31 के अनुसार सभी जिलों को जिला आपदा प्रबन्धन प्लान बनाना अनिवार्य है। ताकि आपदा के समय मानव जीवन एवं सम्पत्ति को बचाया जा सके। आपातकाल की स्थिति में जिला कलक्टर को निरीक्षण/पर्यवेक्षण का पूर्ण अधिकार होगा।

- जिला कलक्टर जिले में उपलब्ध संसाधनों का समन्वय करेंगे।
- आपातकाल में जनता को क्या निर्देश दिये जाने हैं, इसके लिए जिला कलक्टर किसी अधिकारी को मिडिया प्रवक्ता के रूप में नियुक्त करेंगे।
- जिले के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को आपदा प्रबन्धन के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- जिला प्राधिकरण स्थिति को सामान्य बनाने के लिए (जिला आपातकालिन अभियान केन्द्र) की स्थापना करेंगे एवं इसका संचालन सुनिश्चित करेंगे।
- (DEOC) जिले एवं राज्य के बीच समन्वय का कार्य करेंगे तथा आपात स्थिति का आकलन एवं प्लान के अनुसार एक्शन लेंगे।
- जिला स्तर के सभी अधिकारी आपस में ताल मेल एवं समन्वय से आपातकाल में इस प्लान के अनुसार तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

कमेटी के वर्तमान सदस्य निम्न प्रकार से हैं:-

- जिला कलक्टर – सदस्य
 - अतिरिक्त जिला कलक्टर – सदस्य सचिव
 - जिला पुलिस अधीक्षक – सदस्य
 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सदस्य
 - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – सदस्य
- दो अन्य जिला स्तरीय अधिकारी
- अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चूरू
 - अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चूरू

स्टेकहोल्डर एवं उसकी जिम्मेदारी :-

जिला स्तर के सभी अधिकारी के सबसे महत्वपूर्ण होगी कि इस प्लान में दिये गये कार्यों एवं कर्तव्यों को निर्वहन जिस भी अधिकारी एवं कर्मचारी को दिया गया है, व पूर्ण मुस्तैदी से अक्षरः इसका पालन करें। इसके अलावा प्लान में शामिल चूने हुए जनप्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिकगण आदि भी इस प्लान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन तुरन्त करें।

प्लान समीक्षा एवं अद्यतनीकरण अवधि :-

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना की समीक्षा वर्ष में एक बार की जावेगी। प्रतिवर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में प्लान की समीक्षा की अंतिम रूप दिया जायेगा। जिसमें जिले यदि कोई आपदा घटित हुई है तो उसका आकलन, कमी, सुझाव, प्रशिक्षण आदि का समावेश किया जायेगा। इसके अलावा अधिकारियों एवं कर्मचारियों, आपूर्तिकता, सामाजिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता आदि के सम्पर्क सूत्रों का अद्यतनीकरण भी किया जायेगा।

अध्याय – 2

जोखिम संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन (HVCRA)

1. भौगोलिक स्थिति :-

चूरु जिला राजस्थान के उत्तर-पूर्व में समुद्र तल से 286.207 मीटर ऊंचाई पर 27°24' से 29°0' तक उत्तरी अक्षांश और 73°40' से 75°41' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में गंगानगर, पूर्व में चूरु, दक्षिण में नागौर व पश्चिम में बीकानेर जिलों की सीमाएं लगी हुई हैं। चूरु जिला मुख्यालय रेल से एक तरफ जयपुर, दिल्ली, मुम्बई, हिसार, जम्मू-बीकानेर, गंगानगर आदि से जुड़ा हुआ है। यह उत्तर रेलवे की ब्रॉडगेज लाइन पर स्थित है। जिले के सभी महत्वपूर्ण नगरीय केन्द्र बस मार्गों से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 जिले से होकर निकलता है। (आरेख सं. 01) चूरु जिला थार मरुस्थल का भाग है तथा जिले में 6 से 30 मीटर की ऊंचाई वाले रेतीले टीले उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित हैं। जिले की सामान्य ऊंचाई समुद्री सतह से करीब 400 मीटर है। जिले में कोई भी नदी या जलधारा ऐसी नहीं है जो वर्ष भर बहती हो। कांतली नदी जो सीकर जिले के खण्डेला की पहाड़ियों से निकलती है इस जिले की सीमा में जाकर मरुभूमि में विलीन हो जाती है। जिले में चारों तरफ बालू रेत की अधिकता है। कई बार जो जुते हुए खेतों और पक्की सड़कों पर भी रेत की पतें चढ़ जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से जिले को तीन भागों में बांटा जा सकता है:

1. **रेगिस्तान क्षेत्र** : इसमें सरदारशहर, चूरु और रतनगढ़ तहसीलों के अधिकतम भाग सम्मिलित हैं।
2. **मत्तियार के मैदान** : इसमें राजगढ़ व तारानगर तहसीलें एवं चूरु तहसील का कुछ क्षेत्र सम्मिलित है।
3. **ताल क्षेत्र** : सुजानगढ़ तहसील व रतनगढ़ तहसील का कुछ क्षेत्र।

भू-विज्ञान :-

भू-विज्ञान की दृष्टि से यह जिला अत्यन्त पिछड़ा कहा सकता है। दिल्ली की उच्च स्तरीय चट्टानें जिनका प्रतिनिधित्व फिलाइट, स्लेट, क्वार्ट्जाइट से ढकी अजबगढ़ वर्ग की चट्टानों ने किया है जो डूंगरास, गोपालपुरा, चल्लू और बीरमसर के आसपास स्पष्ट दिखाई देती हैं। बाद वाली मलानी समूह को देशी चट्टानों का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से आसपास के चारों ओर के चट्टानी क्षेत्रों से होता है, जिसमें रम्बोलाइट चट्टान शामिल है। इसमें ज्वालामुखी समूह वाली कुछ चट्टानें रणधीसर पहाड़ी और लोडसर की दक्षिणी पहाड़ी तक दृष्टिगत होती हैं। खनिजों की उपलब्धता चूरु में बहुत कम है। दरीबा और बीरमसर स्थित तांबे के भण्डारों के विकास की सम्भावनाएं हैं। जिप्सम युक्त भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ें तख्तगढ़ के आसपास दिखाई पड़ते हैं, और बीन भलान, भनीन देवगढ़ियां और सेथोन आदि स्थानों पर भी इसकी उपलब्धता होने की आशा है। लाखासार में 553 मीटर की खुदाई पर हेलाइट प्राप्त होने की आशा है जबकि साल्टपीटर के एप्लोरेसेन्स (पोटेशियम नाइट्रेट) राजगढ़ तहसील के कुछ स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। इस जिले के अधिकांश भाग का भू-जल खारा है।

भूमि का स्वरूप :-

चूरु जिले का धरातल सामान्यतः लहरदार एवं टिबायुक्त है, जो औसत समुद्र तल से 286.207 मीटर की ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र में रणधीसर, बीरमसर, गोपालपुरा चाड़वास कोडसर, चरला, लोडसर एवं डूंगरास के अतिरिक्त कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। पहाड़ियां अरावली पर्वत माला की श्रेणियां हैं जो उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम को जाती हैं। इस क्षेत्र में कोई पठार भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर भाग में स्थाई एवं अर्द्धस्थायी रेतीले टिब्बों वाला क्षेत्र है। कहीं-कहीं टिब्बों के बीच का क्षेत्र समतल एवं ताल भी है। यह राजस्थान का एक मात्र जिला है जिसमें कोई बरसाती अथवा स्थायी नदी नहीं बहती है। भूमि का ढाल अस्पष्ट है। कई वर्ष पूर्व गोपालपुरा चाड़वास की पहाड़ियों का पानी बहकर उत्तर पूर्वी दिशा में चलकर कृष्ण मृग अभ्यारण्य ताल छापर में आकर रुकने के प्रमाण हैं, जो पहाड़ी से अभ्यारण्य तक बने नाले एवं अभ्यारण्य की कठोर चिकनी मिट्टी से बने समतल ताल से स्पष्ट होता है।

भूविज्ञान, चट्टानें, मृदा एवं खनिज सम्पदा का विवरण :

भूविज्ञान :-जुरासिक, क्रेटेशियस एवं इयोसीन काल में यह सम्पूर्ण क्षेत्र समुद्र था। लेकिन इस क्षेत्र के सूखना प्रारम्भ होने का समय अभी तक खोज का विषय है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के अनुसार इस क्षेत्र के सूखने का सिलसिला प्लास्टोसीन युग के बाद शुरू हुआ। जुरासिक काल की चट्टानें, जो लाइमस्टोन की बनी हैं, इस क्षेत्र में पाई जाती हैं तथा मुख्यतः सुजानगढ़ तहसील में इसके भण्डार हैं। इयोसीन युग का पुख्ता सबूत यहां पाये जाने वाले हरे रंग के लाइमस्टोन का पाया जाना है। इस लाइमस्टोन में पाये गये जीवाश्म खेजड़ी एवं इसके सहयोगी वृक्षों के हैं।

आर्थिक मूल्यवान चट्टानें :

इस क्षेत्र में रणधीसर, बीरमसर, गोपालपुरा, चाड़वास, कोडसर, चरला, लोडसर एवं डूंगरास के पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण जिले में भूमि रेतीली एवं टिब्बा युक्त है। आर्थिक मूल्यवान चट्टानों की इस कार्ययोजना क्षेत्र में बनी है।

ग्रेनाइट : सुजानगढ़ तहसील के श्यानण एवं राजगढ़ तहसील के रेजड़ी नामक स्थान पर घूसर रंग (राख के रंग) की ग्रेनाइट की चट्टानें भूमि से बाहर दृष्टिगोचर होती हैं। इसका अभी विदोहन प्रारम्भ नहीं किया गया है। ग्राम श्यानण में प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्यानण माता मन्दिर की छोटी पहाड़ी में जमीन से बाहर निकली हुई ग्रेनाइट पत्थर की बड़ी-बड़ी

चट्टानें हैं, जिनकी ऊंचाई एवं चौड़ाई करीब 8–10 मीटर तक है। उपरोक्त समस्त पहाड़ियां लगभग नंगी एवं वृक्ष विहीन हैं।

मार्बल पत्थर : सुजानगढ़ तहसील के ग्राम डूकर के आस-पास के ग्रामों में भूमि के अन्दर 10–15 फीट गहराई से हरे रंग का मार्बल पत्थर पिछले 5–6 वर्षों से विदोहन किया जाने लगा है। इस मार्बल की विशेषता यह है कि यह पानी का अवशोषण करता है, इसलिये विदेशों में वातानुकूलित मकानों के लिये अत्यधिक किया जाता है।

सैण्ड स्टोन : सुजानगढ़ तहसील के बीदासर कस्बे की रोही में भारी मात्रा में सैण्ड पत्थर निकलता है। इसके अतिरिक्त इसी तहसील के गांव चाड़वास, रणधीसर, गोपालपुरा, बालेरा, चरला आदि एवं रजनगढ़ की पहाड़ियों से सैण्ड पत्थर निकलता है, जो सड़क निर्माण के लिये कच्चा माल है एवं क्रेशर से बनायी जाती है। ये पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला की श्रेणियां हैं।

बीदासर का सैण्ड स्टोन भवन निर्माण के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इसमें सुजानगढ़ तहसील में आने वाली पहाड़ियां रणधीसर, चाड़वास, गोपालपुरा, लोढ़ासर, चरला, लोढ़सर, डूंगरास आदि गांवों की हैं, जिनमें रोड़ा पत्थर निकलता है जो सड़क निर्माण के काम में आता है। इसी तहसील के ग्राम मानपुरा, बीसासर तथा इनके आस-पास जमीन में से लाल रंग का सैण्ड स्टोन निकलता है, जो भवन निर्माण में उपयोग होता है और यहां से रतनगढ़ तहसील के ग्रामों तक सप्लाई होता है।

मिट्टी :-

चूरु बालूमय एवं शुष्क मरुस्थलीय भाग के अन्तर्गत आता है। बालू के वृहत् फैलाव और रेतीली समतल भूमि से लेकर विभिन्न आकार एवं ऊंचाई के रेतीले टीले इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहां पर मुख्य रूप से बलुई मिट्टी पायी जाती है। मृदा की रासायनिक अभिक्रिया क्षारीय होती है। कई स्थानों पर इन मृदाओं में लवण भी इकट्ठे पाये जाते हैं। गहराई में बहुत से स्थानों पर चूने की मात्रा भी देखने को मिलती है। क्षेत्र की मृदाओं की जनधारण क्षमता बहुत कम होने से भी वनस्पति का आवरण कम पाया जाता है। मिट्टी वातावरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से धरातल के सभी प्राणियों एवं पेड़-पौधों के जीवन का आधार है। स्थलीय भागों की सभी वनस्पतियों का जन्म मिट्टी से होता है, चाहे वह वनस्पति कृषि के रूप में हो अथवा प्राकृतिक रूप में। मनुष्य के लिए तीन आर्थिक कार्य महत्वपूर्ण हैं, कृषि, पशुपालन एवं उद्योग और ये सभी कार्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर आधारित होते हैं। मिट्टी सतही चट्टानों पर आवरण के रूप में असंगठित पदार्थ है। यह खनिज तथा जैव पदार्थों के सम्मिश्रण से बनती है। अमेरिकी विद्वान डॉ. बर्नेट के अनुसार, “मिट्टी भू-पृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है, जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है।” अर्थात् मिट्टी, खनिज तथा जैव तत्वों का गत्यात्मक सम्मिश्रण है जिसमें वनस्पति एवं पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मिट्टी में तीन प्रमुख घटक होते हैं- खनिज, जैव पदार्थ तथा जलवायु। परन्तु चूरु जिले में ये तीनों घटक ही कम हैं।

यहां प्रायः वनस्पति का अभाव पाया जाता है और वायु का कार्य भी अधिक प्रभावकारी है। यहां की मिट्टी में जैविक कारकों का अभाव पाया जाता है। अधिकांश मिट्टी बालुकामय है। सामान्यतः रेगिस्तानी प्रदेशों की यह विशेषता है कि वहां बहुत कम वनस्पति होती है। इस भाग में वनस्पति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। वनस्पति के नाम पर यहां मात्र कंटीली झाड़ियां तथा घासें उगा करती हैं, अतः बहुत कम कार्बनिक पदार्थ ही मिट्टी को प्राप्त हो पाते हैं। इस प्रदेश की मिट्टी का पार्श्वचित्र भी अधिक विकसित नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण घुलनशील पदार्थ पानी के साथ घुलकर धरातल के नीचे नहीं जा पाते हैं इस कारण ये सभी पदार्थ मिट्टी की ऊपरी सतह पर रहते हैं, इनमें मुख्यतः लवण तथा खनिज विशेष रूप से चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहीं-कहीं इन खनिजों की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वे सतह पर पपड़ी के रूप में जम जाते हैं। मिट्टी के पंखेनुमा निक्षेपणों पर अधिकतर कठोर परत देखने को मिलती है। यह प्रक्रिया मिट्टी के विकास हेतु सहायक नहीं है।

इस क्षेत्र के राजगढ़, तारानगर, चूरु, सरदारशहर एवं रतनगढ़ तहसीलों में मुख्यतः बालू व बलुई दुमट मिट्टी पायी जाती है तथा कहीं-कहीं ताल क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी पायी जाती है। इन मृदाओं का पीएच मान 7.2 से 9.2 होता है। मृदा की समान्यतया गहराई 50 से 400 सेमी तक है। जिसके नीचे जिप्सम का भण्डार है। कृष्ण मृग अभयारण्य तालछापर के आस-पास क्षारीय मृदा पायी जाती है। इस वन मण्डल की रेंज राजगढ़ तथा तारानगर की मृदा महीन होने के कारण नमी संरक्षित होती है, जिसमें रबी के दौरान चने एवं सरसों की अच्छी बारानी फसल होती है। सुजानगढ़, रतनगढ़ एवं सरदारशहर तहसीलों की मृदा मोटे कणयुक्त होने एवं नमी का अभाव होने से अल्प उपजाऊ टिब्बा युक्त भूमि वायु क्षरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है।

कृष्ण मृग अभयारण्य ताल छापर :-

चूरु जिले की उबड़-खाबड़ एवं उड़ते हुए टिब्बे युक्त भूमि के विपरीत ताल छापर अभयारण्य कठोर चिकनी मृदा युक्त समतल ताल है। ताल की कठोरता गोपालपुरा-चाड़वास की पहाड़ियों से बहकर आने वाले वर्षा के पानी द्वारा लाई गई सिल्ट के कारण बनी है। इस ताल की भूमि अत्यधिक लवणीय है, जिसमें कुछ जगहों पर उद्योग विभाग द्वारा नमक के प्लांट आवंटित किये गये हैं, जिनमें नमक का उत्पादन किया जाता है। अधिकांश नमक पंजाब प्रान्त को भेजा जाता है। अभयारण्य की मृदा बहुत बारीक कणों से बनी चिकनी मिट्टी है, जिसका पानी से अत्यधिक मात्रा में कटाव होता है। कठोर परत के कारण वर्षा के दौरान भी यह मिट्टी एक इंच से नीचे गीली नहीं होती है। यही कारण है

कि इस ताल क्षेत्र में प्राकृतिक वृक्ष प्रजाति का पूर्ण अभाव है। अभ्यारण्य में सिर्फ तालाब अथवा खड्डों में भरने वाले पानी के पास ही वृक्ष पनपते हैं।

इस क्षेत्र में तेज हवा बालू रेत, व मिट्टी के कण उड़ा ले जाकर टिब्बा निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। हवाई सर्वेक्षण, फोटोग्राफी तथा अन्य प्रमाणों से इन टिब्बों का अध्ययन करने पर इन्हें तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है –

1. साधारण टिब्बा
2. संयुक्त टिब्बा
3. जटिल टिब्बा

जटिल टिब्बों में दो या दो से अधिक प्रकार के टिब्बों का विभिन्न दिशाओं में चलने वाली हवाओं के द्वारा निर्माण होता है।

वनस्पति एवं जीव-जन्तु :-

भारत के पश्चिम में फैला थार का विशाल मरुस्थल युग-युगान्तर पूर्व कभी हिमालय की पर्वत-श्रृंखलाओं की भांति जलवायु सुन्दर वनस्पति एवं सघन वन-प्रदेश और सरस्वती नदी की बहती जलधारा से युक्त था। थार मरुस्थल में हिमालयीयन पदार्थों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे प्रकट होता है कि वहां कभी शीतल जलवायु अवश्य रही होगी। जैसलमेर के निकट ऐसे जीवाश्म प्राप्त हो रहे हैं, जो नारियल वृक्षों, फर्नी ट्री, लम्बे-लम्बे समुद्री जलवायु वाले जीवों तथा वृक्ष-वनस्पति के यहां विद्यमान होने की कहानी स्वयं सुनाते हैं। पहले इस भाग में आर्द्र जलवायु तथा वनस्पति थी। यहां के निवासियों ने बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटा, जिसके परिणामस्वरूप इस भाग पर शनैः-शनैः शुष्क वातावरण हो गया (मिश्रा 1967)। प्राकृतिक वनस्पति अथवा वन किसी भी प्रदेश के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। वनों से केवल आर्थिक लाभ ही नहीं अपितु अन्य भी कई लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए वन वर्षा लाने तथा भूमिगत जल-स्तर को ऊंचा रखने में सहायक होते हैं। साथ ही वे भूमि के कटाव को रोकते हैं तथा बाढ़ को नियन्त्रित करने में सहायता करते हैं। इनसे वातावरण की शुष्कता भी कम होती है।

इस जिले में प्राप्त महत्वपूर्ण पेड़ों में अकेसिया निलोटिका (कीकर), अजाडिचटा इन्डीफा (नीम), बेलनाइटस रोक्स बर्घी (हिन्गोटा), केपेरिस ऐफाइला (केर), डालबेरगिआ सिसू (शीशम), प्रोसोपिस स्पाईसीगेरा (खेजड़ा), साल्वाडोरा ओलिडस (जाल-पील), साल्वाडोरा पूरसिका (जाल-खेड़ा) और टेकोमेला उन्डूलता (रोहीरा) शामिल हैं। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय झाड़ियां एरना टोमन्टोसा (रुई), एजमोने मेक्सीकाना (कुट कर्तालिया), कैलीगोनम पोली गोनोंडस (फोग), कैलोट्रोपिस प्रोसेरा (आक), क्रोटालेरिया बुरहिया (सेनिया), यूफोरिबा रायलीना (थोर), लैप्टाडेनिआ स्पार्टिअम (खीप), लाईसिअम यूरोपोसिअम (मोरली) और जीजीप्स मोरीटोअना (बेर) हैं। कई प्रकार का घास भी इस क्षेत्र में प्राप्त होती है, जिनके नाम सेंचर्स केथार्टिक्स (भूरत), लेसीउरुस सीन्डीकस (सेवान), सिम्बोपोगोन ज्वारीनकुसा (बुरा), एरीस्टीज मुटिका (लेम्परा), सेक्वारम ग्रीपफीथी (कुचा) और पेनीकम टर्गीडम (मुरत) हैं।

लोमड़ी (बुलपास ल्यूकोपस), जंगली खरगोश (लेपरी रूफी कनडेटस), सियार (केनिस आरिसस), पोर्क्यूपाइन (हिस्ट्राईज क्रीस्टाटा इन्डीका), चमगादड़ (मेगालडरमालीरा) और फीनो पोमा (हार्डवीची) और जंगली चूहे (जर्वील) इस जिले में सामान्यतः पाये जाने वाले जानवर हैं। साधारणतया इस जिले में पाये जाने वाले पक्षी बुलबुल (माल्पेटोस्काफर), उल्लू (बुबोबुओं), चील (मिल्वस माईग्रन्स), कबूतर (कोलम्बा लिबिया), सेण्डग्यूज (टोरोडस एक्सक्टस), ग्रे पेट्रिज (फ्रेकोलाईनस पोन्डी सेरिनस), गोडावन या गुराहू (ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड) हैं।

तालछापर में काले हिरनों का अभ्यारण्य है। यहां जंगल के नाम पर केवल घास ही घास है। पानी की उपलब्धता न होना ही जंगल के विकास सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य बाधा है। वन विभाग द्वारा जिले की बंजर भूमि का वनीकरण किया जा रहा है। किन्तु वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत लगाए गए पौधे पानी की कमी के कारण सूख जाते हैं। कुल 102.185 वर्ग कि.मी. वनों में से 7.22 वर्ग कि.मी. वन सुरक्षित वन हैं जबकि संरक्षित वन 31.70 वर्ग कि.मी. में हैं शेष 63.265 वर्ग कि.मी. वनों को अवर्गीकृत वन कह सकते हैं।

वनों के अत्यधिक महत्व के कारण ही राष्ट्रीय वन नीति का निर्धारण किया गया है। इस नीति के अनुसार देश के क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए पर राजस्थान इस दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। राजस्थान भारत का मात्र 10.7 प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है जबकि केवल 5 प्रतिशत वन क्षेत्र है। चूरु जिला इस प्रतिशत में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 0.42 प्रतिशत भाग पर ही वन पाये जाते हैं। क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों ने यहां के वनों को विशेष तौर पर प्रभावित किया है। साथ ही यहां की आर्थिक स्थिति एवं मानव-जीवन ने भी वनस्पति को प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नांकित हैं—

जलवायु : किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति पर वहां की वर्षा एवं तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में तो वर्ष में वर्षा की औसत मात्रा 25 सेमी. से भी कम है। अतः इतनी कम वर्षा की मात्रा में सभी प्रकार की वनस्पति पनप पाना सम्भव नहीं हो पाता। कुछ मरुस्थलीय झाड़ियां ही उग पाती हैं। इस कारण सघन वन होना सम्भव नहीं हो पाता है।

धरातल : मिट्टी व धरातल भी प्राकृतिक दृष्टि से वनस्पति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। जिस प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी तथा अपेक्षाकृत समतल धरातल होंगे, वहां वनस्पति आसानी से पनप जायेगी। राजस्थान के पूर्वी भाग में नदियों द्वारा बनाए गए मैदान एवं पठारी क्षेत्र हैं जहां वातावरण की अनुकूल दशाओं ने इस क्षेत्र को प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध बनाने में सहायता प्रदान की है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में जगह-जगह बालू के जमाव हैं, पर बालू भी वहां

स्थिर नहीं रहती। गर्मी के मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह उड़ती रहती है। इन प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं के कारण ही इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का लगभग अभाव पाया जाता है।

जैविक कारक : जैविक कारक से तात्पर्य मनुष्य तथा पशुओं के क्रियाकलापों से है। राजस्थान में जैविक कारकों से न केवल वन-सम्पदा ही घटी है बल्कि पश्चिम का मरुस्थल भी इसी का परिणाम है। विद्वानों की मान्यता है कि भारतीय मरुस्थल कभी आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश था। मानव ने यहां के वनों का सफाया कर दिया। वनों के विनाश के परिणामस्वरूप यहां शुष्क वातावरण का विकास हुआ। अविवेकपूर्ण पशु चराई ने भी वनों को बहुत हानि पहुंचाई।

क्षेत्र में वनों के प्रकार :-

क्षेत्र में वनों का वर्गीकरण परम्परागत ढंग से नहीं किया जा सकता क्योंकि वनों के वर्गीकरण की आवश्यकता तो उन वन्य क्षेत्रों के लिए पड़ती है, जहां विभिन्न प्रकार की वनस्पति हो। इस क्षेत्र में तो वनों के नाम पर केवल झाड़ियां मिलती हैं, जिन्हें वनों की श्रेणियों नहीं रखा जा सकता। चैम्पियन एवं सेठ के वर्गीकरण अनुसार इस वन मण्डल के वनों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है:-

मरुस्थलीय कांटेदार वन : इस प्रकार की छोटी पहाड़ियों और जमी हुई बालू मृदा के इलाकों में पाये जाते हैं। कूमठा, ऐसे वन की मुख्य प्रजाती है। खेजड़ी, कूमठा के कुछ वृक्ष रतनगढ़, सरदारशहर, तारानगर के श्याम पांडिया तथा बीड़ तारानगर एवं राजगढ़ के लीलकी तथा सांखु वन खण्डों में पाये जाते हैं। इनके साथ कैर, बेर, खीप, आक आदि पाये जाते हैं।

मरु टिब्बा वन : अस्थिर बालू रेत के टीले या बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में मरु टिब्बा वन पाये जाते हैं। इस प्रकार के वनों में कांटेदार प्रकृति के पादप होते हैं। यहां वृक्षों का बहुत ही खुला एवं असमान वितरण है। पेड़ व झाड़ियां बहुत कम भूमि को ढके हुए हैं। जलवायु सूखी है एवं सभी पेड़/झाड़ियां कांटेदार तथा मरुदभिद प्रकृति की हैं। उत्तरी मिश्रित कांटेदार वन की पहचान के तौर पर यहां की मिट्टी सूखी व अस्थिर बालू है। हवा के तेज बहाव के कारण रेत जगह-जगह इकट्ठी होकर टिब्बों का निर्माण करती है। हवा अपने साथ वेग के कारण रेत उड़ा कर लाती है, जो इन टिब्बों में आकर जमा होती है। इनमें पायी जाने वाली वनस्पति खेजड़ी कूमठा, बेर, रोहिड़ा, आक, खीप, सिणियां, बुई, कैर आदि है।

पीलू वन : इस प्रकार के वन क्षेत्र शुष्क लवण युक्त मृदा या क्षारीय मृदा के समतल क्षेत्रों में पाये जाते हैं। ऐसे वन क्षेत्रों में विशुद्ध रूप से जाल की प्रजातियां पाई जाती हैं। सामान्यतया कूमठा इसकी सहयोगी प्रजाति है। कूमठा के अलावा जाल के साथ कैर भी पाया जाता है। जिले में काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां की मृदा शुष्क, क्षारीय तथा समतल है जहां सल्वाडोरा (जाल) प्रजाति के वन क्षेत्र पाये जाते हैं। इस प्रकार के वन क्षेत्र राजगढ़ तहसील के बीड़ लीलकी एवं सांखु वन खण्ड हैं। इन वनों की मुख्य प्रजातियां खेजड़ी, कूमठा, बांवली, बेर प्रजाति, आक, खरसना, खीप इत्यादि हैं।

शुष्क मरुस्थलीय झाड़ियां : ऐसे क्षेत्र जो पूर्णतया मरुस्थलीय हैं, वहां पर मरुस्थलीय झाड़ियां एवं सहयोगी वृक्षों की प्रजातियों में मुख्य रूप से टार्टलिस, खेजड़ी, कूमठा, जाल, कैर आदि हैं।

प्राकृतिक मरुस्थलीय वनस्पति :-

अधिक तापमान एवं कम वर्षा के कारण इस क्षेत्र में कंटीली झाड़ियां व घास ही उत्पन्न हो पाती है। इस क्षेत्र में उगने वाले वृक्षों की पत्तियां छोटी होती हैं जिनसे पानी का वाष्पीकरण कम से कम मात्रा में होता है। इस क्षेत्र के पेड़ों की जड़ें गहराई तक नीचे होती हैं, जिससे वे जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकती हैं। यहां के मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल व जाल हैं। इस शुष्क क्षेत्र की मुख्य घास सिरकनियां, सेवण, भूरठ तथा धामण हैं। ये घासें दुधारु पशुओं के लिए बहुत अच्छी हैं। थार मरुस्थल की पारिस्थितिकी की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी सन्तुलन रखने में मुख्यतः फोग, रोहिड़ा एवं खेजड़ी वनस्पति का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी सन्तुल की दृष्टि से अस्तित्व के संघर्ष से जूझते हुए अन्य छोटे-छोटे वृक्ष अथवा झाड़ियां यथा-बोर, जाल, पीलू, कैर, खीप, धमासा, हीगुपी, बुई, आक, बावलानी, फोग आदि न केवल थार के पशु-पक्षियों एवं वन्य जीवों को अभयदान दिए हुए हैं, बल्कि रेगिस्तान की अस्मिता को भी बचाए हुए हैं। यह तथ्य भी कम कौतूहलपूर्ण और रोचक नहीं कि थार की पशु-सम्पदा आज भी इन्हीं वनस्पतियों की साझेदारी पर अवलम्बित है। शुष्क जलवायु और उष्ण वातावरण में यहां कुछ झाड़ियां ऐसी भी उगती हैं, जो कि अस्थिर रेतीले टीलों में ठहराव के साथ-साथ मृगों तथा जंगली जीवों की जलापूर्ति अपनी हरी-भरी पत्तियों, कोमल जड़ों और टहनियों से करती हैं। ऐसी ही एक झाड़ी का नाम है-फोग। फोग जिसे, वनस्पतिशास्त्र में वेलीगोन्स-पॉली गोनाइड कहते हैं, जो पूरे मरुप्रदेश में उगने वाली झाड़ीनुमा वनस्पति है। यह रेतीले टीलों के ऊंचे कगारों पर उगने के कारण टीलों को स्थिर करने में बड़ा योगदान देती है। यह वनस्पति प्रायः एक से दो मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है तथा इसकी जड़ें रेतीले टीलों में 10 से 15 मीटर गहराई तक चली जाती हैं। भूमि में इसकी जड़ें मोटी-मोटी बनी रहती हैं और उनमें जल-संग्रहण होता रहता है। यह जल-संग्रहण इस वनस्पति को क्षेत्रीय विषमताओं में भी जीवित रखने के लिए सक्षम बनाता है।

जहां-जहां फोग की झाड़ियां फैलती बढ़ती हैं, वहां उड़ती हुई रेत को स्थिर कर देती हैं। ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती है, ये झाड़ियां भी बढ़ती जाती हैं। इनसे निकलने वाली विशेष प्रकार की गन्ध वातावरण को शुद्ध बनाती हैं। इनकी जड़ें लम्बवत् तथा धरातल के समानान्तर दोनों ओर फैलती हैं। “स्याही-सोख” की भांति ये जड़ें टीलों के भीतर की नमी को सोख लेती हैं। रेत से ढंकी इन गीली जड़ों पर “सेटोन्सिया” जैसे परजीवी तथा माइक्रोफाइट्स जैसे सूक्ष्म पौधे भी उग आते हैं। इन परजीवी पौधों में जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। वर्तमान में फोग का अस्तित्व खतरे में है। यह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। प्राकृतिक वनस्पतियों में इस प्रदेश में रोहिड़ा का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसे प्यासे मारवाड़ का सागवान की संज्ञा दी जाती है। इस वनस्पति की लकड़ियां इमारती सामान एवं सजावटी वस्तुओं के लिए

बहुत ही उपयुक्त होती हैं। इस वृक्ष पर बहुत ही सुन्दर पीले फूल आते हैं जिनकी महक एवं सुन्दरता देखते ही बनती है। रोहिड़ा वनस्पति का भी इस क्षेत्र में तीव्र गति से ह्रास होता जा रहा है। इसके अलावा जाल, आग, फोगला, खीप, कूचा आदि वनस्पतियां भी पायी जाती हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये विलुप्त होती जा रही है।

कृत्रिम वनस्पति :-

कृत्रिम वनस्पति से अभिप्राय उस वनस्पति से है जिसे राज्य सरकार ने मानवीय अथक प्रयासों के द्वारा रोपित की है। इस प्रकार की वनस्पति यहां पहले प्राकृतिक रूप से नहीं उग पाती थी। इस कृत्रिम वनस्पति से न केवल क्षेत्र को हरा-भरा किया गया है, बल्कि क्षेत्र की परिस्थितियों को बदलने का सहज प्रयास किया गया है जिससे कि भावी वनस्पति के विकास की सम्भावनायें विकसित हो सकें। इसमें मुख्य रूप से शीशम, नीम, बबूल आदि पौधे लगाये गये हैं।

भू-विज्ञान का वनस्पतियों पर प्रभाव :-

अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण-पूर्व होने के कारण पश्चिमी क्षेत्र में गर्मी में गर्म लू व धूल भरी आंधियां चलती हैं। अप्रैल माह में दक्षिण वृत्त होकर ऊपर आने से गर्मी बढ़ जाती है। प्रदेश में दिन का तापक्रम शीतकाल में 0 से ग्रीष्मकाल में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जनवरी माह में चूरु जिले का तापमान जमाव बिन्दु से नीचे भी पहुंच जाता है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का यहां की वनस्पति पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में पाये जाने वाली वनस्पति ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाला है। क्षेत्र में झाड़ियों एवं वृक्षों के तने गुदेदार होते हैं, जो जल का संचय कर सकते हैं। नागफणी, फोग एवं थोर इसके उदाहरण हैं।

मरु क्षेत्र में बहुतायत में पाये जाने वाले खेजड़ी जैसे वृक्षों की जड़ें अत्यधिक अर्थात् 20 से 23 मीटर तक चली जाती हैं। इसी प्रकार वृक्षों के तनों का वाष्पोत्सर्जन रोकने हेतु प्राकृतिक रूप से मोटी छाल होती है। बबूल, बेर, खेजड़ी तथा विलायती बबूल जैसी प्रजातियों में कांटे पाये जाते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। थोर जैसी प्रजातियों में तने एवं पत्तियों पर कांटे पाये हैं, जिनसे जल की क्षति अपेक्षाकृत कम होती है। यहां पायी जाने वाली वनस्पतियों के फल अथवा बीज ग्रीष्म ऋतु आगमन में पक जाते हैं, जिससे वायु के साथ उनका प्रकीर्णन अथवा प्रसारण हो सके। जिले में घास की काफी प्रजातियां पायी जाती हैं। इनकी जड़ें लम्बी व रेशेदार होती हैं ताकि अधिकतम नमी संग्रहण की जा सके। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित इस क्षेत्र में ज्यादा क्षेत्र बालू एवं बलुई दुमट वाला टिब्बा युक्त है। यह अत्यधिक गर्मी वाला क्षेत्र है तथा यहां उगने वाली वनस्पति को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :-

टिब्बों पर उगने वाली वनस्पति :

टिब्बों पर उगने वाली वनस्पति मरुदृग्मिद प्रकृति की होती है जो कम पानी पर भी जीवित रह सकती है। इसमें मुख्यतः फोग, बुई, आक, बावली, खीप, सणीया, हिरण चाबो, साटा, तुम्बा, बेकरियां व थोर आदि मुख्यतः प्रजातियां मिलती हैं।

बलुई दोपट मिट्टी पर उगी प्रजातियां :

मिट्टी गहरी एवं बलुई दोमट मिट्टी पर खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, नीम, मीठा जाल, हिंगोट, कंकेड़ा, खारा जाल, फराश, केर तथा छपर के नमक युक्त क्षेत्रों में सालसोला, हलोकजाइलोन, झाउ आदि झाड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं।

अरावली सिस्टम की पहाड़ियों पर उगी प्रजातियां :

सुजानगढ़ तहसील में स्थित पूर्व अरावली सिस्टम की पहाड़ियों में थोर, कूमठा, डांसरन, गांगन, बेर, गूगल आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके साथ करड़, शीन तथा लापला घास की प्रजातियां भी पाई जाती हैं।

जलवायु एवं वर्षा :-

अल्प वर्षा के साथ जिले की जलवायु पूर्ण शुष्क है और तापमान में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव रहता है। वर्षा बहुत कम होती है। यहां अधिकतम तापमान 48.2 से. पाया गया है तथा सर्दियों में न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दु तक रहता है। जिले की वार्षिक वर्षा 622 मिलीमीटर दर्ज की गई। जिले में वार्षिक वर्षा का औसत सन् 2013 से 2022 तक निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका : वार्षिक वर्षा (से.मी.)

वर्ष	नाम तहसील										योग	औसत
	चूरु	सरदारशहर	रतनगढ़	सुजानगढ़	राजगढ़	तारानगर	बीदासर	सिद्धमुख	भानीपुरा	राजलदेसर		
2016	575	258	328	407	767	460	—	—	—	—	2795	466
2017	342	314	237	403	528	306	—	—	—	—	2130	355
2018	394	272	305	301	341	428	—	—	—	—	2041	340
2019	488	393	330	578	627	391	570	—	—	—	3377	482
2020	575	612	442	302	500	485	537	—	—	—	3453	493
2021	650	428	586	620	748	413	705	—	—	—	4150	593
2022	587	397	718	536	800	463	856	—	—	—	4357	622
2023	494	432	636	505	375	567	752	468	390	—	4619	513
2024	675	422	656	495	509	668	498	559	641	522	5645	565
2025	796	455	705	1008	600	659	705	573	377	648	6526	653
योग में वर्षा मि. मी. में	5576	3983	4943	5155	5795	4840	4623	1600	1408	1170	39093	5082

10 वर्षों के आधार पर जिले की औसत वर्षा 508.2 मि मी है।

वर्ष 2025 की औसत वर्षा 653 मिमी है।

स्रोत : कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.), चूरु

जलवायु की उपरोक्त विशेषताओं के कारण चूरु जिला मरुस्थली क्षेत्र में आता है। जिसका अध्ययन मरुस्थली पारिस्थितिकी तन्त्र के अन्तर्गत किया जाता है। वर्षा की कमी रहने के कारण इस क्षेत्र में ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो शुष्कता रोधी हों। इस क्षेत्र की फसलों में प्रमुखतया बाजरा, ग्वार, मूंग, तिलहन, सरसों, चना, जौ आदि उगाई जाती हैं। वर्षा : इस क्षेत्र की औसत वर्षा 28.6 मिली मीटर है। वर्ष भर में होने वाली बरसात का लगभग 80 प्रतिशत भाग मानसून के दौरान यानि माह जुलाई से सितम्बर के महीने में होती है। जुलाई-अगस्त के महीनों में सर्वाधिक बरसात होती है। विभिन्न वर्षों में बरसात में उतार-चढ़ाव रहता है। औसत रूप से 33 मानसूनी दिवसों में 28.6 मिमी वर्षा एक वर्ष में होती है।

तापमान : जलवायु अनुसार चूरु जिला भारत वर्ष में सर्वाधिक गर्म क्षेत्रों में से है। मार्च महीने के बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होती है तथा जून के महीने में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सबसे गर्म महीना मई एवं जून तथा सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है। गर्मी के मौसम में गर्म एवं धूल भरी आंधियां व तेज धूप असहनीय हो जाती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह से मानसून शुरू होने के साथ ही तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है। न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। अतः तापक्रम के इस अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण वनस्पति को भारी नुकसान होता है। कई बार नीम, देशी कीकर पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इस जिले में देशी कीकर का अभाव है तथा नीम भी बहुत कम मात्रा में ऊंचे टिब्बों पर बच पाता है। आस-पास के इलाकों की तुलना में चूरु जिले में अत्यधिक सर्दी तथा गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इस प्रकार चूरु का तापक्रम विस्तार पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। सर्दियों में पाला पड़ना आम बात है। जिससे वृक्षारोपण को अत्यधिक नुकसान होता है। रेगिस्तानी भू-भाग में रेत की यह विशेषता है कि गर्मियों में दिन निकलने के पश्चात् कुछ ही देर में गर्म होकर भयंकर तपन पैदा करती हैं जबकि दिन छिपने के साथ ही तुरन्त ठण्डी होकर खुशनुमा एवं सुहावना मौसम का आभास कराती हैं।

सापेक्षिक आर्द्रता : इस क्षेत्र में सापेक्षित आर्द्रता गर्मी के मौसम में 25 प्रतिशत रहती है व सर्दी के मौसम में 72 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। गर्मी के मौसम में आर्द्रता कभी-कभी 5 प्रतिशत से कम हो जाने से पेड़ों की वाष्पोत्सर्जन की दर अत्यधिक बढ़ जाती है।

वायु : इस क्षेत्र में गर्मी के मौसम में माह अप्रैल से जून तक तेज हवाएं चलती हैं तो कभी-कभी आंधी का रूप ले लेती हैं। शेष वर्षभर हल्की हवा चलती हैं जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। सर्दी के मौसम में हवा

का रुख उत्तर से पश्चिम की तरफ होता है। अप्रैल के माह में चलने वाली हवाएं अपना रुख दिन में बदलती रहती हैं। इन वर्षों में गर्मी में चलने वाली तेज हवाओं (आंधियों) में कमी आई है।

आंधी-तूफान : अत्यधिक गर्मियों वाले दिनों में, कम दबाव की स्थिति में तेज हवाएं (आंधी) चलती हैं तथा मई-जून में तेज एवं तप्त हवाएं (लू) चलती हैं जिससे पूरा वातावरण गर्म हो जाता है तथा दूर-दूर तक आग की लपटों जैसी गर्मी महसूस होती है। मिट्टी रेतीली व वनस्पति विहीन होने के कारण गर्मी में चलने वाली तेज हवा से मृदा क्षरण अत्यधिक मात्रा में होता है। रास्तों में उड़ती मिट्टी के जमाव से गर्मियों में रास्ते अवरुद्ध हो जाना आम बात है। माह मार्च-अप्रैल से धूल भरी तेज हवाएं (आंधियां) चलना प्रारम्भ होती हैं व आसमान में धुन्धलका छा जाता है। जून के उत्तरार्द्ध में काली-पीली धूलभरी तेज आंधियों का दौर शुरू हो जाता है जिन्हें तूफान कहते हैं। इनका क्रम जुलाई के प्रथम सप्ताह तक रहता है। कभी-कभी इस तूफान के साथ वर्षा भी हो जाती है। एक बार अच्छी वर्षा हो जाने के बाद तेज एवं गर्म हवाओं का चलना माह जुलाई के प्रथम सप्ताह से बन्द हो जाता है।

जल संसाधन :

चूरु जिले में रेतीला प्रदेश होने के कारण पानी का बहाव नहीं होता है। केवल गोपालपुरा एवं चाड़वास की पहाड़ियों से पानी बहकर 15 मिलोमीटर दूर स्थित कृष्णमृग अभ्यारण्य तालछापर में दो दशक पूर्व तक एक बरसाती नाले के रूप में आता था, जो अब बन्द हो चुका है। इसका कारण वर्षा की कमी एवं नाले के कैचमेंट में, खेतों में काश्तकारों द्वारा लगाये गये बन्धे तथा नमक क्षेत्र के डोले हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर पानी का बहाव स्थानीय मात्र है। इसी प्रकार तहसील राजगढ़ के ग्राम सांखू के पास से होकर एक बरसाती नाला दक्षिण पूर्वी दिशा में चलकर झुंझुनू जिले में प्रवेश करता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऊबड़-खाबड़ होने के बावजूद जिले की भूमि का औसत ढलान दक्षिण पूर्वी एवं पूर्व दिशा की ओर है।

भू-गर्भीय जल संसाधन:

राजगढ़ तहसील के पूर्वी भाग एवं सुजानगढ़ तहसील के पश्चिमी भाग में भूमिगत जल पीने योग्य है, जहां कुओं से सिंचाई भी होती है, किन्तु इसमें भी फ्लोराइड की कुछ मात्रा है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण जिले में भूमिगत जल खारा एवं फ्लोराइड युक्त है। भू-गर्भीय जल 100 मीटर से नीचे उपलब्ध होता है, जो सिंचाई के कारण हर वर्ष 2-3 मीटर गहरा चला जा रहा है। इसके पीछे ही कई स्थानों पर पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है, इसलिए लगभग पूर्ण कार्य आयोजना क्षेत्र में पीने के लिये पक्के कुण्ड बनाकर वर्षा के पानी को एकत्रित किये जाने की पुरानी परम्परा चली आ रही है। इस दशक में इन्दिरा गांधी नहर की साहवा लिफ्ट नहर का पानी तारानगर, राजगढ़ एवं चूरु तहसील के कुछ गांवों तक पहुंचाया गया है तथा शेष क्षेत्र में अगले 2-3 वर्षों में उपलब्ध कराने की सम्भावना है। तारानगर तहसील के पश्चिम भाग में साहवा लिफ्ट नहर से कहीं-कहीं सिंचाई भी होने लगी है तथा सिद्धमुख नहर से सिद्धमुख उप तहसील का इलाका सिंचित होने की सम्भावना है। इस इलाके में सिद्धमुख नहर योजना स्वीकृत है।

सिंचाई:

इस जिले में कुएँ सिंचाई के मुख्य साधन हैं। नहरों से सिंचाई तारानगर तहसील में की जाती है।

जनसंख्या :

जिले की कुल जनसंख्या, सूर्योदय 1 मार्च, 2011 के अनुसार 20,39,547 थी, जिसमें से 10,51,446 पुरुष व बाकी 9,88,101 स्त्रियां थीं। जिले की जनसंख्या प्रमुखतः ग्रामीण है क्योंकि 14,63,312 या (71.78 प्रतिशत) व्यक्ति 804 आबाद ग्रामों में निवासित हैं व मात्र 5,76,235 (28.12 प्रतिशत) व्यक्ति ही 10 शहरी केन्द्रों में निवास करते हैं। जिले में 49 ग्राम ऐसे हैं, जो आबाद नहीं हैं। ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक भाग पंचायत समिति सरदारशहर में (18.75 प्रतिशत) निवासित हैं, जबकि इसके बाद राजगढ़ (17.78 प्रतिशत) व चूरु (15.21 प्रतिशत) पंचायत समितियों का क्रम है।

जिले के शहरी क्षेत्रों में चूरु कुल शहरी जनसंख्या के 6.52 प्रतिशत भाग के साथ सर्वोच्च स्थान पर है इसके बाद सुजानगढ़ 5.95 प्रतिशत एवं रतनगढ़ 4.83 प्रतिशत हैं। जिले की जनसंख्या 1901 से लगभग पांच गुणा बढ़ी है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और वर्ष 1971 से यह लगभग दो गुणा हो गयी है। 1971 में यह 8.74 लाख थी जो बढ़कर 2011 में 20.39 लाख हो गयी है। दशक 1911-21 की जनसंख्या में आए बदलावों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि दशक के दौरान 0.09 प्रतिशत की गिरावट आयी है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक 1971-81 में पायी गयी। 1911-21 की अवधि में जनसंख्या में कमी के सहायक घटकों के रूप में इन्फ्लुएन्जा, प्लेग और चेचक जैसी महामारियों के नाम लिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर, पिछले 100 वर्षों (1901-2011) में जिले की जनसंख्या में 16.50 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। इसमें से वर्तमान शताब्दी के प्रथम पचास वर्षों में 2.63 लाख की बढ़ोतरी हुई जबकि पिछले मात्र दस वर्षों में ही जिले की जनसंख्या में 4.50 लाख व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि 1901-51 के प्रथम पचास वर्षों में हुई वृद्धि से एक लाख से भी कुछ अधिक है। सन् 1941 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

जनसंख्या घनत्व :

जिले में ग्रामीण क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व 107 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। शहरी क्षेत्रों में यह घनत्व 3782 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। जिले का कुल औसत जनसंख्या घनत्व 147 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों

में बीदासर पंचायत समिति में यह सर्वाधिक 207 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हैं शहरी क्षेत्रों में सरदारशहर सबसे घना बसा हुआ है और इस कस्बे का घनत्व 5920 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

स्त्री-पुरुष अनुपात :

जिला स्तर पर स्त्री-पुरुष अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या) की स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं बन पायी है। 1911 से स्त्री-पुरुष अनुपात में व्यापक कमी आयी एवं 1931 तक यह लगभग स्थिर ही रहा एवं 1941 में यह तेजी से कम हुआ। 1951 के बाद 1981 तक इसमें बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गयी। 1991 में पुनः यह तेजी से कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष अनुपात में 1911 से 1921 तक गिरावट की प्रवृत्ति रही। वर्ष 1931 से 1981 तक इसमें क्रमिक बढ़ोतरी की प्रवृत्ति रही। शहरी क्षेत्रों में 1951 को छोड़कर जबकि स्त्री-पुरुष अनुपात में काफी बढ़ोतरी हुई थी, 1991 तक स्त्री-पुरुष अनुपात में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति रही है। 1901 से 1991 तक शहरी क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष अनुपात अधिक था, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्त्री-पुरुष अनुपात की सामान्य प्रवृत्ति से उलटा है। इसका कारण पुरुषों द्वारा रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामों से नगरों में आना माना जाता है। वर्ष 1981 व 1991 की जनगणनाओं में यह प्रवृत्ति बदली है और स्त्री/पुरुष अनुपात शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुष जनसंख्या पर स्त्रियों का भाग चूरु पंचायत समिति में सर्वाधिक (स्त्री-पुरुष अनुपात 974) था, जबकि सबसे कम स्त्री-पुरुष अनुपात राजगढ़ पंचायत समिति में (920) पाया गया। शहरी क्षेत्रों में सुजानगढ़ में सर्वाधिक स्त्री-पुरुष अनुपात 957 दर्ज किया गया। राजगढ़ में स्त्री-पुरुष अनुपात सबसे कम (927) दर्ज किया गया।

अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां :-

2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का भाग 22.14 प्रतिशत था, जबकि 1991 में यह भाग 20.13 प्रतिशत था। इस प्रकार दशक 1991-2011 में अनुसूचित जातियों का भाग कुल जनसंख्या पर 2.01 प्रतिशत बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों का भाग 25.73 प्रतिशत है वहीं शहरी क्षेत्रों में यह भाग 13.04 प्रतिशत रहा है। 2011 में जहां अनुसूचित जनजातियों का भाग जिले की कुल जनसंख्या का 0.55 प्रतिशत था वहीं कुल जनसंख्या पर इनकी वृद्धि 0.44 प्रतिशत थी। जिले की अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ग्रामों में निवासित है। कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या (451721 व्यक्ति) में से अधिकांश ग्रामीण आधारित हैं। अनुसूचित जनजाति के मामले में (11245 व्यक्ति) जनसंख्या ग्रामों में निवासित है।

अनुसूचित जातियों के पंचायत समिति स्तर पर वितरण का विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि इनका अधिकतम जमाव (25.23 प्रतिशत) पंचायत समिति सुजानगढ़ में है। इसके बाद राजगढ़ में (23.60 प्रतिशत) व तारानगर पंचायत समिति में (21.49 प्रतिशत) है। चूरु पंचायत समिति में सबसे कम भाग (18.24 प्रतिशत) पाया गया है। शहरी क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों का अधिकतम भाग सुजानगढ़ कस्बे में (16.78 प्रतिशत) पाया गया वहीं रतननगर कस्बे में यह सबसे कम (1.89 प्रतिशत) रही है। पंचायत समिति स्तर पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के वितरण में राजगढ़ पंचायत समिति में सर्वाधिक 39.21 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या रहती है। इसके बाद चूरु में 24.71 प्रतिशत व तारानगर में 10.69 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में 30.49 प्रतिशत जनसंख्या सरदारशहर कस्बे में रहती है। इसके बाद 29.07 प्रतिशत राजगढ़ कस्बे में व चूरु कस्बे में 10.45 प्रतिशत है।

कुल 785 आबाद ग्रामों में (84.77 प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नहीं पायी गयी है। ऐसे 121 ग्राम (13.07 प्रतिशत) हैं, जहां कुल जनसंख्या पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का भाग 5 प्रतिशत से कम है। किसी भी आबाद ग्राम में कुल जनसंख्या पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का भाग 35 प्रतिशत से अधिक नहीं है। जिले के शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या पर अनुसूचित जातियों का भाग 13.04 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजातियों का भाग मात्र 0.62 प्रतिशत ही है। जिले के शहरी केन्द्रों में सुजानगढ़ कस्बे में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (31.96 प्रतिशत) का जमाव सर्वाधिक है। इसके बाद बीदासर में (30.54 प्रतिशत) व राजगढ़ में (24.87 प्रतिशत) है। नगरीय केन्द्रों की कुल जनसंख्या पर अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम जनसंख्या राजगढ़ कस्बे में 1.59 प्रतिशत है इसके बाद सरदारशहर में यह 1.35 प्रतिशत है। सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका संख्या 7 : जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, 2011 (प्रतिशत)

तहसील	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1. तारानगर	22.97	13.37	21.49	0.46	0.39	0.45
2. राजगढ़	24.87	17.04	23.60	0.97	1.59	1.07
3. सरदारशहर	24.28	6.82	19.90	0.41	1.35	1.27
4. चूरु	24.31	10.13	18.24	0.72	0.58	0.66
5. रतनगढ़	23.81	15.54	21.02	0.45	0.28	0.39
6. सुजानगढ़	31.96	15.64	25.23	0.22	0.13	1.08
7. बीदासर	30.54	18.01	28.14	0.10	0.11	0.10

स्रोत : जनगणना प्रतिवेदन 2011, राजस्थान

साक्षरता :

जिले में कुल साक्षरता दर 54.04 प्रतिशत है। इसमें से 64.40 प्रतिशत ग्रामीण एवं 72.61 प्रतिशत शहरी है। जिले व इसके ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में स्त्री साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर की तुलना में कम है। पंचायत समिति स्तर पर साक्षरता दर पंचायत समिति चूरू में 70.07 प्रतिशत से लेकर पंचायत समिति सुजानगढ़ में 64.11 प्रतिशत तक भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर राजगढ़ पंचायत समिति में 80.63 प्रतिशत से लेकर सुजानगढ़ पंचायत समिति में 73.1 प्रतिशत तक भिन्न है। शहरी क्षेत्रों के मामले में सरदारशहर कस्बे में सर्वाधिक साक्षरता दर (74.09 प्रतिशत) रही है, इसके बाद चूरू में (74.05 प्रतिशत) एवं सुजानगढ़ कस्बे में यह साक्षरता दर सबसे कम 70.73 प्रतिशत पायी गयी है। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर चूरू कस्बे में 85.26 प्रतिशत व तारानगर कस्बे में 81.48 प्रतिशत पायी गयी है। शहरी क्षेत्रों में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक सरदारशहर कस्बे में 63.54 प्रतिशत रही जिसके बाद चूरू में 62.28 प्रतिशत रही। शहरी क्षेत्रों में जिले हेतु सम्पूर्ण साक्षरता दर 72.61 प्रतिशत रही जबकि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु यह मात्र 64.40 प्रतिशत ही पायी गयी।

कार्यशील जनसंख्या:

2011 की जनगणना में काम करने वालों को मुख्य काम करने वाले एवं सीमान्तिक काम करने वाले दो वर्गों में बांटा गया है। जिले में 44.27 प्रतिशत मुख्य काम करने वाले हैं जबकि सीमान्तिक काम करने वाले मात्र 13.46 प्रतिशत हैं। शेष 55.73 प्रतिशत काम नहीं करने वाले हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं करने वालों का प्रतिशत 49.91 है, जो कि शहरी क्षेत्रों के काम नहीं करने वालों के प्रतिशत 70.52 से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य काम करने वालों एवं सीमान्तिक काम करने वालों का भाग क्रमशः 50.09 व 17.15 प्रतिशत है। जबकि शहरी क्षेत्रों हेतु यह भाग क्रमशः 29.48 प्रतिशत व 4.08 प्रतिशत है। कार्यशील जनसंख्या का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका संख्या 8 : जिले की कार्यशील सीमान्त एवं अकार्यशील जनसंख्या का वितरण, 2011 (प्रतिशत)

क्षेत्र	कार्यशील			सीमान्त			अकार्यशील		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
ग्रामीण	52.46	47.56	50.09	10.73	24.00	17.15	47.54	52.44	49.91
नगरीय	49.02	8.78	29.48	4.79	3.32	4.08	50.98	91.22	70.52
योग	51.49	36.58	44.27	9.05	18.14	13.46	48.51	63.42	55.73

स्रोत : जनगणना प्रतिवेदन 2011, राजस्थान

तालिका संख्या 9 : व्यावसायनुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों में जनसंख्या का वितरण, 2011 (प्रतिशत)

क्षेत्र	काश्तकार		खेतीहर मजदूर		पारिवारिक उद्योग		अन्य कार्य करने वाले	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
ग्रामीण	29.85	20.42	3.18	1.57	0.11	0.16	1.29	1.30
नगरीय	2.90	1.23	1.81	0.35	0.26	0.45	3.47	1.47
योग	22.25	14.98	2.79	1.22	0.15	0.24	1.91	1.35

स्रोत : जनगणना प्रतिवेदन 2011, राजस्थान

पुरुषों के मामले में 51.49 प्रतिशत मुख्य काम करने वाले, 9.05 प्रतिशत सीमान्तिक कार्य करने वाले एवं 48.51 प्रतिशत काम न करने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल पुरुष जनसंख्या के 52.46 प्रतिशत मुख्य काम करने वाले हैं व सीमान्तिक काम करने वाले मात्र 10.73 प्रतिशत हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल पुरुष जनसंख्या पर 50.98 प्रतिशत पुरुष काम न करने वाले 49.02 प्रतिशत पुरुष मुख्य काम करने वाले एवं 4.79 प्रतिशत पुरुष सीमान्तिक काम करने वाले हैं।

स्त्रियों में 52.44 प्रतिशत स्त्री जनसंख्या काम नहीं करने वालों की है, जबकि मुख्य काम करने वाले एवं सीमान्तिक काम करने वाली स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 47.56 व 24.00 है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं करने वालों की स्त्री जनसंख्या शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कम है। दूसरी ओर जहां शहरी क्षेत्रों में मुख्य काम करने वाली स्त्रियों का प्रतिशत कुल स्त्री जनसंख्या का 8.78 प्रतिशत ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत 38.78 प्रतिशत तक अधिक है। सीमान्तिक कार्य करने वालों के मामले में जहां मात्र 3.32 प्रतिशत शहरी स्त्रियों को वर्गीकृत किया गया है वहीं कुल स्त्री जनसंख्या पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह भाग 24.00 प्रतिशत रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

चूरू जिले में विद्यमान क्षेत्र बीकानेर के सामन्ती राज्य के भाग हैं एवं यह थार के रेगिस्तान टीलों के मध्य स्थित है। अलग जिले के रूप में इसका गठन वर्ष 1949 में हुआ, जब बीकानेर राज्य को संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलाया गया था एवं आज तक स्थिति यही है। यह माना जाता है कि इसका नाम इसके संस्थापक एक जाट के नाम पर है, जो कि 1620 के आसपास वहां के शासक थे। बीकानेर राज्य के समय चूरू दो निजामतों—सुजानगढ़ व रेनी में विभक्त था। सुजानगढ़ निजामत ऊ सुजानगढ़ मुख्यालय सहित चार तहसीलें थीं—सुजानगढ़, डूंगरगढ़, रतनगढ़ और सरदारशहर। इसी प्रकार रेनी निजामत की भी चार तहसीलें थीं, जिनके नाम चूरू, राजगढ़, भादरा व नोहर थे। पूर्व में नोहर व भादरा तहसीलें अब हनुमानगढ़ जिले का भाग हैं।

धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व एवं पर्यटन रुचि के स्थान:-

चूरु ऐतिहासिक महत्व का स्थान रहा है। 1818 ई. से पहले तक चूरु ठाकुरों (राजवंशियों) एवं तात्कालिक बीकानेर शासकों के मध्य हुए युद्धों का यह जिला केन्द्र बिन्दु रहा है। 1818 ई. में इसे बीकानेर के शासकों ने जीत लिया। यहां एक छोटा सा किला है, जिसे 1739 ई. में ठाकुर कुशलसिंह ने बनवाया था। चूरु नगर में पर्यटन रुचि के कुछ स्थान हैं, जिनमें रिधिकरण यति द्वारा निर्मित जैन मन्दिर एवं उत्कृष्ट भित्ति चित्रों से युक्त पुरानी हवेलियां एवं छतरियां महत्वपूर्ण हैं। चूरु के आसपास भी पर्यटक रुचि एवं अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनमें भानीनाथ का धोरा विशाल मूर्तियों एवं सुरम्य प्राकृतिक दृश्यावली के लिए विख्यात है। इनके अतिरिक्त चूरु से 3 कि.मी. दूर सेठाणी का जोहड़ा भी पर्यटन केन्द्र है।

रेणी, जिसे तारानगर कहा जाता है, एक अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। पन्द्रहवीं शताब्दी में बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका ने इसे जीत लिया। महाराजा सूरतसिंह (1788-1826) द्वारा बनवाया गया एक किला भी यहां स्थित है। यहां 942 ई. में निर्मित एक सुन्दर जैन मन्दिर भी है जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए विख्यात है। यहां प्रति वर्ष रामदेवजी का मेला लगता है। तारानगर से 10 कि.मी. दूर स्थित साहवा नामक स्थान पर सिक्खों के गुरुद्वारे के कारण मशहूर है। कार्तिक माह में यहां रामदेवजी का मेला भी लगता है। यहां एक तालाब के पास कांछलजी और नाथ-डेरा के स्मारक भी बने हुए हैं। यह दोनों स्थान भी पर्यटन रुचि के स्थान हैं। राजगढ़ से मात्र 16 कि.मी. दूर ददरेवा ग्राम राजस्थान में सर्वाधिक पूजनीय भौम्या (योद्धा सन्त) गोगाजी चौहान का जन्म स्थान कहा जाता है। सालासर में हनुमानजी का एक विख्यात मन्दिर है जहां भक्तगण दूर-दूर से मनौतियां लेकर आते हैं। ग्राम गोपालपुरा में जो कि सुजानगढ़ से करीब 9 कि.मी. दूर है, राव बीघाजी का स्मारक है। यह स्थान पर्यटकों के भ्रमण एवं पिकनिक के लिए उपयुक्त है। एक किंवदन्ती के अनुसार किसी समय इस स्थान पर पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया ग्राम द्रोणपुरा था। आसपास के अन्य स्थानों में छापर नामक स्थान काले हिरणों के अभयारण्य एवं ताल छापर झील नमक बनाने के कारण उल्लेखनीय है।

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के एक अनुमान के अनुसार विश्व की 60 बिलियन वर्तमान जनसंख्या सन् 2025 तक बढ़कर 8.3 बिलियन हो जायेगी तथा 2025 तक विश्व की सफल जनसंख्या का 60 : नगरिय क्षेत्रों में निवास करेगा। इसका अर्थ यह हुआ की नगरों में अतिरिक्त जनसंख्या के रहने के लिए अतिरिक्त स्थान (Space) की आवश्यकता होगी। परिणामस्वरूप आपदा जोखिम (Risks) भी बढ़ जायेगा क्योंकि अतिरिक्त जनसंख्या को आपदा जोखिम क्षेत्र में ही रखना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण 1994 जापान में हुए विश्व सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि आपदा प्रतिक्रिया (Response) अर्थात केवल आपदा के आने पर किये जाने वाले कार्य ही अधिक (उपाय) प्रभावी नहीं हो सकते क्योंकि आपदा आने के पहले तैयारी, निवारण एवं रोकथाम के उपाय आपदा प्रतिक्रिया की अपेक्षा अधिक अच्छी कार्य योजना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सम्मेलन में प्रत्येक देश में आपदा प्रबन्धन की योजनाओं में निम्नलिखित 10 नियमों का निर्माण किया गया :-

1. प्रकोप जोखिम आकलन (risk provision) का प्रावधान करना।

आपदा निरोधक एवं आपदा तैयारी को प्राथमिकता देना आपदा निरोधक एवं आपदा तैयारी को विभिन्न स्तरों पर विकास की नीतियों एवं योजनाओं का अभिन्न अंग बनाना।

आपदाओं के रोकथाम (Prevention), न्यूनीकरण (Reduction) तथा निवारण (Mitigation) के लिए क्षमता को विकसीत करना एवं उसे मजबूत करना।

1. आपदा अग्रिम चेतावनी तंत्र चतावनी तंत्र का प्रावधान करना ताकि आप जनता को आने वाले प्रकोपो एवं आपदाओं के विषय में समय रहते सूचित किया जा सके। इस तरह निकट भविष्य में या शिघ्र आने वाली आपदा की अग्रिम सूचना पाकर जनता उस आपदा से निपटने के लिए तैयारी की दशा में रहे।
2. आपदा रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करना।
3. प्रकोप (Hazard) एवं आपदा संवेदनशीलता (Vulnerablity) को कम करने के उपाय करना
4. आपदा के रोकथाम, निवारण एवं न्यूनीकरण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी की भागीदारी करना।
5. पर्यावरण संरक्षण एवं टिकाऊ विकास की व्यवस्था करना।
6. प्राकृतिक आपदाओं से अपने लोगों, ढांचागत संरचनाओं तथा अन्य राष्ट्रीय सम्पतियों एवं पूंजी की रक्षा करना प्रत्येक देश की प्रथम जिम्मेदारी होगी।

आपातकाल आपदा प्रबन्धन के नियम :-

सन् 2007 में संयुक्त राज्य की फेडरल इमरजन्सी मैनेजमेंट एजेन्सी, (FEMA) ने आपातकाल प्रबन्ध कार्यक्रमों के लिए 8 नियमों का निर्धारण किया है :-

- यह व्यापक हो।
- प्रगतिशील हो।
- जोखिम केन्द्रित (Risk driven) हो,
- समन्वित (integrated) हो,
- सहयोगात्मक (collaborative) हो, परस्पर सहयोग पर आधारित हो,

- संयोजित (coordinated) हो,
- लचीला (flexible) हो,
- पेशवर (probationed) हो,

संयुक्त राष्ट्र संघ (नदव) की 1994 कांफरेन्स IDNDR (INTERNATIONAL DECADE FOR NATURAL REDUCTION) के प्रावधानों एवं जापान सम्मेलन रणनीति का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने सन् 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम (2005) (34b) पारित किया तथा सन् 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) का गठन किया।

3.1 प्राकृतिक प्रकोप तथा आपदायें

1. भूकम्प
2. भूस्खलन

2 वायुमण्डलीय तथा जलवायु सम्बन्धी

1. सूखा
2. बाढ़
3. बादल का फटना
4. शीत लहर
5. गर्म लहर (लू)
6. आकाशीय विद्युत आपदा (बिजली का गिरना)
7. आंधिया, तुफान
8. ओलावृष्टि
9. घना कोहरा एवं पाल

3 रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धी

1. जहरीली गैस रिसाव
2. परमाणु विपदा
3. औद्योगिक विपदा

4 जैविक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रकोप

1. मानव जनसंख्या प्रस्फोट
2. महामारी
3. कीट समूहन यथा: टीड्डी दल आक्रमण
4. जानवरों में महामारी
5. जैविक हमला

5 दुर्घटना सम्बन्धी/मानव जनित

1. आग
2. बम विस्फोट
3. सड़क, रेल दुर्घटना
4. आतंकवादी हमला
5. पड़ोसी देश का हमला
6. साम्प्रदायिक दंगे
7. जातिगत उपद्रव, दंगे, आन्दोलन
8. त्योहारों, उत्सवों मेलों में भगदड़
9. गैनाणी समस्या
10. छात्र आन्दोलन

चूरु जिले में विगत वर्षों में कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक अथवा मानवकृत आपदा उत्पन्न नहीं हुई है। जिले में मुख्य आपदाओं को (HVCRV) निम्न तालिका से स्पष्ट होता है:-

जोखिम विश्लेषण (Hazard analysis) (1)	संवेदनशीलता विश्लेषण (Vulnerability analysis) (2)	आवृत्ति एवं परिणाम/विस्तार (Frequency and magnitude) (3)
1. भूकम्प :- गत वर्षों में यहां कभी भूकम्प नहीं आया है। लेकिन यह एक प्राकृतिक घटना है जो कभी भी घटीत हो सकती है। केवल हल्के भूकम्प के झटके महसूस किये गये हैं लोगो को इससे बचने के उपाय मालूम नहीं है।	भूकम्प आने पर जान माल का खतरा अत्यधिक है क्योंकि वर्तमान भवन स्ट्रक्चर भूकम्प के अनुकूल नहीं है। उसके अलावा बच्चों महिलाओं एवं वृद्ध व्यक्तियों को उस सबसे अधिक नुकसान हो सकता है।	हल्के भूकम्प के झटके महसूस किये गये हैं, जिसके पुराने एवं कमजोर मकानों में दरारें आई हैं। यह वर्ष में कभी भी घटना घटित हो सकती है।

2. भूस्खलन :- भूस्खलन भी एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन क्षेत्र की भूआकृति मरुस्थलीय होने के कारण इसकी सम्भावना बहुत कम है।	इसकी सम्भावना कम है फिर भी घटित होने पर समाज के सभी वर्ग एवं आयु के व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं।	घटित नहीं हुआ कभी भी वर्ष में कभी भी घटना घटित हो सकती है। सम्भावना बहुत नगण्य है।
3. सूखा :- जिले में मरुस्थलीय दशा होने के कारण से 2-3 वर्षों में एक बार सूखे की स्थिति रहती है।	सूखे का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में कृषक परिवारों पर देखने को मिलेगा।	सूखा पुरे जिले में कम रहता है, बल्कि सूखे का आंकलन तहसीलवार/गांव के अनुसार होता है।
4. बादल का फटना (बाढ़) :- वैसे बाढ़ यहां कभी नहीं आई है, परन्तु वर्षा अधिक होने पर चूरु, सुजानगढ़, सरदारशहर, शहरों के निचले इलाकों में पानी भर जाता है।	बाढ़ का प्रकोप कम है, लेकिन इन तीनों कस्बों के निचले इलाकों में पानी भर जाता है।	अनुमान के अनुसार कह सकते हैं, कि गत 30 वर्षों में इन कस्बों के निचले इलाकों में थोड़े समय के लिए पानी एकत्रित हो जाता है।
5. शीत लहर :- शीत ऋतु में जिले के कुछ हिस्से विशेषकर चूरु मुख्यालय चपेट में आता है, सर्दियों में तापमान अक्सर शुन्य डिग्री से भी निचे चला जाता है।	शीतलहर का प्रकोप छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों को ज्यादा सताता है। इससे वैसे कोई जान माल का खतरा नहीं है।	लगभग प्रतिवर्ष इसका प्रकोप सर्दियों में कुछ दिन रहता है। मौसमी बिमारियों के अलावा ज्यादा घातक नहीं देखा गया है।
6. गर्म लहर (लू) :- लू का प्रकोप गर्मियों में अक्सर रहता है, बचाव ही इसका उपाय है। मरुस्थलीय दशाएं होने के कारण इससे बच पाना सम्भव नहीं है।	इसका ज्यादातर प्रभाव चूरु में देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका असर रहता है, बच्चे एवं बुजुर्ग इसके चपेट में अधिक आते हैं।	यह लगभग प्रतिवर्ष 2 माह तक ग्रीष्म ऋतु में चलती है, मौसमी बिमारियों के अलावा घातक प्रभाव कम देखने को मिला है।
7. बिजली का गिरना :- बिजली गिरना एक सामान्य प्राकृतिक घटना है। वर्षा के मौसम इसकी सम्भावना अधिक रहती है।	जिले में इससे मवेशी एवं कई बार ग्रामिण व्यक्ति शिकार हो जाते हैं।	प्रति वर्षा वर्षा के समय एक - दो घटनाएं घटित अवश्य होती हैं।
8. आँधी-तुफान:- वैसे तो यह गर्मी में उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यह कई बार कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं।	आँधी तुफान से जीवन नुकसान की घटना तो कम हुई है, परन्तु सम्पत्ति को कई बार नुकसान हो जाता है।	एक-दो वर्ष में भयंकर तुफान अवश्य आते हैं जो होर्डिंग, पेड़, मोबाईल टावर को नुकसान पहुंचाते हैं।
9. ओलावृष्टि :- ओलावृष्टि वर्षा के समय ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में प्राकृतिक घटना है। इसके कारण से खेती को अधिक नुकसान होता है।	फसल, मवेशी इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। फसल चोपट होने से किसान का मानसिक, आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है।	वर्षा एवं शरद ऋतु में कई बार ओलावृष्टि होती है। औसत रूप से 03 वर्ष में एक बार ओलावृष्टि से जिले के बड़े हिस्से में फसल का नुकसान होता है।
10. घना कोहरा एवं पाला :- कोहरा एवं पाला शीत ऋतु में तापमान बहुत कम होने घटित होता है।	इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वाहन चालक होते हैं। फसल एवं पेड़ों को भी नुकसान होता है।	यह प्रतिवर्ष होने वाली घटना है, शीत ऋतु में औसत रूप से 15 दिन कोहरा एवं पाला रहता है।
11. रासायनिक, औद्योगिक, एवं परमाणु सम्बन्धी :- ये घटनायें मानवीय घटनायें हैं, जिले में अभी ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है।	सम्पूर्ण मानव समुदाय ऐसी घटनाओं से प्रभावित हो सकता है।	अभी तक इस प्रकार कि कोई घटना/आपदा नहीं हुई है। और सम्भावना भी कम है।
12. जैविक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी :- ये मौसमी बिमारियों से सम्बन्धित हैं, वर्ष में कभी-कभी कई बिमारियों अपना असर दिखाना शुरू करती हैं।	जैविक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी बिमारियां ज्यादातर बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्ग व्यक्तियों को अपने चपेट में लेती हैं, भीड़-भाड़ भरे माहोल में काम करने वाले भी इसके शिकार हो जाते हैं।	ये घटनायें गत 10 वर्षों में बढी हैं, प्रायः दो वर्ष में एक बार कोई न कोई बिमारी अपना असर अवश्य दिखाती है।
13. आग :- आग का खतरा शहरों में तथा औद्योगिक, प्रतिष्ठानों में हमेशा बना रहता है।	इससे जान माल दोनों का बहुत अधिक नुकसान होता है।	जिले में आग कि कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई है। छिटपुट घटना होती है। जिस पर काबु पा लिया जाता है।

14. बम विस्फोट :- बिमार मानसिकता वाले लोग इस प्रकार कि घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसका खतरा हमेशा बना रहेगा।	जिले में ऐसी कोई घटना कभी भी घटित नहीं हुई है। घटित होने पर जान माल दोनों का नुकसान हो सकता है।	अभी तक जिले में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। नियमित सावधानी अतिआवश्यक है।
15. आंतकवादी हमला :- बिमार मानसिकता वाले लोग इस प्रकार कि घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसका खतरा हमेशा बना रहेगा।	जिले में ऐसी कोई घटना कभी भी घटित नहीं हुई है। घटित होने पर जान माल दोनों का नुकसान हो सकता है।	अभी तक जिले में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। नियमित सावधानी अतिआवश्यक है।
16. पड़ोसी देश का हमला :- इसका खतरा हमेशा बना रहेगा। पाकिस्तान कि सीमा जिले से बहुत ज्यादा दूर नहीं है।	इससे सम्पूर्ण जिला प्रभावित होगा।	पुर्व में हुए पाक युद्ध से जिले में कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मानसिक रूप से यह लोगों को कमजोर बना देता है।
17. साम्प्रदायिक दंगों :- जिले में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। अतः इसका भय हमेशा रहता है।	जिले में साम्प्रदायिक दंगों कि कई घटनाएँ घटित हो चुकी हैं। जिसमें बाजार में तोड़फोड़ ,आगजनी, पत्थरबाजी, मारामारी घटनाएँ हुई हैं।	चूरू, राजगढ़, में ऐसी घटनाएँ कई बार घटित हो चुकी हैं।
18. जातिगत उपद्रव, आन्दोलन :- वर्तमान परिदृश्य में उपद्रव/आन्दोलन तेजी से बढ़ रहा है। इन पर नजर रखना आवश्यक है।	जातिगत उपद्रव में पुलिसकर्मी तथा संलग्न जाति के लोगों को जान का नुकसान हुआ है। सरकारी सम्पति में आगजनी हुई है।	हाल ही में घटना घटित हुई है इससे पहले भी छिटपुट घटना होती रही है।
19. त्योहारों,उत्सवों, मेलों में भगदड़ :- विविध सांस्कृतियों के कारण त्योहार उत्सव मेले होते रहते हैं। सालासार मेला भीड़ के कारण ज्यादा संवेदनशील है।	मेलों में भगदड़ कि सम्भावना के कारण ऋदालुओं को जान माल कि हानी हो सकती है।	अभी तक जिले में मेलों, त्योहारों में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है।
20. गैनाणी समस्या :- चूरू, सुजानगढ में गैनाणी के टुटने के कारण नुकसान कि सम्भावना हमेशा रही है।	गैनाणी टुटने से आस पास के घरों में पानी भरने से थोड़ा नुकसान हुआ है। तथा फसले भी खराब हुई है।	चूरू, सुजानगढ में कई बार गैनाणी टुटने की घटनाएँ हुई हैं।

अध्याय-3

संस्थागत व्यवस्थाएं (Institutional Arrangement for DM)

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

3.1 संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने जिन आपदाओं को चिन्हित किया है उन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया गया है।

3.2 संवेदनशीलता :- किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।

लोग, स्थिति, स्थान, समय, घटना

(1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है। घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

(स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ

(द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर चूरू जिला भूकम्प के दृष्टिकोण से लो डेमेज रिस्क जोन में है। अतः भूकम्प से नुकसान की संभावना बहुत कम है।

(ब) पक्की हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

जिले में पक्की हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है। शहरी क्षेत्र में नुकसान की सम्भावना अधिक है क्योंकि वहां कम क्षेत्रफल में अधिक मकान एवं व्यक्ति रहते हैं।

(ग) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ

इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की सम्भावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक कहा जा सकता है। लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है।

(द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोंपड़ियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम/से. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की सम्भावना है।

(2) आर्थिक, सामाजिक संवेदनशीलता

चूरू जिले में विगत वर्षों में कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक अथवा मानवकृत आपदा नहीं आई है। परन्तु आपदा कहीं भी कभी भी उत्पन्न हो सकती है।

है। अथवा आ सकती है, जिले कि भौगोलिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए जिले का (HVCRA) विश्लेषण निम्न प्रकार से हैं :-

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (4)
1. भूकम्प :- यहां कभी भी बड़े भूकम्प के झटके नहीं आये हैं रिक्टरमापनी पर 5 से कम स्केल के झटके अनुभव किये गये हैं। लेकिन यह एक प्राकृतिक घटना है जो कभी कहीं भी घटित हो सकती है। वैसे चूरु भूकम्प जोन----- में आता है परन्तु इसका खतरा हमेशा बना रहता है।	बड़ा भूकम्प आने पर यहां भारी तबाही होने कि सम्भावना है। क्योंकि यहां पर भवन संरचना भूकम्प रोधी नहीं है तथा साथ ही भवन बहुत अधिक मजबूत भी नहीं है। यह खतरा कभी भी बड़ी आपदा बन सकता है।	चूंकि यहां भवन भी भूकम्प रोधी एवं बहुत अधिक मजबूत नहीं है तथा साथ ही साथ लोगों को भूकम्प से बचने के उपाय मालूम नहीं है अतः जोखिम हमेशा बना रहेगा। अथवा उसे रोकने कम करने के लिए भविष्य में बनने वाले भवनों का डिजाईन भूकम्प रोधी होना चाहिए।	स्कूली छात्र छात्राओं बुजुर्ग व्यक्ति एवं महिलाएं अतिसंवेदनशील वर्ग में आयेंगे। क्योंकि यह भवन के अन्दर ही ज्यादातर रहते हैं इसके अलावा पशुधन भी इसकी चपेट में ज्यादा आ सकता है।

सुझाव :- आपदा आने से पहले के सुरक्षात्मक उपायों को अपना कर प्राकृतिक आपदा भूकम्प के प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसके लिए स्कूल, कॉलेज एवं जनसाधारण करें समय – समय पर प्रशिक्षण शिविर, कार्यशाला, मोकड़ील, व्याख्यान आदि के माध्यम से जागृत करना आवश्यक है। स्कूल, कॉलेज में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, निबन्ध चित्रकला, नारा लेखन आदि के माध्यम से जागरूक करना अति आवश्यक है।

2. बाढ़ :- जिले में बाढ़ की स्थिति कुछ समय के लिए सरदारशहर, सुजानगढ़ एवं चूरु में मूसलाधार वर्षा के कारण उत्पन्न हुई है तथा भविष्य में भी इसका खतरा वर्षा ऋतु में हमेशा बना रहेगा। क्योंकि इन कस्बों कि बसावट कटोरीनुमा है अर्थात जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है।	बाढ़ आने पर शहरी क्षेत्रों के निचले इलाकों में जहां पानी भी सुचारु नहीं है अत्यधिक पानी एकत्रित होने से आपदा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपदा उत्पन्न होने पर सम्पत्ति को भारी नुकसान हो सकता है।	कुछ शहरों (चूरु, सरदारशहर एवं सुजानगढ़) में बाढ़ आने का जोखिम ज्यादा एवं अन्य शहरों एवं ग्रामिण इलाकों में जोखिम कम हो सकता है लेकिन मूसलाधार वर्षा (Cloud Burst) होने की स्थिति (Risk) हमेशा बनी रह सकती है।	संवेदनशीलता के रूप में महिलाएं, बुजुर्ग एवं बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा मरीज भी इसकी चपेट में आ सकते हैं इसके अलावा निचले इलाकों में रहने वाले सभी लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।
--	---	---	--

बचाव :- बाढ़ आने को तो हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन बचाव के उपायों को समय रहते इसके अलावा होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए स्कूल, कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राष्ट्रीय कैडेट कौर तथा स्काउट गाइड के माध्यम से बचाव के उपायों हेतु जागरूक किया जा सकता है। इनके होने वाले एक दिवसीय/साप्ताहिक शिविरों में व्याख्यान आदि रखकर जागरूक किया जाना अति आवश्यक है। NSS. NCC. SCOUT. YDC. आदि पर सरकार पहले से ही काफी बजट दे रही है। तो शुन्य बजट पर इनमें माध्यम से आपदा जागरूकता के विविध कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अतिसंवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
3. सूखा :- सूखे की स्थिति उसे समय उत्पन्न हो सकती है जब वार्षिक वर्षा सामान्य वार्षिक वर्षा की 70 : या उससे भी कम हो। मरुस्थलीय दशाएं होने के कारण प्रति	50 प्रतिशत से भी कम औसत वर्षा होने पर सूखा आपदा की स्थिति बना सकता है। यह कभी भी यथावत हो सकता है।	मरुस्थलीय दशाएं होने के कारण सूखा/अकाल का जोखिम प्रत्येक दो, तीन वर्षों के अंतराल से बना रहता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव किसानों की आर्थिक स्थिति पर तो पड़ता ही है। परन्तु उसकी मानसिक दशा भी कमजोर हो जाती है।	सबसे अधिक प्रभावित होने वाला वर्ग जिले का किसान वर्ग है। किसान वर्ग में भी इसके सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे क्योंकि उन्हें उचित एवं संतुलित आहार नहीं मिलेगा।

दो, तीन वर्षों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है।			
---	--	--	--

सुझाव :-सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो मरुस्थलीय भागों में उत्पन्न होती रहती है। इसके लिए दिर्घकालिन उपाय करने आवश्यक है। सबसे पहले तो जिले में वन क्षेत्र को बढ़ाना ही वर्तमान में जिले में वन क्षेत्र केवल 0.7 प्रतिशत है जो राजस्थान में सबसे कम है इसका वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना है, तीसरा भूमिगत जल के उपयोग एवं दोहन को सिमित करना ही चौथा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए बायोखाद का अधिकतम उपयोग करना है। तथा चौथा काजरी, जोधपुर की सहायता से मरुस्थलीय क्षेत्र में कम जल में पैदा होने वाली फसलों को बढ़ावा देता है।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (4)
गर्म लहर (लू), आँधी एवं तुफान :- जिले की स्थिति मरुस्थलीय होने तथा भूमण्डलीय तापमान (Global Warning) वृद्धि के कारण लू, आँधी एवं तुफान का खतरा ग्रीष्म ऋतु में हमेशा बना रहता है।	लू, आँधी एवं तुफान कभी भी विकराल रूप ले सकते हैं इसके कारण से स्वास्थ्य सम्बन्धित गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तुफान के कारण जानमाल की काफी क्षति हो सकती है।	लू के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धित जोखिम विशेषकर मई एवं जून माह में हमेशा बना रह सकता है। आँधी एवं तुफान की वजह से बिजली, टेलिफोन, मोबाईल टावर इत्यादि के नुकसान होने का खतरा हमेशा बना रह सकता है।	हाईपावर लाईन, मोबाईल टावर तथा बड़े बड़े होर्डिंग्स के आस पास रहने वाले समुदाय इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा झोंपड़ीनुमा घरों एवं कच्चे घरों में रहने वाले लोग भी अत्यधिक प्रभावित होंगे। लू की चपेट में घर से बाहर रहने वाले नौकरी पेशा वाले लोग एवं व्यवसायी अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

सुझाव :-लू से बचने के उपायों पर जनसाधारण को जागरूक किया जाना चाहिए। इसके अलावा आँधी एवं तुफान के प्रभाव को कम करने के लिए घरों एवं बस्तियों के आसपास से बिजली की हाईपावर लाईन, मोबाइल टॉवर एवं बड़े-बड़े होर्डिंग्स नहीं लगाने चाहिए। कच्चे घरों की छत को मजबूती से बाँधा जाना चाहिए।

खतरा (1)	आपदा (2)	जोखिम (3)	अति संवेदनशील वर्ग (4)
घना कुहरा, पाला एवं ओलावृष्टि :- वर्षा ऋतु में ओलावृष्टि तथा शीत ऋतु में घना कुहरा तथा पाला का खतरा इस क्षेत्र में हमेशा बना रहता है। क्योंकि चूरु में शीत ऋतु में तापमान शून्य तक पहुँच जाता है।	घना कुहरा रोड़ दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बन सकता है तथा इससे दुर्घटना के खतरे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार पाला एवं ओलावृष्टि से फसलों का काफी नुकसान होने से आपदा उत्पन्न हो सकती है।	घना कुहरा, पाला एवं ओलावृष्टि का जाखिम वर्षा एवं शीत ऋतु में हमेशा बना रहता है। साथ ही कुहरे से सड़क दुर्घटना का जाखिम भी बना रहता है।	पाला एवं ओलावृष्टि से किसान सबसे अधिक प्रभावित होंगे इसके अलावा क्षेत्र की वनस्पति को भी भारी नुकसान होगा। इसी प्रकार घना कुहरा से सड़क पर सफर करने वाले यात्रियों को जान माल का नुकसान अधिक होगा।

सुझाव :- घना कुहरा के समय बचाव का सबसे उत्तम उपाय है कि हाईवे/सड़क पर नहीं चलायें। यदि जरूरत पड़ने पर जाना आवश्यक हो तो गाड़ी धीरे चलायें एवं वाहन की लाईट ऑन करके ही वाहन चलायें। पाला एवं ओलावृष्टि से फसलों को बचाने के आधुनिक उपायों को अपनाकर फसलों एवं पौधों को बचाया जा सकता है।

खतरा (1)	आपदा (2)	जोखिम (3)	अतिसंवेदनशील वर्ग (4)
शीत लहर :- क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान शून्य से भी निचे चला जाता है तथा उत्तर भारत में बर्फबारी होन की स्थिति में शीत लहर का प्रकोप रहने का खतरा बढ़ जाता है।	शीत लहर से सावधानी नहीं रखी जाये अथवा जनसमुदाय को इससे समय रहते अवगत ना करवाया जाये तो यह आपदा बन सकती है।	शीत लहर के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम हमेशा बना रहेगा। जन जीवन असामान्य हो सकता है।	स्कूली बच्चों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बेघर लोग,मुशाफिर,भिखारी आदि भी इसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं। पशुधन का भी भारी नुकसान हो सकता है।

सुझाव :- शीत लहर से बचने का एकमात्र उपाय है कि ज्यादातर अपने घरों में ही रहे। बाहर निकले तो आवश्यक रूप से गर्म कपड़े आदि पहन कर निकलें। बच्चों को घर पर ही रखा जाना चाहिए। प्रशासन द्वारा उचित मात्रा में रेन बसेरो की व्यवस्था करनी चाहिए।

खतरा (1)	आपदा (2)	जोखिम (3)	अति संवेदनशील वर्ग (4)
आकाशीय विद्युत आपदा : (बिजली का गिरना) आकाशीय बिजली का खतरा वर्षा ऋतु में सबसे अधिक रहता है।	आकाशीय बिजली गिरने से मानव तथा पशुधन की बड़े पैमाने पर मृत्यु होने पर यह आपदा बन सकती है। इसके कारण भवन टूट फुट जाते हैं तथा आग भी बड़े पैमाने पर लग सकती है।	वर्षा ऋतु में इसका खतरा हमेशा बना रहता है। विशेषकर भवन टूटना एवं आग लगना सामान्य बात है। मानव एवं पशुधन का भी नुकसान का जोखिम रहता है।	इसके कारण सबसे अति संवेदनशील कामगार व्यक्ति रहते हैं। जो वर्षा ऋतु में खुले में काम करते हैं।

सुझाव :- यह एक आकस्मिक एवं कहीं भी घटित होने वाली घटना है। वर्षा ऋतु एवं मौसम खराब होने की स्थिति में घरों में रहकर ही सावधानी बरती जा सकती है।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (4)
जहरीली गैस रिसाव :- जिले में इस प्रकार कोई उद्योग नहीं है जिससे ऐसी कोई जहरीली गैस का रिसाव हो। परन्तु जिला मुख्यालय एवं अन्य कस्बों के पास से राष्ट्रीय एवं राज्यमार्ग पर जहरीली गैसों के परिवहन के समय कोई दुर्घटना का खतरा हो सकता है।	राष्ट्रीय एवं राज्य सड़क मार्गों पर दुर्घटना घटित होने पर यह आपदा का रूप धारण कर सकती है।	दुर्घटना घटित होने पर मानव एवं पशुधन का व्यापक रूप से नुकसान हो सकता है। मनुष्य शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है। आँखों कि रोशनी, खाँसी, अस्थमा आदि रोग हो सकते हैं। पेयजल को दुषित कर सकती है।	राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों के सहारे स्थित कस्बे। गांवों के लोग सभी अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य लोग सड़क पर गुजर रहे हैं वे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। गर्भवती महिलाएं एवं बच्चे भी अधिक चपेट में आ सकते हैं।

सुझाव :- जहरीली गैस रिसाव के समय बचने के उपायों के बारे में जनसाधारण को जानकारी होनी चाहिए। NSS, NCC, एवं SCOUT के शिविरों के माध्यम से छात्रों में जागरूकता विकसित करना आवश्यक है।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (4)
परमाणु विपदा :- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रेडिएशन के रिसाव की सम्भावना हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय बदलते परिदृश्य में परमाणु हमले की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है।	संयंत्रों से रेडिएशन के रिसाव एवं परमाणु हमले से बड़े स्तर पर तबाही आ सकती है।	परमाणु विस्फोट रेडिएशन से मानव एवं पशुधन की जान का खतरा सबसे अधिक है।	सबसे अधिक खतरा गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को अधिक रहेगा इसके अलावा आमजन में सभी आयु वर्ग के लोग इससे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

सुझाव :- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के रिसाव को उत्पन्न ऊर्जा संकट के लिए सोलर ऊर्जा को प्रारम्भ से ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। परमाणु विस्फोट अथवा हमले के दौरान की जाने वाली सावधानियों से जनसाधारण को जागरूक करना अति आवश्यक है।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (4)
औद्योगिक विपदा :- जिले में औद्योगिक विकास अधिक नहीं है इसलिए इसकी सम्भावना शुन्य है फिर आग लगने की सम्भावना हमेशा बनी रहती है।	आग लगने पर औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी विपदा उत्पन्न हो सकती है।	औद्योगिक इकाइयों में चूरी में केवल आग लगने का ही खतरा है अन्य कोई बड़ी इकाइयां नहीं है।	औद्योगिक क्षेत्र में तथा आसपास बस्तियों के लोग इससे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

सुझाव :- औद्योगिक क्षेत्र में मानव अधिवास पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध होना चाहिए। इसके अलावा भविष्य में औद्योगिक क्षेत्र में आवास सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, जेल आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक अग्निशमन यंत्र होना चाहिए तथा साथ ही साथ स्टाफ को इसे ऑपरेट करना भी आना चाहिए।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अतिसंवेदनशील वर्ग (4)
मानव जनसंख्या विस्फोट:- बढ़ती जनसंख्या से विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय एवं सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जिसके कारण से अधिक जनसंख्या विभिन्न प्रकार से समाज के लिए खतरा हो सकता है।	बढ़ती जनसंख्या से बेरोजगारी, विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं आपदा का रूप धारण कर सकती हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या भी भविष्य में आपदा को निम्न्त्रण देने के बराबर ही है।	बढ़ती जनसंख्या से बेरोजगारी, सामाजिक तनाव, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, परिवहन, जल संसाधन, आदि का जोखिम हमेशा बना रहेगा।	समाज के सभी वर्ग अथवा सम्पूर्ण जिला इससे अतिसंवेदनशील हो सकता है।

सुझाव :- जनसंख्या एवं परिवार नियोजन के उपायों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
महामारी :- एकल पैधोजेन स्त्रोतों से उत्पन्न मनुष्यों की बिमारियों का खतरा हमेशा रहता है। इसमें मुख्य रूप से इनफ्लुएन्जा, हैजा, डेंगु, ज्वर, इबोला, मलेरिया, HIV/AIDS, स्वाइन फ्लू, वाइरल आदी मुख्य है।	समय पर इन्हें नियन्त्रित नहीं किया जावे अथवा सावधानी नहीं रखी जावे तो ये आपदा का रूप ले सकती है।	वर्तमान परिदृश्य में इसका खतरा हमेशा बना रह सकता है। कई बार प्रयोगशालाओं में परीक्षण अथवा असावधानी की वजह से भी ये खतरनाक हो सकते हैं।	समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति इसके चपेट में आ सकते हैं। स्कूली छात्र एवं भीड़भाड़ में रहने वाले लोगों को इसका ज्यादा खतरा है।

सुझाव :- प्रयोगशालाओं में काम करते समय जैव सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए। सफाई व्यवस्था, मेडिकल अपशिष्टों कचरा, सीवर, ड्रेनेज आदि का निस्तारण मानक के अनुसार होना चाहिए। आम जनता को पैधोजेन के खतरों तथा दूरप्रभावों के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अतिसंवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
टिडडी दल आक्रमण:- किसी खास क्षेत्र में करोड़ों अरबों टिडडियों का विशाल झुण्ड किसी अन्य क्षेत्र में पचालन करने का खतरा बना रहता है।	दुसरे क्षेत्र से लाखों करोड़ों में टिडडियों के विशाल झुण्ड फसलों एवं पौधों की सभी पतियों को चट कर जाते हैं जिससे भुखमरी उत्पन्न होने पर आपदा आ सकती है।	भुखमरी उत्पन्न होने से सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो सकता है सामाजिक, प्रशासनिक एवं राजनैतिक तनाव उत्पन्न हो सकता है अकाल उत्पन्न हो सकता है।	इसकी चपेट में सबसे पहले किसान वर्ग आयेगा क्योंकि फसलों से उसकी आजीविका जुड़ी है। किसान वर्ग के वश्यात अन्य सभी कमजोर वर्ग को अधिक खतरा रहेगा।

सुझाव :- टिडडी हमले के दौरान इन्हें रोकने के लिए किटनाशी एवं रोगनाशी रसायनों का छिड़काव सम्पूर्ण क्षेत्र में तुरन्त किया जाना चाहिए।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अतिसंवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
जानवरों में महामारी :- पशु महामारी छुत की बिमारी है जो किसी क्षेत्र देश अथवा पुरे विश्व की किसी एक प्रजाति या कई प्रजातियों को एक ही समय में या अलग अलग समय पर प्रभावित कर सकती है।	बर्ड फ्लू, स्वाइन ज्वर, फुट एवं माउथ रोग, आदि के व्यापक रूप से फैलने से आपदा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।	पशु संक्रमण एवं महामारी का खतरा ग्रामिण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में हो सकता है। ग्रामिण समुदाय में पशुपालकों को एवं शहरी क्षेत्र में माशाहारी लोगों को जोखिम हमेशा बना रहता है।	संक्रमण एवं महामारी से पशुपालक एवं माशाहारी लोगों को ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा रहेगा।

सुझाव :-महामारी से प्रभावित क्षेत्र में पशुओं की खरीद फरोख्त एवं परिवहन पर प्रतिबन्ध। संक्रमित/असंक्रमित पशुओं के मास की बिक्री पर रोक लगाना। व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाना।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
जैविक हमला :- वर्तमान विश्व परिदृश्य में जैविक हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है। इससे पौधों, जानवरों, एवं मनुष्यों विविध रोग उत्पन्न होने का अधिक खतरा है।	जैविक हमला होने के पश्चात यह आपदा का रूप धारण कर सकता है। बैक्टेरिया, वायरस, परजीवी इत्यादि घातक रूप से आपदा का कारण बन सकते हैं।	वर्तमान विश्व परिदृश्य में जैविक हमले का जोखिम हमेशा रहेगा।	क्षेत्र में वनस्पति, पशुधन एवं मनुष्य सभी असुरक्षित हो सकते हैं। बचाव के लिए सरकार एवं WHO के दिशा निर्देशों का पालन करें।

सुझाव :-जैविक हमले से बचने के लिए सर्वव्यापी रोगों के प्रति सुरक्षा विकसीत करने के लिए सम्बन्धित प्रदेश/देश को अन्तराष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से परस्पर सहयोग पर सहायता लेनी चाहिए।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
आग लगना :- विभिन्न उपयोगों वाले भवनों जैसे प्राइवेट एवं सरकारी कार्यालय, सिनेमा हॉल, शोपिंग माल, औद्योगिक प्रतिष्ठान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, आवासीय, मेला, क्षेत्र इत्यादि में अग्निकांड का खतरा हमेशा बना रहता है।	समय रहते अग्निकांड पर काबू ना किया जाये तो यह आपदा का रूप ले सकती है। यह लापरवाही अथवा जानबुझकर दोनों प्रकार से आपदा का रूप धारण कर सकती है।	मानवीय भूल, शॉर्ट सर्किट, मौसमी कारण लापरवाही, आंतकी हमला, आगजनी आदि का जोखिम हमेशा बना रहता है।	बड़ी इमारतें अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र शहर का आन्तरिक भाग जहां गलियां बहुत तंग हैं इत्यादि क्षेत्र इससे ज्यादा संवेदनशील हैं।

सुझाव :-भवन निर्माण में सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन, प्रशिक्षित स्टाफ एवं पूर्ण रूप से अग्निशामकों (fire extinguisher) व्यवस्था सभी भवनों में होनी चाहिए। सजगता एवं सुरक्षा मानकों का प्रशिक्षण।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
बम विस्फोट :- आतंकवाद किसी जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, तथा क्षेत्र की प्रवाह नहीं करता है। क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है इसी कारण से इसका खतरा हमेशा बना रह सकता है। आतंकवाद हमेशा डर तथा मनोवैज्ञानिक सदमा पैदा करता रहता है।	आतंकवाद द्वारा छोटे या बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के पश्चात यह बड़ी आपदा का रूप धारण कर सकता है। लौगों में मनोवैज्ञानिक डर के कारण बहुत सी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।	वर्तमान विश्व परिदृश्य एवं सामाजिक परिदृश्य में आतंकवाद का जोखिम छोटे स्तर से लेकर व्यापक स्तर तक हमेशा बना रह सकता है। इसका जोखिम हमला कई रूपों में हो सकता है।	अत्यधिक भीड़ वाले क्षेत्र, धार्मिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, मेले सरकारी इमारतें इत्यादि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।

सुझाव :-नागरिकों को स्कूल जीवन से ही राष्ट्रियता का पाठ पढ़ाना। सजगता एवं जागरूकता से कार्य करना। जातिवाद, धार्मिक, क्षेत्रवाद अथवा अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों से सख्ती से निपटना। भाईचारा बनाये रखने पर बल देना। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करना। सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, शहर के अन्दर प्रवेश करने वाली रोड़, आदि पर सीसीटीवी लगाकर MONITORING करना।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
सड़क, रेल दुर्घटना :- राज्य सड़क मार्ग एवं राष्ट्रीय सड़क मार्गों पर परिवहन के अत्यधिक	खराब सड़कें, लापरवाही, तेज गति, नशे में वाहन चलाना, ब्रेक विफलता, निंद आना, आदि कारणों	खराब एवं टूटी फूटी सड़कों नशे में वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, वाहन या गाड़ी	वाहन चालक, पैसेन्जर एवं उसका परिवार इन दुर्घटनाओं/आपदाओं से सबसे ज्यादा पीड़ित होता है।

दबाव के कारण हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है।	के लगातार रहने से बड़ी दुर्घटनाएँ आपदा का कारण बन सकती हैं।	का खराब रख रखाव आदि बहुत से कारणों से सड़क/रेल दुर्घटना का जोखिम बना रहता है।	
--	---	---	--

सुझाव :-ड्राइविंग लाइसेंस पूर्ण मापदण्ड पूरे होने पर ही जारी करना। रेल/सड़क वाहन चालक को ड्यूटी के दौरान पर्याप्त एवं समय पर आराम करने की सलाह। वाहन चलाते समय नशा/मोबाइल पर वार्तालाप/लापरवाही बरतने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करना। सड़कों/रेलवे लाइन का रख रखाव सही समय एवं मापदण्डों के अनुसार किया जाना चाहिए। दुर्घटना घटित होने पर त्वरित कार्यवाही एवं आपातकालिन वाहनों की उचित व्यवस्था इत्यादि।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
आतंकवाद हमला :-वर्तमान विश्व परिदृश्य में किसी भी छोटी/बड़ी जगह एवं किसी भी प्रकार का आतंकी हमला कभी भी कहीं भी घटित होने का खतरा हमेशा बना हुआ है।	मुश्तैदी/सजगता एवं पूर्ण चौकसी तथा समय पर तुरन्त कार्यवाही न कि जावे तो छोटी सी आतंकी घटना यथा आगजनी, बम विस्फोट, जैविक हमला, लुटपाट आदि बड़ी आपदा में परिवर्तित हो सकते हैं।	वर्तमान समय में किसी भी प्रकार के आतंकी हमले का जोखिम हमेशा बना हुआ है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यात्री गाड़ी बस, स्कूल, कॉलेज, भीड़ भाड़ वाली जगह, सरकारी कार्यालय, परमाणु ऊर्जा गृह, ताप बिजली घर आदि पूर्ण रूप से जोखिम भरे हैं।	आतंकी हमलों में सबसे अधिक संवेदनशील, स्कूल/कॉलेज के बच्चे, नोकरी पेशा करने वाले लोग ज्यादा हो सकते हैं।

सुझाव :-शहर के प्रमुख स्थानों यथा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल सिनेमा घर, बैंक, सार्वजनिक स्थान, सुरक्षा से जुड़े भवन, आदि को CCTV के माध्यम से लगातार चौकसी में रखा जाना चाहिए। जनसमुदाय को भी संवेदनशील होकर सार्वजनिक स्थानों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों की निगरानी रखनी चाहिए।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
पड़ोसी देश का हमला :-जिला पाकिस्तान सीमा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है अतः पड़ोसी देश के हमले का खतरा भी जिले में हमेशा बना रहगा।	हमले के दौरान नागरिक सुरक्षा, सुरक्षा, किसी भी तरह के परमाणु विस्फोट, बमबारी, जैविक हमले की स्थिति में आपदा आ सकती है।	पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने के कारण हमले के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था अमन एवं सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त होने का जोखिम है।	हमला होने की दशा में सम्पूर्ण जिले के लोग असुरक्षित हो सकते हैं। जान माल का नुकसान हो सकता है।

सुझाव :-नागरिकों को पड़ोसी देश का हमला होने के पश्चात किस-किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए को जानकारी देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में किस प्रकार के हमले से कैसे बचाव किया जा सकता है या सुरक्षित रहा जा सकता है पूर्ण प्रशिक्षण/जानकारी जिले के सभी नागरिकों को होनी चाहिए। आपातकाल स्थिति में खाद्यान्न भण्डार, शुद्ध पेयजल, एवं अन्य सेवाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
साम्प्रदायिक दंगे :-जिले में विविध संस्कृति एवं धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं अतः साम्प्रदायिक दंगे अथवा माहोल खराब होने का खतरा कभी भी उत्पन्न हो सकता है।	साम्प्रदायिक माहौल खराब होने की स्थिति में समय पर कार्यवाही ना की जाये तो यह बड़ी आपदा का कारण बन सकता है।	सभी समाज के सभी वर्गों में थोड़े बहुत शरारती तत्व अवश्य होते हैं जो अपने निजि लाभ हेतु दूसरे लोगों को भड़का सकते हैं अतः इसका जोखिम हमेशा बना हुआ है।	समाज के सभी वर्ग एवं जाति लोग इससे असुरक्षित हैं लेकिन सबसे अधिक असुरक्षित वे लोग हैं जो किसी भी जाति/धर्म के लोगों में रहते हों और उनकी संख्या अधिक हो तो वो अल्प संख्या वाले समुदाय का नुकसान कर सकते हैं।

सुझाव :-साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने पर पर पुलिस प्रशासन द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। सभी धर्म के प्रमुख लोगों की बैठक बुलाकर समझाईस होनी चाहिए। लोगों में एक दूसरे की धार्मिक आस्था के प्रति सम्मान की भावना विकसीत की जानी चाहिए।

धार्मिक स्थान से लाउडस्पीकर पर भड़कीले भाषण पर प्रतिबन्ध किया जाना चाहिए। इन्टरनेट सेवा को तुरन्त बंद किया जाना चाहिए। फेसबुक एवं वॉट्सएप तथा तथा अन्य सोशल मीडिया पर ग्रुप मैसेज भेजने की व्यवस्था स्थायी रूप से बंद होनी चाहिए।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
जातिगत उपद्रव, दंगे :- जिले में विभिन्न समुदाय एवं जाति के लोग रहते हैं। कई बार आपसी विवाद को लेकर अथवा राजनैतिक एवं प्रशासनिक विवाद को लेकर उपद्रव अथवा दंगे बंद अदिकी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है।	जातिगत उपद्रव, बंद दंगे, आगजनी आदि बड़ी दुर्घटना बनकर आपदा का रूप धारण कर सकती है।	जिले में विभिन्न समुदाय एवं जाति के लोग रहते हैं जिनके सरकार प्रशासन से अलग-अलग अपेक्षाएं हो सकती हैं। आरक्षण के कारण भी जातिगत मतभेद हो सकते हैं जिसमें उपद्रव का जोखिम बना हुआ है।	इसमें सार्वजनिक सम्पत्ति का अधिक नुकसान होने की सम्भावना है। तथा सुरक्षाकर्मी की जान को ज्यादा खतरा है। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी कार्मिक भी ज्यादा संवेदनशील हैं।

सुझाव :-जातिगत उपद्रव, दंगे आगजनी की स्थिति के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। हालात को सख्ती से एवं सुझबुझ से सामान्य करने का प्रयास ही उचित उपाय है। सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को उचित दण्ड दिलवाना चाहिए।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
त्यौहार, उत्सव, मेलों में भगदड़ :- जिले में विभिन्न समुदायों में विभिन्न त्यौहार, उत्सव मेलों आदि का आयोजन होता है। इसमें पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य कमियों के कारण भगदड़/आगजनी की सम्भावना हो सकती है।	जिले में सालासार मेले में अत्यधिक ऋदालू आते हैं अतः वहां बहुत चौकसी एवं सुरक्षा की आवश्यकता है। अन्य त्यौहार, उत्सवों मेलों में भी सुरक्षा व्यवस्था में कमी के कारण आपदा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।	त्यौहारों, उत्सवों एवं मेलों पर अत्यधिक भीड़ होने से भगदड़ मचने का जोखिम हमेशा बना रह सकता है। एवं आगजनी भी हो सकती है।	सबसे अधिक संवेदनशील के सभी ऋदालू हैं जो इन उत्सवों एवं मेलों में शामिल हैं। इसके अलावा स्थानीय होकर एवं दुकानदार भी अति संवेदनशील हैं।

सुझाव :-त्यौहारों, उत्सवों एवं मेलों में (विशेषकर सालासर मेला) सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम समय पूर्व किये जाने चाहिए। सुरक्षाकर्मी एवं स्वयंसेवकों को भी इन जगहों पर पूर्ण सतर्कता एवं सजगता से कार्य करना चाहिए। जनसाधारण को भी भीड़ में शांति बनाये रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
गेनाणी समस्या :- जिले के कई कस्बों की स्थिति कटोरेनुमा होने के कारण शहर का गंदा पानी शहर के बाहर/आसपास ही गेनाणी में एकत्रित होता है। कई बार इसके टुटने का खतरा बना रहता है।	चूंकि गेनाणी में शहर का गंदा पानी आता है अतः इसके सही रख रखाव नहीं करने पर इसकी दिवार टुटने से ये आपदा का रूप धारण कर सकती हैं।	तकनीकी खराबी, निर्माण में घटिया सामग्री, निर्माण मापदण्डों का पालन नहीं करने पर गेनाणी टुटने का जोखिम बना रहता है।	गेनाणी टुटने से इसके आसपास के निवासी बुरी तरह से प्रभावित होगी आसपास के घरों में पानी भी भर जायेगा। स्वास्थ्य के खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं।

सुझाव :-शहर में बनायी जा रही ड्रेनेज लाइन का पूर्ण मापदण्डों के अनुसार निर्माण किया जाये। गेनाणी निर्माण में मापदण्डों के अनुसार उत्तम क्वालिटी की निर्माण सामग्री का उपयोग हैं। आबादी क्षेत्र से दूर इनका निर्माण होना चाहिए। जल को फिल्टर करके खती बाड़ी में काम में लेने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण घर के पानी को यदि घर में ही एकत्रित कर किचन गार्डन के रूप में प्रयोग में ले तो इस समस्या का भविष्य में पूर्ण निदान हो सकता है।

खतरा (Hazard) (1)	आपदा (Disaster) (2)	जोखिम (Risk) (3)	अति संवेदनशील वर्ग (Vulnerable) (4)
छात्र आन्दोलन :- छात्र संघ चुनाव, प्रवेश स्थानान्तरण,	छात्र आन्दोलन शुरू होते ही संस्था प्रधान एवं	छात्र आन्दोलन के कारण सरकारी सम्पत्ति के	सबसे अधिक नुकसान सरकारी सम्पत्ति जिसमें

बेरोजगारी रिक्त पद आदि के कारण से छात्र आंदोलनों का खतरा बना रहता है।	सरकार से वार्ता के जरिये इसे आपदा होने से बचाया जा सकता है।	नुकसान का जोखिम हमेशा बना रह सकता है।	सरकारी भवन, फर्निचर बिजली उपकरण, सरकारी वाहन आदि का हो सकता है।
---	---	---------------------------------------	---

सुझाव :- छात्र आन्दोलन के समय सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था सम्बन्धित संस्था में तथा इसके आसपास होनी चाहिए। छात्रों को अपनी ऊर्जा देश के विकास/देश हित में करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 3 (1)– राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।

ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जाये।

धारा 6 (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधिन रहते हुए आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाएं, मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तरविष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय प्राधिकरण –

(क) आपदा प्रबन्धन के संबंध में नीतियां अधिकथित कर सकेगा।

(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गयी योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा।

(घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

(ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रायोजनों के लिए अपनाये जाने वाले मार्गदर्शन सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 14 (1) – राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।

प्रत्येक राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये राज्य आपदा प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

धारा 18 राज्य प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य –

(1) राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां और योजनाएं अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 25 – जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन

(1) प्रत्येक राज्य सरकार धारा 14 के उपधारा 1 अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से जो अधिसूचना विनिर्दिष्ट किया जाये एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और 7 से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये, और जब तक की नियमों में अन्यथा उपबन्ध न किया जाये इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(क) जिले का यथा स्थिति कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधी जो पदेन सहअध्यक्ष होगा।

(ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी– सदस्य

(घ) पुलिस अधीक्षक–सदस्य

(ङ) जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी–सदस्य

(च) 2 से अनधिक जिलास्तर के अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जावेगा।

(3) ऐसे किसी जिले में जहां जिला परिषद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होगा।

(4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को जो यथास्थिति पर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पक्ति से नीचे का ना हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये, और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाये, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

धारा 26— जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां ।

(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला प्राधिकरणों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो जिला प्रायोजन से प्रत्यायोजित करें।

(2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को आपात की दशा में जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी। किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योत्तर के अनुसमर्थन के अधीन रहते होगा।

(3) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथास्थित, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में ऐसी शक्तियों और कृत्य जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों, यदि कोई हो, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

धारा 28—सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन।

(1) जिला आपदा प्राधिकरण, जब भी वो आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।

(2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

धारा 29 — जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

धारा 30 — जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य।

(1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबन्धन के प्रायोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :-

- i. जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबन्धन योजना तैयार कर सकेगा,
- ii. राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मॉनीटर कर सकेगा,
- iii. यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किये गये हैं।
- iv. यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उसके प्रभावों के समय तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।
- v. जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों की आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हो।
- vi. जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबन्धन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा।
- vii. जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबन्धन योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा।
- viii. जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबन्धन योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किये जाने के लिए।
- ix. खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा।
- x. जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके अन्वयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

- xi. तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।
- xii. जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।
- xiii. आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा।
- xiv. जिनको पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।
- xv. जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।
- xvi. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।
- xvii. यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।
- xviii. जिला स्तर पर संबद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावि मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।
- xix. जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों, कानूनी निकायों, और जिले में आपदा प्रबन्धन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा।
- xx. यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्पर से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर सकेगा, और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा।
- xxi. जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा, या उन्हें सलाह दे सकेगा।
- xxii. जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गयी विकास योजनाओं में आवश्यक उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

धारा 31 – जिला आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी।

- (1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबन्धन हेतु एक योजना होगी।
- (2) जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जायेगी, जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- (3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –
 - (क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील हैं।
 - (ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए किये जाने वाले उपाय।
 - (ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी उपाय।
 - (घ) किसी आपदा की दशा में मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबन्ध हो–
 - i. जिला स्तर की सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उतरदायित्वों का आवण्टन
 - ii. आपदा का तुरन्त मोचन और उससे राहत
 - iii. आवश्यक संसाधनों का भण्डारण
 - iv. संचार सम्पर्क की स्थापना और
 - v. जनात को सूचना का प्रसार।
 - (ङ) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।
- (4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जावेगा और उसे अद्यतन किया जावेगा।
- (5) उपधारा 2 व उपधारा 4 में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (6) जिला प्राधिकरण, जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा, जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
- (7) जिला प्राधिकरण समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा, और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह

कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

स्थानीय प्राधिकारी

धारा 41 – स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य।

(1) स्थानीय प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबन्धन के लिए प्रशिक्षित हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन से संबंधित संस्थानों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है, जिससे की यह किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अभिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनायें राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण की क्रियाकलाप करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हे वह आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक समझे।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

धारा 44 – राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। (एनडीआरएफ)

(1) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषता पूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जावेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधिन रहते हुए उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा, और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके अन्तर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबन्धन भी हैं, वे होगी जो विहित की जाएं।

धारा 45 – नियन्त्रण, निर्देशन।

बल का साधारण अधीक्षण निर्देशन और राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जावेगा, तथा बल की कमान और उसका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी में निहित होगा।

प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबन्धन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूप रेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

जिला आपदा प्रबन्धन :

1. समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढ़ाना।
2. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन नियोजन को प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।
3. सम्भावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
4. जिला में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारीयों को निर्धारित करना।
5. जिला में विद्यमान विभिन्न आपदा नियन्त्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
6. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
7. जिला में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण रिकॉर्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामन्जस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
9. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबन्धन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

संस्थागत व्यवस्था :-

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

- धारा 25 (1) के अनुरूप जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डीडीएमए) का गठन किया गया है। जिसमें निम्न सदस्य हैं—

क्र.सं.	पदनाम	प्राधिकरण में पदभार
1.	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	जिला प्रमुख, जिला परिषद	सह-अध्यक्ष

3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0	सदस्य
6.	अधिकाधी अभियन्ता जल संसाधन	सदस्य
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
8.	अति0 जिला कलक्टर (सहायता)	सचिव

प्राधिकरण के अध्यक्ष के विवेकाधिकार से जो उपयुक्त होगा किसी भी व्यक्ति विशेष एवं विशेषज्ञ को प्राधिकरण की बैठक में आमन्त्रित करने का अधिकार प्राप्त है।

चूरु जिले में स्थाई रूप से जिला आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है।

क्र.सं.	पदाधिकारी	पदनाम
1.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3.	ए.डी.एम (प्रशासन)	सदस्य
4.	ए.सी.ई.ओ, जिला परिषद	सदस्य
5.	अधिकाधी अधिकारी, नगरपालिका	सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
7.	अधिकाधी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी	सदस्य
8.	अधिकाधी अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सदस्य
9.	अधिकाधी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम	सदस्य
10.	अधिकाधी अभियन्ता, जो.वि.वि. निगम	सदस्य
11.	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक	सदस्य
12.	अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि.	सदस्य
13.	जिला सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य
14.	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
15.	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य
16.	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
17.	मण्डल अभियन्ता (ग्रामीण) (फोन्स)	सदस्य
18.	उप मण्डल अधिकारी फोन्स	सदस्य
19.	उप मण्डल अधिकारी (तार)	सदस्य
20.	स्टेशन मास्टर रेलवे विभाग	सदस्य
21.	प्रोफेसर, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरु	सदस्य

जिला संकट प्रबन्धन समूह :-

इसका मुख्य उतरदायित्व समय-समय पर खतरनाक उद्योगों से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम एवं सुरक्षा जांच करना, उद्योगों में मोक ड्रिल करवाना एवं रासायनिक दुर्घटना अधिनियम 1996 के नियम 8 के अन्तर्गत आपातकालीन तैयारी योजना एवं प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करना इसमें निम्न सदस्य रहेंगे:-

क्र.सं.	पद एवं पदनाम	समिति में पद
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	कारखाना निरीक्षक	सदस्य सचिव
3.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4.	प्रतिनिधी नगर निगम/नगरपालिका/नगरपरिषद	सदस्य
5.	उपनियंत्रक विस्फोटक	सदस्य
6.	अधिकाधी अभियन्ता पी.एच.ई.डी/पीडब्लुडी/जलसंसाधन/बिजली	सदस्य
7.	अधीक्षक मुख्य अस्पताल/सीएमएचओ	सदस्य
8.	संबंधित उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
9.	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
10.	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
11.	अधिकारी प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल	सदस्य
12.	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
13.	जिला परिवहन	सदस्य

14.	अध्यक्ष, उद्योग संघ/रीको	सदस्य
15.	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
16.	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	विशेष आमन्त्रित

जिला कार्यकारी समिति (डीईसी)

इसका मुख्य कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यक्रम को सहयोग करना है। जिला कलक्टर के आदेश से इस समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त कलक्टर राजस्व/सहायता होता है।

क्र.सं.	पद एवं पदनाम	समिति में पद
1.	अति. जिला कलक्टर (सहायता/राजस्व)	अध्यक्ष
2.	आयुक्त नगर पालिका/नगर परिषद	सदस्य
3.	अति. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4.	अधीक्षक मुख्य अस्पताल/सीएमएचओ	सदस्य
5.	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
6.	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
7.	अधिशायी अभियंता पीएचईडी/पीडब्लूडी/जल संसाधन/बिजली	सदस्य
8.	सेना अधिकारी	सदस्य
9.	समस्त उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
10.	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
11.	रेल्वे अधिकारी	सदस्य
12.	अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
13.	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
14.	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
15.	अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
16.	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
17.	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
18.	अध्यक्ष, उद्योग संघ/रीको	सदस्य
19.	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
20.	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	सदस्य

तहसील आपदा प्रबन्धन समिति :-

तहसील स्तर पर तहसीलदार समिति का अध्यक्ष होगा, एवं अन्य तहसील एवं विभाग तहसीलदार को आपदा प्रबन्धन में मदद करेंगे। नायब तहसीलदार, गिरदावर, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस, कृषि विभाग, पंचायत समिति, ब्लॉक चिकित्साधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, पशुचिकित्सक, महिला बाल पर्यवेक्षक इत्यादि समिति के सदस्य रहेंगे। तहसील की आपदा प्रबन्धन योजना राष्ट्रीय/राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी। तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधन का विकास, दक्षता एवं स्थानीय प्रशासन एवं नागरिक का प्रशिक्षण, वर्ष में एक बार योजना का संसोधन एवं नवीनीकरण करना होगा।

तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पद
1	तहसीलदार	अध्यक्ष
2	नायब तहसीलदार/गिरदावर	सदस्य सचिव
3	सहायक अभियन्ता विद्युत	सदस्य
4	सहायक अभियन्ता सा.नि.वि	
5	सहायक अभियन्ता पी.एच.ई.डी	
6	सहायक अभियन्ता खनन	
7	चिकित्साधिकारी	
8	सरपंच	
9	कृषि अधिकारी	
10	पशु चिकित्साधिकारी	
11	ईओ नगरपालिका/नगरपरिषद	
12	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	
13	महिला एवं बाल विकास कार्यकर्ता	

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष मनोनीत सरपंच होगा और संबंधित पटवारी, ग्राम सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, स्थानीय पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वयं सेवी संस्थ, सेना से सेवानिवृत्त दक्ष व्यक्ति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समिति के सदस्य होंगे।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय प्रशिक्षण, दक्षता एवं संसाधन का विकास, आपदा के समय जिला प्रशासन एवं बाहरी सहायता मिलने के पूर्व तक बचाव एवं सहायता प्रदान करना एवं जान-मान के नुकसान को रोकना है। प्रत्येक ग्राम की अपनी आपदा प्रबन्धन योजना होगी, जो राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तहसील आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगा, जिसे वर्ष में एक बार संसोधित एवं नवीनीकरण करना आवश्यक होगा।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पदनाम
1.	सरपंच	अध्यक्ष
2	ग्राम पटवारी	सदस्य
3	ग्राम सेवक पंचायत	सदस्य सचिव
4	चिकित्साअधिकारी (यदि हो)	सदस्य
5	पशु चिकित्साअधिकारी (यदि हो)	
6	स्थानीय पुलिस अधिकारी	
7	प्राचार्य/प्रधानाध्यापक (स्कूल/कॉलेज)	
8	एक सेवानिवृत्त सैनिक	
9	एएनएम	
10	स्वयंसेवी संस्था के मनोनीत सदस्य	
11	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	

कार्य योजना के उद्देश्य :-

सुचारु योजना के अभाव में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यों का समन्वय नहीं हो पता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान-माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

1. प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्ट्रोतों की सूची तैयार करना।
5. स्ट्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा 2ए में वर्णित प्रावधान के अनुसार जिला कलक्टर जिले में घटित किसी भी आपदा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए जिला कलक्टर आपदा के समय अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा उप जिला कलक्टर (जिला मुख्यालय) जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

- जिला कलक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था, इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते हैं।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना किया गया है जो कि 24 घंटे कार्यरत है।

नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलक्टर के 24 घंटे संचालित है।
 - नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. उपलब्ध है।
- जिला नियन्त्रण कक्ष (इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर) के दूरभाष नम्बर 01562-251322/1077 है।

जिला एवं स्थानीय प्रशासन

1. आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेषज्ञ सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
2. रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
3. नियंत्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।

4. सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
5. प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
6. प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना। विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
7. दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउंटर बनाना।
9. जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

अध्याय – 4

रोकथाम और शमन उपाय

(Prevention and Mitigation Measures)

प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलेक्टर उत्तरदायी होंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकते हैं। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा उप जिला कलेक्टर (जिला मुख्यालय) जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.1 स्थायी व्यवस्था

- जिला कलेक्टर जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन समिति (DDMC) का गठन करेंगे। जिसमें निम्न सदस्य होंगे।

स्थाई व्यवस्था

क्र.स.	नाम अधिकारी मय विभाग	पद
1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5	एडीएम	सदस्य
7	मु0कार्य0अधि0 जिला परिषद	सदस्य
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
9	अधीक्षण अभियंता पीएचईडी	सदस्य
10	अधीक्षण अभियंता जेबीवीएनएल	सदस्य
11	अधीक्षण अभियंता पी.डब्ल्यू.डी.	सदस्य
12	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम	सदस्य
13	डिवीजन रेलवे मेनेजर	सदस्य
14	जिला जनसम्पर्क एवं सूचना अधिकारी	सदस्य
15	जिला सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य
16	आर0टी0ओ0	सदस्य
17	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
18	जिला कमाण्डेंट (होमगार्ड)	सदस्य
19	बीएसएनएल महाप्रबन्धक	सदस्य
20	आयुक्त नगर परिषद चूरु	सदस्य

- जिला कलेक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेगे तथा प्रत्येक विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेंगे तथा सूचना सचिव सहायता को भेजेगे।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना तथा आदेश देना। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना जो कि 24 घंटे कार्यरत होगा।

4.2 नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित होगा।
- नियंत्रण कक्ष में कुल 12: व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्ति होगी (4 व्यक्ति हर पारी में)।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. होंगे।

नियन्त्रण कक्ष के फोन नं0 01562–251322 है ।

4.3 आपदा के दौरान कलक्टर की भूमिका

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकड़ें तैयार रखवाना।

4.4 जिला प्रशासन

1. आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
2. रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
3. नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
4. सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
5. प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
6. प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना। विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
7. दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउन्टर बनाना।
9. जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

4.5 पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

1. आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
2. खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
3. लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
4. आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
5. बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

4.6 नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

1. आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
2. नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे।
3. स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
4. कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

4.7 चिकित्सा विभाग की भूमिका

1. विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
2. आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
3. अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
4. आवश्यक दवाइयों का स्टॉक तैयार रखना।
5. आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
6. आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
7. एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।

8. अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
9. जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
10. ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
11. मृतकों के निस्तारण हेतु नगर पालिका की मदद लेना।

- जैविक आपदा के समय सभी व्यक्तियों को सामाजिक दूरी अर्थात् कम से कम 2 गज की दूरी बनाये रखनी चाहिए।
- घर से बाहर आवश्यकता होने पर ही जायें। सुरक्षा के लिए मास्क अवश्य लगायें।
- बार-बार साबुन से हाथ अवश्य धोना चाहिए।
- चिकित्सा कर्मियों हेतु पीपीई किट समय पर उपलब्ध करवाये जाने चाहिए।

4.8 सिंचाई विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा ;जैसे पम्पसेटो की व्यवस्था आदि करना
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
- कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

4.9 सार्वजनिक निर्माण विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारु रूप से हो सके।

4.10 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

4.11 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोड़ना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।

4.12 दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलेस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

4.13 नगर निगम

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था करना।

- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

4.14 परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

4.15 खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

4.16 पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डाक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

4.17 स्वयंसेवी संगठन

- हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।
- **सावधानी :-** किसी भी प्रकार की आपदा कभी भी कहीं भी घटित हो सकती है अतः आमजन को चाहिए कि वो अपने घरों में आवश्यक खाद्य सामग्री का भण्डार कम से कम दो माह का अवश्य रखें।

अध्याय-5

तैयारी उपाय

(Preparedness Measures)

5.1 सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है—प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे-धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

1. सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव।
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण।
- भू जल स्तर का कम होना।
- कुओं का सूखना।
- फसलों का नष्ट होना

2. सूखे के प्रकार

1. **मौसम विज्ञान संबंधी सूखा** :- अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
2. **जल विज्ञान संबंधी सूखा** :- पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना
3. **कृषि संबंधी सूखा** :- फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

राजस्थान एवं सूखा एक दूसरे के समानार्थक है। पिछले 50 वर्षों में औसतन हर दूसरा वर्ष सूखे की समस्या से प्रभावित वर्ष रहा है। चरुयद्यपि सूखे की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित नहीं है।

3. सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

4. दीर्घकालीन उपाय

1. वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
3. पानी के परम्परागत स्रोतों का पुनर्जीविकरण
4. अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
5. पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
6. मिट्टी व नमी का संरक्षण।
7. पेड़ों की कटाई को रोकना तथा अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना।
8. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
9. फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
10. कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
11. स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

5. सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हिकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
 - सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
 - रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्य आदि की विकास योजना तैयार करना।
- 6. सूखे के समय कार्य योजना**
- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
 - सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।
- 7. जिला प्रशासन**
- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
 - राहत कार्य की शुरुआत
 - कुओं को गहरा करना।
 - उपलब्ध पानी के स्रोतों का संवर्धन
 - निजी कुओं को किराये पर लेना
 - हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
 - परम्परागत जल स्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
 - आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
 - खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
 - सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
 - पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
 - पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
 - किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
 - प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
 - अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्य हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान
- 8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**
- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
 - मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय।
 - पेट्रोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
 - राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- 9. पशुपालन विभाग**
- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
 - संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
 - बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सककर्म, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
 - पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
 - पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।
- 10. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी**
- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
 - पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
 - ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन
- 11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**
- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
 - काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- 12. स्वयंसेवी संगठन**
- राहत कार्य एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी
 - इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

13. समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषहार उपलब्ध कराना।

14. सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोषपूर्ण नलकूपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्य के अर्न्तगत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्य का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

15. कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

16. वन विभाग

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

17. विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

18. सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चैतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द-बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाइन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोके के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- जल संग्रहण हेतु बनये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द रखें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भसरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शैविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।
- जैविक आपदा के समय सभी व्यक्तियों को सामाजिक दूरी अर्थात् कम से कम 2 गज की दूरी बनाये रखनी चाहिए।
- घर से बाहर आवश्यकता होने पर ही जायें। सुरक्षा के लिए मास्क अवश्य लगायें।
- बार-बार साबुन से हाथ अवश्य धोना चाहिए।
- चिकित्साकर्मियों हेतु पीपीई किट समय पर उपलब्ध करवाये जाने चाहिए।

5.2 बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थित का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है।

बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है—विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं। भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

1. बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेड़ों की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना
- भूकम्प

2. बाढ़ कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

3. संरचनात्मक उपाय

1. जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
2. प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
3. बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
5. नदी के बान्ध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
6. तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

4. गैर संरचनात्मक उपाय

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

1. बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना
2. बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
3. बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
4. संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
5. बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
6. बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
7. भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
8. आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।

9. हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्कैप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

5. कंट्रोल रूम

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, नगर परिषद चूरु में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद चूरु है और उनका यह कार्यालय वायरलेस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त चूरु मुख्यालय पर वृत्त स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है।

6. सिंचाई विभाग

- सुरक्षित स्थानों का चयन
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
- बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें।
- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची
- तैराकों की सूची

7. चिकित्सा विभाग :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है। आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक-एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे

1. चिकित्सा अधिकारी	01
2. स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3. मेल नर्स	01
4. एमपीडब्ल्यू	01
5. वार्ड बॉय	01
6. वाहन चालक मय वाहन	01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पॉन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

8. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेंगे।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे

कार्य योजना:

चूरुजिले के बाढ़ राहत कार्यों के लिए अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभागचूरुको विभाग की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। बाढ़ के समय जिला प्रशासन के निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे।

9. जिला रसद अधिकारी शहर तथा ग्रामीण

- जिला रसद विभाग आपदा के समय प्रभावित शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

15. पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में सकांमक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियंत्रण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधिया उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

11. विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत्त स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावे तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

12. पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी-बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरुस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।

13. एन.सी.सी./एन.एस.एस.

आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर-घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

14. अग्निशमन केन्द्र,

जिला मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जो नगर परिषद चूरु के अधीन है। आगजनी के समय दूरभाष संख्या 101 पर सूचित करने पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। सम्बन्धित दूरभाष अनुसूची में दर्शित है।

15. नगर परिषद

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्राली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना।

16. विकास प्राधिकरण

- विभाग द्वारा मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- जिला मुख्यालय पर स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तकनीकी अधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

- बाढ़ नियंत्रण कक्ष में किसी आपात स्थिति से निपटने हेतु मिट्टी से भरे व खाली कट्टे, त्रिपाल, बांस, पम्प सैट, बल्ली, टार्च, लालटेन, टैक्टर मय ट्राली, गेंती, फावड़े, परात, रस्से, नाव मय नाविक, आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- बाढ़ संभावित क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों को चिन्हित करना तथा आपदा की स्थिति में उनके निवासियों को अस्थाई शरण स्थलों यथा स्कूल भवन, धर्मशाला, सामुदायिक केन्द्रों पर पहुँचाने की व्यवस्था करना
- शहरी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराना
- बाढ़ नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना

17. सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी।

5.3 दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

1. सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाड़ियों का अनुचित रखरखाव

2. दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाएं कभी भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उप जिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी, ग्रामसेवक, अध्यापक, ए.एन.एम., सरपंच या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

3. दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय—दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

4. गैर संरचनात्मक उपाय —सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हैलमेट पहने, सीट बेल्ट बांधें।
- बाईं तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दाईं व बाईं ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

5. दुर्घटना के दौरान जिला प्रशासन का कर्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

6. चिकित्सा विभाग

- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची संलग्न है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

7. पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

8. रेलवे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

9. परिवहन विभाग

- घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

10. सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।

11. नगर पालिका/ पंचायत

- टैंटों की व्यवस्था। टैंट हाउस की सूची संलग्न है।
- पानी के टैंकों की व्यवस्था।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

12. रसद विभाग

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

13. स्वयंसेवी संगठन

- राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

14. जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

15. अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।

- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नहीं।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करे तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नहीं तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

16. सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाए।
- ठोड़ी को आगे ले आएँ जिससे रुकावट खुल जाए।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक-डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रुई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।

यदि दिल की धड़कन रुक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4-5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनट में 60-80 बार दबायें।

17. यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दबाव डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड बैंड, (Tourniquet) या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

18. यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे-

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।

- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूँट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

19. जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर लेजाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठण्डे पानी का प्रवाह करते रहे।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलामय कपड़े या गॉज से ढक दे तथा रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं।

5.4 बोरवेल में बच्चे गिरने की दुर्घटना

भारत में पीने के पानी के संसाधनों की समस्या के लिये आये दिन विभिन्न आवासीय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बोर-वेल खोदे जाते हैं। बोर-वेल के निर्माण के समय या बोर-वेल में पानी नहीं मिलने पर खुले बोर-वेल में बच्चे गिरने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में जयपुर जिले में शाहपुरा उपखण्ड के जगतपुरा ग्राम में 150 फीट खुले बोर-वेल में चार वर्षीय बालक की गिरने से मृत्यु हो गई एवं जिला प्रशासन द्वारा बच्चे के शव को बोर-वेल में से

निकालने हेतु अनेक विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लेते हुये राहत कार्य चलाये गये। जिले में अन्य स्थानों पर भी इस दुर्घटना से बचाव हेतु निम्न कार्य योजना तैयार की गई है।

1. दुर्घटना से बचाव हेतु :

- जन जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार। जिसमें यह संदेश हो कि बोर-वेल खुदाई कर्ता ठेकेदार किसी भी स्थिति में बोर-वेल को खुला नहीं रखे। बोर-वेल खुदाई के समय ढकने हेतु पत्थर एवं लोहे का पर्याप्त आकार का ढक्कन लगाये जाने की आवश्यकता सुनिश्चित करे। लोग बोर-वेल खुदाई के सम्बन्ध में स्थानीय जिला प्रशासन को बोर-वेल खुदाई स्थल, खुदाई कर्ता ठेकेदार के नाम व पता मय ठेकेदार के सुरक्षा की पूर्ण प्रबन्ध कर दिये गये हैं के सम्बन्ध में सूचित करना।
- हर जिले में उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी अनुसूची के अनुसार दुर्घटना होने पर पूर्व तैयारी व जानकारी रखें।
- बोर-वेल में बच्चे गिरने की दुर्घटना होने पर बचाव कार्य हेतु निम्न अधिकारियों की टीम गठित की जा सकती है—
 - 1 सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी
 - 2 सम्बन्धित पंचायत समिति के उपखण्ड विकास अधिकारी
 - 3 सम्बन्धित मुख्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी
 - 4 सम्बन्धित उप अधीक्षक पुलिस।
 - 5 जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता
 - 6 जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता डिलिंग।
 - 7 भू-जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के भू-गर्भ शास्त्री।
 - 8 भू-जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता।
 - 9 बिजली विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी/सहायक अभियंता।
 - 10 भू-सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार, से सम्बन्धित क्षेत्र का विशेषज्ञ अधिकारी।
 - 11 सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी/सहायक अभियंता।
 - 12 उप-नियंत्रक नागरिक सुरक्षा

2. दुर्घटना होने पर :

- सर्वप्रथम जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम तथा उपखण्ड कंट्रोल रूम में सूचना।
- सम्बन्धित मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को मौके पर मय जीवन रक्षक ऑक्सीजन उपकरण एवं दवाईयां, एम्बुलेन्स तथा मेडिकल टीम सहित पहुंचने की सूचना।
- उपरोक्त टीम को मौके पर पहुंच कर तत्काल उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार बोर-वेल में क्लोज सर्किट कैमरा या इन्फ्रारेड कैमरा व ऑडियो विजुअल मॉनेटरिंग सिस्टम तथा स्वास्थ्य रक्षक उपकरण स्थापित करना।
- उपरोक्त टीम द्वारा दुर्घटना घटित होने के एक घंटे में बचाव कार्य हेतु संयुक्त रूप से मौके पर स्थिति अनुसार मिट्टी की प्रकृति के आधार पर समानान्तर बोर-वेल खुदाई या अन्य प्रकार से अनुसूची के अनुसार शेष संसाधनों को एकत्रित करने तथा बचाव कार्य करने की कार्य योजना तैयार करना।
- उपरोक्त कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही करना।
- मौके पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा राहत टीम के लिये रहने व भोजन की व्यवस्था।
- प्रति घंटे अति0 जिला कलेक्टर राहत को राहत कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में सूचित करना।

5.5 आग

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण है।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठनों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल-मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास-पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है। जिले में अधिकतर अग्निकाण्ड रबी की सूखी फसल में बीड़ी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है।

1. जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र –

चूरु शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल पम्प, छविगृह, कृषि उपज मण्डी, गैस एजेन्सी, आदि है।

2. अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती है लेकिन जिले में ज्वलनशील इकाईयों नहीं होने के कारण तथा अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों के भण्डारण नहीं होने के कारण यहां ऐसी संभावना कम है।

3. कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

4. आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय-समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आई.एस.आई. मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्युलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्युलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लीकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फेंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे कि आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।

- गांवों में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिए।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फेंकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर पार्टी की स्थापना की जावे जहाँ घण्टी, फावड़े, बाल्टी, टार्च, रस्सी, खाली बोरियों, परात, नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि हों।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना।
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचाये।

5. हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह ज़रूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घूम सकें।
- बिल्डिंग कोड रूडकी द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रिंकलर डेन्चर, राईजर, हाईड्रेंट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेंट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर से बचाव की ट्रेनिंग देना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पेट्रोल पम्प, फैंक्ट्री, होटल, अपार्टमेंट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैंक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

6. आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त मौके के अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि

जिला मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, "समेकित आपदा प्रबन्ध समिति" को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं। यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक को देगा।

7. आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका

जिला कलेक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं

अग्निशमन केन्द्र :- नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि।
- स्वयंसेवी संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता

नागरिक सुरक्षा

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना
- अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता लेना
- डिविज़न एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्रोतों से जल की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना

- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना
- औषधियों की व्यवस्था करना
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना
- चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना

नगरपालिका/नगर निगम

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाईयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

8. आग लगने पर क्या करें, क्या न करें क्या करें :-

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त नगर निगम चूरु को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें :-

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

5.6 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिक चट्टानों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू-तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

1. भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

2. भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोशन काउंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1) **क्षेत्र V** :- इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

2) **क्षेत्र IV**:- इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर MM VII सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।

3) **क्षेत्र III**:- इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव)	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती हैं।	4.9-5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5-6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2-6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती हैं। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0-7.3

अतिविनाशी	पुल , रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू-स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4-8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

4) **क्षेत्र II** :- क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता **MM VI** है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।

5) **क्षेत्र I**:- इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर **MMV** या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

3. कार्य योजना:-

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :-

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुँचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जाँच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
 - लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
 - बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाना।
 - चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयों उपलब्ध कराना।
- अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

4. क्या करें क्या न करें

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नहीं।

- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखें। भारी गमलों वाले पोथों को झूलने हेतु नहीं लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती हैं।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती हैं उन्हें बिस्तर से दूर रखें। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नहीं लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामन मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां,, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

5. आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबिनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबों आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती हैं तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान हैं।
- जब आप बाहर हैं तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रुकें जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते हैं। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सड़चनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। पलाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखें।
- भूकम्प झटके रुकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस कंट्रोल रूम को टेलीफोन नं० 100 पर ,अग्निशमन हेतु नगर निगम चूरुको दूरभाष नं० 101 पर एवं रोगी वाहन हेतु टेलीफोन नं० 108 पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी , चूरुको सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नहीं हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/ कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पहुंचा सकते हैं।

6. साम्प्रदायिक तनाव

भारत देश में अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता एवं सामाजिक विद्वेषों तथा व्यक्तिगत छोटे छोटे झगड़े कारण छोटे-छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते हैं। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। उपद्रव होने पर जन-धन राष्ट्रीय सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है। वर्तमान में जिले में इस दृष्टिकोण से सभी सम्प्रदायों में आपसी सौहार्द है तथा सभी साम्प्रदायों के लोग आपस में एक दूसरों के त्यौहारों में बढचढ कर सम्मिलित होते हैं।

फिर भी यदि साम्प्रदायिक तनाव व दंगे हो जाये तों उन्हें कम करने हेतु जिला प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते हैं। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभाव शाली लोगों को बुलाते हैं तथा उनसे अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते हैं।

7. ओलावृष्टि

ओला वृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम-ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

8. बांध टूटना

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद-बूंद जल संग्रहीत करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी-कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ-साथ जान पर भी उतारु हो जाते हैं। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बांधों के रखरखाव के संबंध में आवश्यक है कि

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल विकास द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे: चेन, रस्सा, चाबी आदि की जाँच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बाँधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बाँधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

9. रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे : भोपाल गैस कांड और अग्नि एवं विस्फोट क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम हैं।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएँ भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएँ बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव :-

औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

10. ताप (लू) एवं शीतघात

1. तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनों प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएँ यहाँ की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों

का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39.70° से. और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3° से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी-किसी दिन अधिकतम तापमान 44° से या 45° से तक पहुंच जाता है।

2. तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

3. तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारों तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा चालु करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

4. जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करे, क्या ना करे की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

5. शीतलहर

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0° से. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8° से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

6. लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप कौपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एडियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।
- मौसम की स्थिति से सवाधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है? ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी श्वास से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

7. जिला प्रशासनिक जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल दें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमे लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके।

प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबन्धन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूप रेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

जिला आपदा प्रबन्धन :

1. समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढ़ाना।
2. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन नियोजन को प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।
3. सम्भावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
4. जिला में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारीयों को निर्धारित करना।
5. जिला में विद्यमान विभिन्न आपदा नियन्त्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
6. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
7. जिला में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण रिकॉर्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामन्जस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
9. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबन्धन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

संस्थागत व्यवस्था

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

- धारा 25 (1) के अनुरूप जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डीडीएमए) का गठन किया गया है। जिसमें निम्न सदस्य हैं—

क्र.सं.	पदनाम	प्राधिकरण में पदभार
1.	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	प्रमुख, जिला परिषद	सह-अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0	सदस्य
6.	अधिशापी अभियन्ता जल संसाधन	सदस्य
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
8.	अति0 जिला कलक्टर (सहायता)	सचिव

प्राधिकरण के अध्यक्ष के विवेकाधिकार से जो उपयुक्त होगा किसी भी व्यक्ति विशेष एवं विशेषज्ञ को प्राधिकरण की बैठक में आमन्त्रित करने का अधिकार प्राप्त है।

चुरू जिले में स्थाई रूप से जिला आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है।

क्र.सं.	पदाधिकारी	पदनाम
1.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3.	ए.डी.एम (प्रशासन)	सदस्य
4.	ए.सी.ई.ओ, जिला परिषद	सदस्य
5.	अधिशापी अधिकारी, नगरपालिका	सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
7.	अधिशापी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी	सदस्य
8.	अधिशापी अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सदस्य
9.	अधिशापी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम	सदस्य
10.	अधिशापी अभियन्ता, जो.वि.वि. निगम	सदस्य
11.	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक	सदस्य
12.	अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि.	सदस्य
13.	जिला सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य
14.	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
15.	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य
16.	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
17.	मण्डल अभियन्ता (ग्रामीण) (फोन्स)	सदस्य
18.	उप मण्डल अधिकारी फोन्स	सदस्य
19.	उप मण्डल अधिकारी (तार)	सदस्य
20.	स्टेशन मास्टर रेलवे विभाग	सदस्य
21.	एन.जी.ओ	सदस्य

जिला संकट प्रबन्धन समूह :

इसका मुख्य उतरदायित्व समय-समय पर खतरनाक उद्योगों से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम एवं सुरक्षा जांच करना, उद्योगों में मोक ड्रिल करवाना एवं रासायनिक दुर्घटना अधिनियम 1996 के नियम 8 के अन्तर्गत आपातकालीन तैयारी योजना एवं प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करना इसमें निम्न सदस्य रहेंगे—

क्र.सं.	पद एवं पदनाम	समिति में पद
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	कारखाना निरीक्षक	सदस्य सचिव
3.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4.	प्रतिनिधी नगर निगम/नगरपालिका/नगरपरिषद	सदस्य
5.	उपनिर्वाचक विस्फोटक	सदस्य

6.	अधिशायी अभियन्ता पी.एच.ईडी/पीडब्लूडी/जलसंसाधन/बिजली	सदस्य
7.	अधीक्षक मुख्य अस्पताल/सीएमएचओ	सदस्य
8.	संबंधित उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
9.	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
10.	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
11.	अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल	सदस्य
12.	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
13.	जिला परिवहन	सदस्य
14.	अध्यक्ष, उद्योग संघ/रीको	सदस्य
15.	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
16.	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	विशेष आमन्त्रित

जिला कार्यकारी समिति (डीईसी)

इसका मुख्य कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यक्रम को सहयोग करना है। जिला कलक्टर के आदेश से इस समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त कलक्टर राजस्व/सहायता होता है।

क्र.सं.	पद एवं पदनाम	समिति में पद
1.	अति. जिला कलक्टर (सहायता/राजस्व)	अध्यक्ष
2.	आयुक्त नगर पालिका/नगर परिषद	सदस्य
3.	अति. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4.	अधीक्षक मुख्य अस्पताल/सीएमएचओ	सदस्य
5.	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
6.	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
7.	अधिशायी अभियन्ता पीएचईडी/पीडब्लूडी/जल संसाधन/बिजली	सदस्य
8.	सेना अधिकारी	सदस्य
9.	समस्त उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
10.	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
11.	रेल्वे अधिकारी	सदस्य
12.	अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
13.	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
14.	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
15.	अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
16.	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
17.	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
18.	अध्यक्ष, उद्योग संघ/रीको	सदस्य
19.	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
20.	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	सदस्य

तहसील आपदा प्रबन्धन समिति :-

तहसील स्तर पर तहसीलदार समिति का अध्यक्ष होगा, एवं अन्य तहसील एवं विभाग तहसीलदार को आपदा प्रबन्धन में मदद करेंगे। नायब तहसीलदार, गिरदावर, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस, कृषि विभाग, पंचायत समिति, ब्लॉक चिकित्साधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, पशुचिकित्सक, महिला बाल पर्यवेक्षक इत्यादि समिति के सदस्य रहेंगे। तहसील की आपदा प्रबन्धन योजना राष्ट्रीय/राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी। तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधन का विकास, दक्षता एवं स्थानीय प्रशासन एवं नागरिक का प्रशिक्षण, वर्ष में एक बार योजना का संसोधन एवं नवीनीकरण करना होगा।

तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का गठन :-

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पद
1	तहसीलदार	अध्यक्ष
2	नायब तहसीलदार/गिरदावर	सदस्य सचिव
3	सहायक अभियन्ता विद्युत	सदस्य
4	सहायक अभियन्ता सा.नि.वि	

5	सहायक अभियन्ता पी.एच.ई.डी	
6	सहायक अभियन्ता खनन	सदस्य
7	चिकित्साधिकारी	सदस्य
8	सरपंच	सदस्य
9	कृषि अधिकारी	सदस्य
10	पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
11	ईओ नगरपालिका/नगरपरिषद	सदस्य
12	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	सदस्य
13	महिला एवं बाल विकास कार्यकर्ता	सदस्य
14	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	सदस्य

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति :-

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष मनोनीत सरपंच होगा और संबंधित पटवारी, ग्राम सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, स्थानीय पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वयं सेवी संस्थ, सेना से सेवानिवृत्त दक्ष व्यक्ति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समिति के सदस्य होंगे।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय प्रशिक्षण, दक्षता एवं संसाधन का विकास, आपदा के समय जिला प्रशासन एवं बाहरी सहायता मिलने के पूर्व तक बचाव एवं सहायता प्रदान करना एवं जान-मान के नुकसान को रोकना है। प्रत्येक ग्राम की अपनी आपदा प्रबन्धन योजना होगी, जो राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तहसील आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगा, जिसे वर्ष में एक बार संसोधित एवं नवीनीकरण करना आवश्यक होगा।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पदनाम
1.	सरपंच	अध्यक्ष
2	ग्राम पटवारी	सदस्य
3	ग्राम सेवक पंचायत	सदस्य सचिव
4	चिकित्साधिकारी (यदि हो)	सदस्य
5	पशु चिकित्साधिकारी (यदि हो)	
6	स्थानीय पुलिस अधिकारी	
7	प्राचार्य/प्रधानाध्यापक (स्कूल/कॉलेज)	
8	एक सेवानिवृत्त सैनिक	
9	एएनएम	
10	स्वयंसेवी संस्था के मनोनीत सदस्य	
11	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	

कार्य योजना के उद्देश्य :-

सुचारु योजना के अभाव में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यों का समन्वय नहीं हो पता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान-माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

1. प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
5. स्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा 2ए में वर्णित प्रावधान के अनुसार जिला कलक्टर जिले में घटित किसी भी आपदा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए जिला कलक्टर आपदा के समय अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा उप जिला कलक्टर (जिला मुख्यालय) जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

- जिला कलक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था, इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते हैं।

- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना किया गया है जो कि 24 घंटे कार्यरत है।

नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलैक्ट्रेट में 24 घंटे संचालित है।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. उपलब्ध है।

जिला नियन्त्रण कक्ष (इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर) के दूरभाष नम्बर 01562-251322/1077 है।

जिला एवं स्थानीय प्रशासन

1. आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेषज्ञ सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
2. रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
नियंत्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
3. सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
4. प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
5. प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना। विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
5. आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउंटर बनाना।
6. जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

1. आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
2. खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
3. लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
4. आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
5. बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

अग्नि एवं कार्ययोजना :-

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियंत्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल-मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास-पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है। जिले में अधिकतर अग्निकांड रबी की सूखी फसल में बीड़ी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है।

जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र

शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोलियम पम्प, छविगृह, कृषि उपज मण्डी, गैस एजेंसी, आदि।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएं

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती हैं लेकिन जिले में ज्वलनशील इकाईयां नहीं होने के कारण तथा अत्यधिक ज्वलन शील रसायनों के भण्डारण नहीं होने के कारण यहां ऐसी संभावना कम है।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

नगरपालिका, राजगढ़

1.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	शहर के सभी बाहरी वार्ड कच्ची बस्ती के कच्चे मकान व औद्योगिक क्षेत्र, समारोह, रोली एवं दीपावली आदि पर्वों पर संभावित
2.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मैटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	1. मानव शक्ति – मजदूर उपलब्ध है। 2. मशीन – ट्रैक्टर 3. मैटेरियल – आवश्यकतानुसार उपलब्ध है। 4. अग्निशमन वाहन नहीं है। कस्बे की 80 हजार की आबादी है।
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	पुलिस, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा विभाग, पी.डब्ल्यू.डी., सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी. एच.ई.डी., विद्युत विभाग व जनता का सहयोग।
4.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु पालिका के दूरभाष नंबर 01559-222039 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, तारानगर

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	समय-समय पर छोटी मोटी दुर्घटना शहर में होती रहती है।
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	नया व पुरान बस स्टैन्ड, मुख्य बाजार एवं स्लम एरिया
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मैटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	मानव शक्ति उपलब्ध है। पानी हेतु मय टैंकर एवं पम्प सेट सहित ट्रैक्टर चालित है।
4.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	विद्युत विभाग, जलदाय, पुलिस एवं राजस्व विभाग
5.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	नगरपालिका तारानगर का दूरभाष नंबर 01561-240245

नगरपरिषद, चूरु

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना होने पर अविलंब सहायता प्रदान की गई एवं घटनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर अग्नि दुर्घटना के कारण होने वाली हानि को कम करने के प्रयासों पर विचार विमर्श किया गया।
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	मेला स्थलों, होटलों में एलपीजी गैस के उपयोग एवं विद्युत अवछेदन के, गैस के गोदाम, सिनेमा हॉल, रासायनिक ईकाइयों,

		लकड़ी के कारखानों आदि
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मैटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर किसी प्रकार की हानि होने पर जिला प्रशासन को सूचित किया जाता है एवं जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाती है।
4.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	जिला-प्रशासन
5.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु परिषद के दूरभाष नंबर 01562-250318 एवं 101 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, रतननगर

1.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मैटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	मानव शक्ति उपलब्ध है।
2.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	अग्नि शमन वाहन हेतु चूरु नगरपालिका, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा विभाग, पी.डब्ल्यू.डी., सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एच.ई.डी., विद्युत विभाग व जनता का सहयोग।
3.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु पालिका के दूरभाष नंबर 01562-281224 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपरिषद, सुजानगढ़

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	वर्ष 2007-08 में दो वर्ष 2008-09 में एक अग्नि दुर्घटना हुई।
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पटाखों की दुकानों के आस-पास, केरोसीन तेल स्टोरेज स्थलों पर
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मैटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	फायर ब्रिगेड गाड़ी, डम्पर प्लेसर गाड़ी, जीप, तीन ट्रेक्टर्स मय ट्रौली, फायर मैन, ड्राईवर एवं सफाई कर्मचारी
4.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	विद्युत विभाग, जलदाय, पुलिस एवं राजस्व विभाग
5.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (कार्यालय का फोन नंबर)	नगरपरिषद सुजानगढ़ का दूरभाष नंबर 01568-220004 व 01568-222419

नगरपालिका, छापरा

1.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	वार्ड नं. 1,2,15,16,18,19 एवं 20 इन वार्डों में आंशिक तौर से कच्चे मकान होने के कारण अग्नि दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।
2.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	---
3.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	उचित होगा कि पालिका के पास अग्नि शमन वाहन, फायर ब्रिगेड स्टेशन व स्टाफ की व्यवस्था हो, इसके लिए अनुमानित राशि 18.00 लाख रुपये।

4.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	इस हेतु पालिका के पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, पुलिस प्रशासन तथा अग्नि शमन वाहन हेतु नगरपालिका सुजानगढ़ में उपलब्ध अग्नि शमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी।
6.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक-द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका के दूरभाष नंबर 242099 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, रतनगढ़

1.	दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	कच्ची बस्ती, कपड़े की दुकानों, पटाखों की दुकाने, औद्योगिक ईकाईयों में
2.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	सफाई सेवक 69 (मानव शक्ति)
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेंगे।	जलदाय विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रतनगढ़
4.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक-द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है। (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	कार्यालय का दूरभाष 01567-222095 अग्निशमन दूरभाष 01567-60013

नगरपालिका, राजलदेसर

1.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	वार्ड नम्बर 2, 5 एवं 12 में आंशिक तौर कच्चे मकान होने के कारण अग्नि दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।
2.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली सम्भावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	उचित होगा कि पालिका के पास अग्निशमन के पास वाहन, फायर ब्रिगेड स्टेशन व स्टाफ की व्यवस्था हो इसके लिए अनुमानित राशि 18.00 लाख रुपये
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	इस हेतु पालिका के पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।
4.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, पुलिस प्रशासन तथा अग्निशमन वाहन हेतु नगरपालिका रतनगढ़ में उपलब्ध अग्निशमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी।
5.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक-द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी। इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है। (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु पालिका के दूरभाष नम्बर 232504 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, बीदासर

1.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	काजर बस्ती ढोलियान मौहल्ला एवं मेघवाल बस्ती
2.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन	इस हेतु पालिका के पास कोई

	हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	संसाधन उपलब्ध नहीं है।
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना नुकसान को कम करने के लिए आप किन किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	जलदाय विभाग, बीदासर तथा अग्निशमन वाहन हेतु नगरपालिका सुजानगढ मे उपलब्ध अग्निशमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था होगी।
4.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधी द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस संवाहित की जायेगी। इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियन्त्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है। (यथा कार्यालय का फोन नम्बर)	टेलीफोन एवं वायरलेस पुलिस स्टेशन

नगरपालिका, सरदारशहर

1.	अग्नि दुर्घटना की सम्भावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	औद्योगिक क्षेत्र
2.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	पालिका के पास अग्निशमन वाहन उपलब्ध है।
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना नुकसान को कम करने के लिए आप किन किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	जलदाय विभाग, बीदासर तथा अग्निशमन वाहन हेतु नगरपालिका सुजानगढ मे उपलब्ध अग्निशमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी।
4.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधी द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस संवाहित की जायेगी। इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियन्त्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है। (यथा कार्यालय का फोन नम्बर)	नगरपालिका का दूरभाष नम्बर 01564-220030

अग्निशमन केन्द्र :- नियन्त्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोशियन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, ऑक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि।
- स्वयंसेवी संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी

1. आपदा की सूचना मिलने पर तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचना।
2. आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करना।
3. आवश्यकतानुसार स्वयंसेवक उपलब्ध कराना।
4. कानूनी व्यवस्था में मदद करना।
5. आश्रय स्थलों पर व ट्रेफिक व्यवस्था में प्रशासन की सहायता करना।

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- यातायात की व्यवस्था व नियन्त्रण करना।
- सेवाओं के घटना स्थल पर पहुंचने के मार्ग से बाधा हटाना व उन्हें सही रास्ते के दिशा निर्देश देना।

- घटना स्थल पर वीआईपी विजिट की स्थिति में आवश्यक प्रबन्धन करना जिससे आवश्यक सेवाओं के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
- बचाव कार्यों में मदद करना।
- घटना स्थल की घेराबन्दी करना।

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल।
- संबंधित अभियन्ता मय स्टाफ आपदा स्थल पर तत्काल रिपोर्ट करे।
- आपदा स्थल पर प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई/कटौती की परोपर व्यवस्था।
- विद्युत सप्लाई बन्द के दौरान आपदा स्थल पर आवश्यक विद्युत सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- विद्युत लाईनों (उपरी/भूमिगत) की परोपर देखभाल करना जिससे अनावश्यक विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्रोतों से जल की उचित आपूर्ति
- संबंधित अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर रिपोर्ट करेंगे।
- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक हुआ तो पानी की सप्लाई बन्द करेंगे व आवश्यकतानुसार टैंकों से पानी की व्यवस्था करवायेंगे।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता को देखते हुए हाईड्रैन्ट्स को चालू हालात में रखना, विद्युत सप्लाई बाधित होने की स्थिति में टैंकों से अग्निशमन हेतु आवश्यक पानी सप्लाई करवाना।
- गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा खपत को देखते हुए आवश्यक पानी की सप्लाई बनाये रखने की व्यवस्था करें। उपभोक्ताओं द्वारा घरों में बुस्टर लगा कर पानी खेंचने पर अंकुश लगावें।
- वर्षा के मौसम के दौरान पानी में आवश्यक क्लोरिन की व्यवस्था करावें ताकि दुषित पानी से निजात मिल सके।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार की परोपर व्यवस्था करना।
- घटना/आपदा स्थल पर तत्काल एम्बुलेंस मय मेडीकल स्टाफ भिजवाना।
- राजकीय एवं नीजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।
- हताहतों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाना।
- औषधियों की परोपर व्यवस्था करना।
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क रखना।
- चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता।
- मौसमी बिमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना।
- समय-समय पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों को दौरा आवश्यक सेनिटेशन की व्यवस्था करना व खान-पान की वस्तुओं को चैक करना।
- स्वयंसेवी एजेंसीयों से सम्पर्क रखना।

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयंसेवकों की उपलब्धता कराना।
- राहत शिविर लगाना।
- सहायता सामग्री का वितरण।

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना।

- आपदा की स्थिति में जानवरों की बिमारियों पर नियन्त्रण हेतु आवश्यक टीकाकरण/औषधियों की व्यवस्था करना।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों की तैनाती।
- आपदा के पश्चात मृत जानवरों से महामारी की स्थिति न बने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

नगरपालिका/नगर निगम

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची।
- आश्रय स्थलों की परोपर सफाई व्यवस्था।
- घटना स्थल पर आवश्यक लाईट की व्यवस्था करना।
- मृत लोगों व जानवरों के अन्तिम संस्कार/दफनाने की व्यवस्था करना।
- महामारी की स्थिति से बचाव के उपाय करना।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

व्यापारियों व हलवाईयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना।

- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय।
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना।

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें क्या करें :-

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त नगर निगम जयपुर को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जाये।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालना करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें :-

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

नागरिक सुरक्षा बल : (CIVIL DEFENCE)

नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमण (युद्ध) की स्थिति में हवाई हमलों के दौरान जान व माल की सुरक्षा व नुकसान को कम करना है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 को लागू किये जाने के उपरान्त नागरिक सुरक्षा अधिनियम में भी आंशिक संशोधन (नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009) करते हुए आपदा प्रबन्धन से जोड़ दिया गया है जिससे नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले के साथ ही प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की स्थिति में नागरिकों के द्वारा – नागरिकों के लिए वो तमाम प्रयास करना है, जिससे उनके जान और माल की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ जिले में क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों के तहत ओटीएस, राजस्थान पुलिस एकेडमी विभिन्न शिक्षण संस्थानों मॉल्स हॉटलों, पब्लिक सेक्टरों इत्यादि में आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण

देकर लोगो को जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। आपदा के समय नागरिक सुरक्षा बल के द्वारा त्वरित कार्यवाही निम्नानुसार की जाती है:-

- आपदा की सूचना मिलने पर संबंधित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक तत्काल आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचेंगे व नियन्त्रक (जिला कलक्टर) के निर्देशानुसार बचाव कार्यो को अंजाम देंगे।
- आपदा के दौरान हताहतों के खोज व बचाव का कार्य करना।
- हताहतों को घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार देना व अस्पताल भिजवाना।
- आश्रय स्थलों पर भोजन पानी, कपड़े इत्यादि हेतु स्वयंसेवक उपलब्ध करवाना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।
- जिले क्षमता संवर्द्धन के तहत आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण देकर लोगों को आपदा प्रबन्धन हेतु जागरूक करना।
- जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों को निभाना।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Response Force, SDRF) राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद (मोचन) बल (NDRF)

राजस्थान में प्राकृतिक आपदा एवं सम्भावित मानव कृत आपदा एवं अन्य घटनाओं से निपटने के लिए एस डी आर एफ कंट्रोल रूम, जयपुर के सम्पर्क नं० 8764873114 है एवं जिले में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जयपुर कंट्रोल में सूचना प्रेषित करते हुए निकटवर्ती बीकानेर स्थित एसडीआरएफ टीम को बुलाया जाता है।

बम विस्फोट/आतंकवादी घटना

वर्तमान परिस्थिति में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आम तौर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया बम विस्फोट है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान माल को अधिक से अधिक हानि पहुँचना है। यह विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किया जाता है जहाँ अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा स्कूल, सरकारी संस्थान एवं महत्वपूर्ण नेता आतंकवादियों के निशाने पर हैं।

अगर बम फट गया हो तो प्रशासन द्वारा त्वरित की जाने वाली कार्यवाही :

1. बम विस्फोट या आतंकवादी घटना के तुरन्त बाद जिले में कार्यरत एंटी टेरेरिस्ट स्कवाड (एटीएस) की बटालियन घटना वाले स्थान को चारों तरफ से घेरे लेंगे। साथ में बम डिस्पोजल की टीम भी रहती जो क्षेत्र में पाये गये बम को निष्क्रिय करने का काम करती है। तथा बम की रसायनिक गुणों का पता लगाती है।
2. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
3. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस-पास दूसरा बम विस्फोट हो सकता है। इसलिए अधिक सक्रियता बरतेंगे।
4. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को देंगे।
5. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करेंगे।
6. आतंकवादियों को पकड़ने एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में सक्रियता दिखायेंगे।
7. खुफिया तंत्र के साथ समन्वय कर बम विस्फोट एवं अन्य आतंकवादी घटनाओं को रोकने में प्रशासन को सहायता देंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात स्थिति में कार्ययोजना :-

1. जिले के ग्रामीण क्षेत्र को खण्डों में विभाजित किया गया है। जिनमें कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।
2. मुख्यालय पर नियन्त्रण कक्षों की स्थापना है। जो 24 घंटे रेपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन किया हुआ है। जिसके आधार पर नियन्त्रण कक्ष पर किसी भी प्रकार आपदा/बिमारियों की सूचना प्राप्त होते ही जिला मुख्यालय से रेपिड रेस्पॉन्स टीमें रोगी वाहन व आवश्यक औषधियों के घटना स्थल पर भिजवाये जाने की पूर्ण व्यवस्था है, तथा जिला मुख्यालय पर एआईडीएसपी सैल (ईन्टीग्रेटेड डिस्सीज सर्विस प्लान) कार्य कर रही है। जो बिमारियों का सर्वे एवं रिपोर्टों का संकलन कर नियमित भिजवाये जाने का प्रावधान है।
3. सभी खण्ड स्तर पर नियन्त्रण कक्षों की स्थापना हुई है। जिससे क्षेत्र में कहीं भी आपदा प्रबन्धन एवं मौसमी बिमारियों नियन्त्रण हेतु चिकित्सा दलों का गठन किया जाकर 24 घंटे चिकित्सा दल मय रोगी वाहन व

आवश्यक औषधियों के तैनात किये गये हैं। जिसकी नियमित जानकारी एवं रिपोर्ट जिला नियन्त्रण कक्ष पर मेल एवं फैंक्स द्वारा भिजवाये जाने की पूर्ण व्यवस्था है।

4. सभी चिकित्सा संस्थानों पर पर्याप्त औषधियों की आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था है। किसी भी अप्रिय घटना घटने की स्थिति में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु प्रतिबद्ध है।

पशुपालन विभाग कार्य योजना :-

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी को नियन्त्रण कक्ष प्रभारी मनोनीत किया गया है।
- आपदा की सूचना मिलने पर नियन्त्रण अधिकारी सभी पशु चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- प्रभावित क्षेत्रों में घायल पशुओं को भर्ती करने की व्यवस्था करना।
- घायल भर्ती पशुओं के चारे दाने की व्यवस्था करना।
- आवश्यक दवाइयों का स्टॉक तैयार करना।
- आपदा स्थल पर पशु राहत, स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- अन्य निजी पशु चिकित्सकों एवं पैरा वैटनरी स्टाफ को आपदा से निपटने के लिए सम्पर्क करना।
- तहसील स्तर पर मोबाईल वैटनरी यूनिटों को आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- मृत पशुओं के निस्तारण हेतु नगरपरिषद/नगरपालिका/ग्राम पंचायत/ की मदद लेना।
- स्वस्थ पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना।

जल संसाधन विभाग कार्ययोजना

बाढ़ के समय उत्पन्न खतरे से निपटने हेतु कार्ययोजना का प्रारूप :

बाढ़ एवं अतिवृष्टि :-

1. बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय की जाने वाली विभागवार तैयारीयां एवं उपलब्ध संसाधन जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि नियन्त्रण हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की कार्ययोजना का ब्यौरा निम्न है-

चूरू जिला मुख्यतः मरुस्थलीय जिला होने के कारण अधिकतर बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है अपितु गत मानसून 2025 के दौरान तहसील सुजानगढ़ एवं तारानगर के शहरी क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा होने के कारण जलभराव/बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इस हेतु प्रशासन स्तर एवं निकाय स्तर पर आपसी सहयोग एवं राज्य स्तर से एसडीआरएफ की टीम के संयुक्त प्रयासों से आपात स्थिति पर काबू पाया गया था। वस्तुतः प्रशासकीय स्तर पर निम्न प्रयास किये जाते हैं-

1. बाढ़ की स्थिति साधारणतया वर्षा के दिनों में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न होती है। इस संबंध में जिला स्तर पर जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारीगण, तहसीलदार, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि, जल एवं विद्युत समस्त अधिशाषी अधिकारीगण, नगरपालिकाओं एवं जिले की समस्त पंचायत समितियों के विकास अधिकारीगण को निर्देश जारी कर सतर्क कर दिया जाता है।
2. जिला स्तर से जारी निर्देशों में उपरोक्त अधिकारीगण को बाढ़ की स्थिति से निपटने बाबत निचले क्षेत्रों जिनमें वर्षा का पानी एकत्रीत होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो, का पूर्व से ही चयन कर उन क्षेत्रों का दौरा करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
3. विभिन्न विभागों को इस बाबत भी निर्देशित किया जाता है कि अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न होने से पानी की निकासी की व्यवस्था की व्यवस्था एवं पानी की निकासी हेतु उपकरणों एवं उनकी क्रियाशीलता की स्थिति तथा पानी निकासी हेतु स्थल का चयन आदि के संबंध में भी निर्देशित किया जाता है।
4. मौसम विभाग से जिले में अतिवृष्टि की आशंका के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट को तुरन्त उपखण्ड अधिकारीगण एवं पुलिस विभाग को दी जाती है, एवं उन्हें इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं जनता का इस बाबत जागरूक रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।
5. अतिवृष्टि के कारण प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त प्रभावित क्षेत्र से निकालकर उन्हें किसी सार्वजनिक स्थल जैसे स्कूल, मन्दिर, मस्जिद, एवं धर्मशाला आदि में ठहराव की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।
6. प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का तुरन्त आंकलन कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रभावितों को तात्कालिक आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

चूरू शहर — चूरू शहर में विभाग द्वारा निचले स्थानों जिनमें वर्षा के पानी का अक्सर भराव होता है जिसकी निकासी पम्पिंग सेट द्वारा विभाग द्वारा की जा रही है। वर्षा आरम्भ होने की स्थिति में पम्पिंग सेट की ग्रिसिंग एवं रिपेयरिंग का कार्य करवा लिया जाता है।

नगरपरिषद, चूरू

1.	आपदा का नाम	बाढ़ एवं अतिवृष्टि
2.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• गिनानी वार्ड नं. 2 • जोहरी सागर वार्ड नं. 2 • रिसालदारों की कोटड़ी, वार्ड नं. 5 • पारख बालिका स्कूल के पिछे, नर्सरी, वार्ड नं. 11 • शारदा स्कूल के सामने वार्ड नं. 11 • पारख बालिका स्कूल के सामने वार्ड नं. 11 • लोहिया कालेज खेल मैदान वार्ड नं. 13 • ताजूशाह का तकिया वार्ड नं. 18 • लोको शेड के पास वार्ड नं. 21 • स्कूल नं. 7 के पास वार्ड नं. 21 • गांधी नगर, वार्ड नं. 22 • कब्रिस्तान के पास वार्ड नं 23–27 के मध्य • वार्ड नं. 39 की समस्त गलियाँ • कलेक्ट्रेट के सामने, जयपुर रोड • गांधी नगर वार्ड नं0 25 पार्क के पास • वार्ड नं0 44 की समस्त गलियां • गांधी नगर स्कूल नं0 07 बाबोसा मन्दिर के आगे व पीछे वाली गली • डॉ. सरीन के घर के पास, वार्ड नं0 11, चूरू • ओम एवं शिव कॉलोनी वार्ड नं0 23 चूरू • भरतिया अस्पताल के उत्तरी पश्चिमी कोने के पास वार्ड नं0 11 से 14 • टाउन हॉल स्टेशन रोड., पारीक भवन के आगे वार्ड नं0 13–14 • चांदनी चौक डिग्गी के आस पास वार्ड नं0 34–39 • वार्ड नं0 2 पूर्व पार्श्व श्रीमती सुशीला सैनी के घर के पास • आई अस्पताल के पिछे एवं आगे मुख्य रोड. पर वार्ड नं0 12–11 • पशु अस्पताल के आगे वार्ड नं0 44–42 • गाजसर गैनाणी टुटने पर गाजसर रोड़ तारानगर रोड़ पर • वार्ड नं0 43 मे सुभाष चौक, कुम्हारों को चौक, बागलो की गली, सब्जीमण्डी, खेमका मिडिल स्कूल, झारिया मोरी • वार्ड नं0 37 मे रेगरो का कुआ एवं सिंधी पार्क के सामने • गुंसाईयों की समाधि वार्ड नं0 25–27 चूरू • तोकिर हसन दरगाह के सामने वार्ड नं0 03
3.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगो के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• यतिजी का बगिचा, वार्ड नं. 2 • स्कूल नं. 14, पंखा रोड़ वार्ड नं. 3 • मुस्लिम मुसाफिरखाना, वार्ड नं. 4 • बागला जुनियर स्कूल वार्ड नं. 5 • पारख बालिका विद्यालय, वार्ड नं. 11 • शारदा स्कूल, वार्ड नं. 11 • पटवार घर, वार्ड नं. 12 • शिक्षक भवन, वार्ड नं. 12

		• केन्द्रीय विद्यालय, वार्ड नं. 12 • विश्वकर्मा भवन, वार्ड नं. 13 • ओसवाल पंचायत भवन, वार्ड नं. 14 • बैदों की धर्मशाला, वार्ड नं. 14 • सुराणा स्मृति भवन, वार्ड नं. 15 • जैन केशर बालिका विद्यालय, वार्ड नं. 16 • लोहिया कालेज, वार्ड नं. 20 • स्कूल नं. 7, वार्ड नं. 21 • मनोरंजन क्लब, वार्ड नं. 24 • श्री दिगम्बर जैन गेस्ट हाऊस, वार्ड नं. 24 • मिश्र स्मृति भवन, वार्ड नं. 24 • बालिका महाविद्यालय, वार्ड नं. 26 • मॉन्टेसरी बाल भवन, वार्ड नं. 26 • दादू भवन, वार्ड नं. 26 • सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला, वार्ड नं. 29 • बजाज भवन, वार्ड नं. 29 • धानुका धर्मशाला, वार्ड नं. 30 • अग्रसेन भवन, वार्ड नं. 31 • कुदाल भवन, वार्ड नं. 37 • सोती भवन, वार्ड नं. 38 • राजकीय बालिका उमावि, वार्ड नं. 39 • राजकीय गोयनका सी.सै. स्कूल, वार्ड नं. 40 • सामुदायिक भवन वन विहार वार्ड नं. 10 • शिव मन्दिर के पास सामुदायिक भवन वार्ड नं. 10 • आसेरी गेस्ट हाउस वार्ड नं. 33 • सणखत भवन मोचीवाडा • माहेश्वरी भवन वार्ड नं. 34 • जैन श्वेताम्बर तेरापंथी विद्यालय वार्ड नं. 11
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेंगे।	जिला प्रशासन एवं पुलिस से कानून एवं व्यवस्थाजनक सहायता के साथ-साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग से समन्वय स्थापित कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के नुकसान को कम करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
5.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संचालित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, चूरू में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01562-250318 है।

नगरपालिका, रतननगर

1.	आपदा का नाम	बाढ़ एवं अतिवृष्टि
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	पम्प द्वारा शहर के बाहरी क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था है।
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• वार्ड संख्या 4, जालानों की धर्मशाला के पास • वार्ड संख्या 6, हीरावतों की हवेलियों के पास • वार्ड संख्या 9, मणियारों के घरों के पास • कटारियों का मोहल्ला, वार्ड नं. 04 रतननगर • हरिजन बस्ती, वार्ड नं. 9 रतननगर

		मीना बाजार, वार्ड नं0 10 रतननगर
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	- राज. बृजलाल बा.मा. विधालय भवन - गांधी बाल विधा मंदिर - राज. उ.प्रा. विधालय भवन - नगरपालिका बस स्टैण्ड रतननगर
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेंगे।	जिला प्रशासन एवं पुलिस से कानून एवं व्यवस्थाजनक सहायता के साथ-साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग से समन्वय स्थापित कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के नुकसान को कम करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
6.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, रतननगर में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01562-281224 है।

नगरपालिका, तारानगर

1.	आपदा का नाम	बाढ़ एवं अतिवृष्टि
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	सेम्प वेल से पम्पींग द्वारा दो स्थलों से जल निकासी की जाती है।
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	- व्यासों की बगीची के पास वार्ड नं0 01 तारानगर - लुहारों की मस्जिद व मोहल्ला ख्यालीवास वार्ड नं0 14 तारानगर - सरावगी कुआ के आस पास का क्षेत्र वार्ड नं0 25 तारानगर - चौधरी कॉलेज के आगे व कुरडाराम भाट के घर के आस पास वार्ड नं0 19 - मोटानियां कुआ के पास से चंगोई रास्ता तक वार्ड नं0 19 तारानगर - रेस्ट हाउस सार्वजनिक निर्माण विभाग के आस पास का क्षेत्र तारानगर - ट्रेनेज नं0 02 के आस पास का क्षेत्र वार्ड नं0 2 व 3 तारानगर
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	- सामुदायिक भवन वार्ड नं0 01 तारानगर - प्रजापत भवन वार्ड नं0 01 तारानगर - सैन भवन वार्ड नं0 01 तारानगर - जांगिड़ धर्मशाला वार्ड नं0 01 तारानगर - मेघवाल धर्मशाला वार्ड नं0 04 तारानगर - प्रजापत सामुदायिक भवन वार्ड नं0 07 तारानगर - खेतरपाल सामुदायिक भवन वार्ड नं0 08 तारानगर - सैनी धर्मशाला वार्ड नं0 11 तारानगर - सैनी धर्मशाला वार्ड नं0 16 तारानगर - सांसी धर्मशाला वार्ड नं0 18 तारानगर - मेहतर/वाल्मिकी धर्मशाला वार्ड नं0 17 तारानगर

		- सामुदायिक भवन वार्ड नं० 22 तारानगर - सैनी संस्था वार्ड नं० 25 तारानगर - भामी भवन वार्ड नं० 24 तारानगर - ओसवाल पंचायत भवन वार्ड नं० 05 तारानगर - रामदेव धर्मशाला वार्ड नं० 05 तारानगर - सोनी धर्मशाला वार्ड नं० 02 तारानगर - बैदों की धर्मशाला वार्ड नं० 06 तारानगर - नगरपालिका भवन मे आश्रय स्थल तारानगर - बंका धर्मशाला वार्ड नं० 17 तारानगर - ब्राह्मण धर्मशाला वार्ड नं० 20 तारानगर - सरावगी धर्मशाला वार्ड नं० 23 तारानगर
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेंगे।	जिला प्रशासन एवं पुलिस से कानून एवं व्यवस्थाजनक सहायता के साथ-साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग से समन्वय स्थापित कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के नुकसान को कम करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
6.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, चूरू में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01561-240245 है।
7.	चिन्हित जल निकासी हेतु क्षेत्र का नाम	- भूतिया जोहड़ी बीड़, तारानगर - थम्बा जोहड़ी बीड़, तारानगर - पिलानियां स्कूल के पास कुआं तारानगर
8.	जल निकासी हेतु अन्य योजना	पीवीसी पाईप 2,5" के 2500 फिट 03 डिजल मोबाईल पम्प उपरोक्त समस्त सामान नगरपालिका तारानगर के पास उपलब्ध है।

नगरपालिका, सरदारशहर

1.	आपदा का नाम	बाढ़ एवं अतिवृष्टि
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	चिन्हित वाडों में गन्दे पानी की निकासी हेतु पम्प हाऊस
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	- राजवाले कुएं के पास, नेताजी रोड - सुराणा व लूणियों का मौहल्ला, नालों की गली, वार्ड नं. 10 - मुख्य बाजार होते हुए मोचीवाड़ा - गिनाणी बास, वार्ड नं. 5 - नालों की गली, बोडिया कुआ, वार्ड नं 31 व 32 - सब्जी मंडी, उतरादा बाजार - आथूना बाजार, घण्टाघर से मुण्ती कुई, मोचीवाड़ा - गौशाला के आगे व बालाजी के मंदिर का मौहल्ला, वार्ड नं. 34 - इलाहीबक्स खां के कुएं के पास, वार्ड नं 26 - मीणों के कुएं के पास, वार्ड नं. 14, 18 एवं 21 - टांटियां मंदिर के पास, भाट्टा बस्ती, वार्ड नं 17 - बापा सेवा सदन के पास वार्ड नं .14 - अर्जुन क्लब के दक्षिण का मौहल्ला, पांचों सिंह राजपूत का मकान काफी नीचा होने के कारण

		• रैगर बस्ती वार्ड नं 36 • बोडिया कुएं के पास व आस-पास की गलियां • वार्ड नं0 19 रोड़वेज डिपो व बस स्टैण्ड के उत्तर की गली
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगो के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• सुगन भवन, सोनी धर्मशाला, मोती चौक • चौधरियों की धर्मशाला • किशन छाजेड़ धर्मशाला, सरकारी धर्मशाला अस्पताल के पास • बड़ा पास, पंचायती भवन • सवाई बास, पंचायती भवन • मून्दड़ा धर्मशाला • प्रजापती भवन • दूगड़ भवन • पूर्वा गेस्ट हाऊस • हिसारिया धर्मशाला, रेल्वे स्टेशन • मनोहरी देवी सोनी धर्मशाला • अग्रसेन भवन • चौधरी गेस्ट हाऊस • लुणिया गेस्ट हाऊस • बुच्चा गेस्ट हाऊस • पींचा धर्मशाला, मीणा कुआ • महेश्वरी गेस्ट हाऊस • सैनी धर्मशाला, सुबेदार कुआ • मधुभवन, वार्ड नं 16 • छीपा धर्मशाला • विश्वकर्मा अतिथि भवन • पालिका सामुदायिक भवन, वार्ड 10 • भाट समाज धर्मशाला • टांटिया धर्मशाला • सैन समाज भवन, मोती चौक • रानी सती धर्मशाला • झालरिया धर्मशाला • बिसायती धर्मशाला • कासम गेस्ट हाऊस
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेगें।	जिला प्रशासन एवं पुलिस से कानून एवं व्यवस्थाजनक सहायता के साथ-साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग से समन्वय स्थापित कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के नुकसान को कम करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
6.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, सरदारशहर में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01564-220030 व 01564-220681 है।
7	स्वयं सेवी संस्थायें	रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, सिटी जेसीस, जूनिया जेसीस, महावीर इन्टरनेशनल, युनाईटेड क्लब, मोती चौक सेवा मण्डल, व्यापार मण्डल, सरदारशहर नागरिक परिषद, दिल्ली, कोलकाता व मुम्बई

नगरपालिका, राजगढ़

1.	आपदा का नाम	बाढ़ एवं अतिवृष्टि
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	दैनिक पानी की निकासी व्यवस्था हेतु शहर के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार निम्न व्यवस्थाएँ की गई है – • कच्चे जोहड़ों में नाली नालों से पानी इक्का होता है, जहाँ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विद्युत पम्प 30 एच.पी. संचालित है जिसके द्वारा पानी शहर से बाहर निकाला जाता है। • वार्ड नं. 27 में शहर का पानी पानी इक्का होता है जहाँ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हिसार रोड़ के पास विद्युत मशीन 30 एच.पी. से डाला जाता है। • हिसार रोड़ पर पालिका का पम्प हाऊस बना हुआ है जिस पर 20 एच.पी. की विद्युत मोटर है जिससे नियमित पानी निकासी की जाती है। • वार्ड नं. 13 एवं 18 में पालिका द्वारा डीजल पम्प लगा रखा है जो नियमित रूप से संचालित होता है। • दाऊद कुई पर पालिका का स्थाई डीजल पम्प सैट है जिससे नियमित पानी का निकास किया जाता है। • शहर के शेष वार्डों का पानी नाली नालों से शहर के बाहर डाला जाता है।
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• महाराणा प्रताप चौक, सादुलपुर वार्ड नं0 01, 03, 05, 06, 30 आंशिक • शमशान भूमि के पास, वार्ड नं0 09 • हिसार– रेवाड़ी रेलवे लाईन के मध्य से वार्ड नं0 13,19 • कच्चा जोहड़ व गणगौरी चौक वार्ड नं0 14 • भार्गव चौक डिग्गी वार्ड नं0 13, 17 • मौहल्ला नरडियान शमशान भूमि के पीछे भादरा रेलवे लाईन के पास डिग्गी वार्ड नं0 20,18 • कच्ची डिग्गी वार्ड नं0 23 • बहल रोड़ पर डिग्गी पर विद्युत पम्प लगाकर पानी का निकास • तारानगर रोड़ वार्ड नं0 01हिसार रोड़ डिग्गी वार्ड नं0 27
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगो के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ • मोहता कॉलेज राजगढ़ • मोहता आईटीआई कॉलेज, राजगढ़ • मोहता गर्ल्स कॉलेज, राजगढ़ • श्री एसजेडी अग्रवाल (तोला) स्मृति महिला महाविद्यालय • राउमावि, राजगढ़ • राजकीय मोहता बालिका विद्यालय, राजगढ़ • रामावि, राजगढ़ • राउप्रावि, रतनलाल मोहता • राउप्रावि, दुर्गादत्त भक्कड़ • राउप्रावि नं0 01 • राउप्रावि नं0 03 • राउप्रावि नं0 05

	• राउप्रावि नं0 06 • राउप्रावि नं0 07 • राउप्रावि चंगौई वाला • राउप्रावि फुलचन्द राजगढीया • राप्रावि नं0 09 उमराव खान चौहान • राप्रावि ढाणी दमामियान • आर.एस.मेमोरियल स्कूल, राजगढ • महर्षि दयानन्द विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय, सादुलपुर • सी.आर.मेमोरियल उच्च मा0 विद्यालय, सादुलपुर • मोहता पब्लिक स्कूल, राजगढ • टैगोर अकादमी पब्लिक उच्च मा0 विद्यालय, राजगढ • श्रीमती रमा देवी न्यू इंग्लिश उच्च मा0 विद्यालय, सादुलपुर • विद्या भारती सैकण्डरी स्कूल, राजगढ • सर्वोदय पब्लिक उच्च मा0 विद्यालय, राजगढ • श्रीमती रूकमणी देवी टीकमाणी बालिका शिक्षा सदन, राजगढ • राजगढ पब्लिक मा0 विद्यालय, सादुलपुर • प्रेरणा पब्लिक उच्च मा0 स्कूल, राजगढ • युक्ता बिन्दल पब्लिक शिक्षण संस्थान मा0 विद्यालय, राजगढ • ए.वी.एम उच्च मा0 विद्यालय, राजगढ • महात्मा ज्योतिराव फुले उच्च मा0 विद्यालय, सादुलपुर • गीता देवी सरावगी बालिका उच्च मा0 विद्यालय, राजगढ • राज0 पब्लिक उच्च मा0 विद्यालय, सादुलपुर • उज्जवल मा0 शिक्षण संस्थान, राजगढ • वी.एस. मैमोरियल शैक्षणिक संस्थान मा0 विद्यालय, राजगढ • ब्राईट पब्लिक सैकण्डरी स्कूल, राजगढ • एल.बी.एस मा0 विद्यालय, सादुलपुर • चौधरी एम.एस मैमोरियल उच्च मा0 विद्यालय, सादुलपुर • लुहारीवाला भवन, राजगढ • ओसवाल संघ पंचायत भवन, राजगढ • अग्रसेन भवन, राजगढ • सोनी अतिथि ग्रह, राजगढ • ब्राह्मण पंचायत भवन, राजगढ • व्यापारियान पंचायत भवन, राजगढ • ओसवाल पंचायत सादुलपुर राजगढ • मोहता वाटिका भवन, राजगढ • पंसारी भवन, राजगढ • जिन्दल अतिथि भवन, राजगढ • गुलाब भवन, राजगढ • महेश्वरी भवन, राजगढ • कन्दोई भवन, राजगढ • घेवकान बगीची, राजगढ • खातीयान धर्मशाला, राजगढ
--	---

		• मोचीयान धर्मशाला, राजगढ़ • सैनी धर्मशाला, राजगढ़ • टीकमाणी, धर्मशाला
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेंगे।	जिला प्रशासन एवं पुलिस से कानून एवं व्यवस्थाजनक सहायता के साथ-साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग से समन्वय स्थापित कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के नुकसान को कम करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
6.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, राजगढ़ में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01559-222039 है।

नगरपालिका, रतनगढ़

1.	आपदा का नाम	बाढ़ एवं अतिवृष्टि
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	1. मुख्य गैनाणी 2. पोस्ट ऑफिस गैनाणी
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• अस्पताल के सामने मुख्य मार्ग • रेलवे अन्डर पास पुलिया नं० 01
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• प्रजापति भवन • टीबड़ा भवन
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेंगे।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग
6.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, रतनगढ़ में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01567-222095 है।

नगरपालिका, राजलदेसर

1.	आपदा का नाम	बाढ़ एवं अतिवृष्टि
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	गैनाणी कब्रिस्तान के पास वार्ड नं० 019 राजलदेशर
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• महेन्द्र मुनि मार्ग वार्ड नं० 08 राजलदेशर • थाना रोड अम्बेडकर छात्रावास के सामने वार्ड नं० 23 • बन्डवा रोड नेशनल हाईवे नं० 11 वार्ड नं० 25 • रा.उ.मा.वि. राजलदेसर के पास वार्ड नं० 10 • रेलवे अन्डर ब्रिज वार्ड नं० 25
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• रैन बसेरा नगरपालिका राजलदेसर
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेंगे।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग
6.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार	इस हेतु नगरपालिका परिसर में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01567-232504 है।

	की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	
--	--	--

नगरपालिका, सुजानगढ

1.	आपदा का नाम	बाढ़ एवं अतिवृष्टि
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	विद्युत पम्प व डीजल इंजन से पानी की निकासी की जाती है।
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• नया बास गैनाणी • नलिया बास तलाई • रेलवे माल गोदाम तलाई • चापटिया तलाई, • दूलिया तलाई, • नाथो तालाब एरिया • जमालपुरा पम्प • हरिजन बस्ती, तलाई
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• रैन बसेरा लाडनू चूंगीनाका नयाबास, सुजानगढ • मालियों का मन्दिर, सुजानगढ • चौथमल सेठिया रैन बसेरा • सामुदायिक भवन • राउप्रावि नं० 06 सुजानगढ • कायमखानियों का मदरसा • बगड़िया धर्मशाला • तेलियान मदरसा
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेंगे।	1. जलदाय विभाग 2. विद्युत विभाग 3. जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सहायता विभाग।
6.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, सुजानगढ में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01568-242099 है।

नगरपालिका, छापरा

1.	आपदा का नाम	बाढ़ एवं अतिवृष्टि
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	कस्बे में नाले/नालियाँ बनी हुई है। इक्ठे होने वाले पानी की निकासी के लिए नगरपालिका के पास 2 पम्प सैट उपलब्ध है।
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	• विश्वाकर्मा मन्दिर के पास वार्ड नं० 1 छापरा • अणुव्रत मा.वि. के पास वार्ड नं० 02 छापरा • खटीक समाज बीदासर रोड़ के पास वार्ड नं० 04 छापरा • रेलवे स्टेशन रोड़ के पास सांसी बस्ती वार्ड नं० 15 छापरा • अणदाराम गिवारियों की चक्की के पास वार्ड नं० 15 छापरा जेतासर रोड़ वार्ड नं० 19 व 20 छापरा • शिव हनुमान मन्दिर के सामने वाली गली वार्ड नं० 17 छापरा
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	• कालू कल्याण केन्द्र • ओसवाल पंचायत भवन • जाजू भवन • पेडिवाल धर्मशाला

5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेंगे।	1. जोधपुर विद्युत वितरण निगम 2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
6.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, छापर में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01568-242099 है।
7.	जल निकासी हेतु अन्य योजना	छापर क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से ढलान होने के कारण बरसाती पानी दक्षिण दिशा में स्थित ताल में चला जाता है।

नगरपालिका, बीदासर

1.	आपदा का नाम	बाढ़ एवं अतिवृष्टि
2.	दैनिक जल निकासी की क्या व्यवस्था है ?	नाले / नालियों के माध्यम से
3.	निचले क्षेत्रों का विवरण जहाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय अधिक मात्रा में पानी भरने की संभावना हो।	● वाल्मीकी बस्ती, सामुदायिक भवन, वार्ड नं0 17 बीदासर ● शिव मन्दिर के पास वार्ड नं0 24 बीदासर ● बालबाड़ी स्कूल के पास वार्ड नं0 04 बीदासर
4.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के अस्थाई ठहराव स्थलों का विवरण	1. सामुदायिक भवन 2. बालबाड़ी विद्यालय 3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं0 02
5.	बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेंगे।	सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
6.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका, छापर में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 01560-262028 है।

जिले में अन्य आपदायें तथा (भूकम्प, भू-स्खलन, तुफान/चक्रवात/हिमस्खलन) इत्यादि से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है।

अध्याय – 6

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

(Capacity Building and Training Measures)

आपदा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण अथवा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जनसाधारण का प्रकोपों एवं आपदाओं के विभिन्न पक्षों जोखिम (Hazard) तथा आपदा की प्रकृति एवं उत्पत्ति की प्रक्रिया, परिणाम एवं प्रचण्डता, होने वाली क्षति के प्रकार एवं मात्रा आपदा पूर्वानुमान एवं आपदा चेतावनी प्रणाली, आपदा का मुकाबला करने के लिए तैयारी एवं सुरक्षा के उपाय, आपदा के साथ समायोजन से भलीभांति अवगत/प्रशिक्षित कराना है ताकि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी/सामाजिक कार्यकर्ता/औपचारिक एवं अनौपचारिक जन नेता आदि विभिन्न आपदाओं के न्यूनीकरण में अपना सहयोग दे सकें। क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सम्बन्धित व्यक्ति आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं/कार्यक्रमों/आपातकालिन आदि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके तभी आपदा प्रबन्धन प्लान का उद्देश्य/औचित्य सफल हो सकेगा। आपदा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रशासनों, पुलिस, व्याख्याताओं, इंजीनीयरों, वकील, अध्यापकों, नीति एवं निर्णय निर्धारकों तथा आम जनता तक विभिन्न लोकप्रिय माध्यमों जैसे- समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्यूमेंटरी फिल्म, पोस्टर, सेमिनार तथा वर्कशाप, नारे, नुक्कड़ नाटक, पेम्पलेट, सोशल मीडिया आदि के द्वारा आसानी से पहुंच सके। सभी देशों में आम जनता को प्राकृतिक एवं मानवीय प्रकोप एवं आपदा से सम्बन्धित शिक्षण/प्रशिक्षण एवं सूचना देने का उत्तरदायित्व बनता है कि वे आम जनता को प्रशिक्षित करें। और जनता का भी कर्तव्य बनता है। कि वे सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रकोप एवं आपदा को न्यूनीकरण करने में अपना सहयोग दें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापकों, व्याख्याताओं, वकील, राजनैताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की हो सकती है। लेकिन इन सब के लिए जिला प्रशासन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि वे किस प्रकार से जनता व प्रशासन के बीच तालमेल बैठाकर आम जनता को प्रकोप एवं आपदा के न्यूनीकरण के लिए प्रशिक्षित कर सके। छात्रों में बचपन से ही प्रकोप एवं आपदा से निपटने तथा उसकी उसकी पहचान करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) राष्ट्रीय केंड्रेट कोर (NCC), स्काउड इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए सभी विभागों में माह के अंतिम शनिवार को प्रकोप एवं आपदा सेमिनार/कार्यशाला आयोजित की जायेगी। इसकी अध्यक्षता विभाग प्रमुखों द्वारा की जायेगी। इनकी मोनिट्रिंग जिला कल्कटर द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। कार्यशाला में प्रत्येक शनिवार अंतिम शनिवार को टॉपिकवाइज समूह चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। समूहों में की गई चर्चाओं एवं निष्कर्षों को सोशल मीडिया, न्यूजपेपर, लोकल टेलिविजन चैनल के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जायेगा। प्रतिमाह एक सप्ताह के भीतर इसकी लिखित रिपोर्ट (अधिकतम दो पेज) जिला आपदा प्रबन्धन सेल को कॉपी भेजी जानी है। विभागवार प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यशाला के साथ सम्बन्धित विभाग अपने अधिन एवं अपने से जुड़े कार्मिक को भी प्रशिक्षित करेंगे तथा विषय विशेषज्ञ को आमन्त्रित कर चर्चा करेंगे। सम्बन्धित विभाग एवं उन्से जुड़े कार्मिकों/स्वयंसेवकों/प्रोफेशनल का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

क्र.सं. (1)	विभाग का नाम (2)	जो सम्बन्धित है, को प्रशिक्षण देना है। (3)
1.	पुलिस विभाग	विभाग के सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी (Class 4th तक) CLG के सदस्यगण
2.	चिकित्सा विभाग	सभी स्तर के कार्मिक (तकनीकी एवं जैट तकनीकी), स्वयंसेवक, MR, चिकित्सा सेवा से जुड़े दवा विक्रेता आदि।
3.	जन स्वास्थ्य एवं अभि. विभाग	सभी स्तर के अधिकारी कर्मचारी पलम्बर, सैनेटरी व्यवसायी, ठेकेदार, स्वयंसेवक आदि
4.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सभी स्तर के अधिकारी कर्मचारी (तक.एवं जैट तक.) मेशन, ठेकेदार, निर्माण सामग्री से जुड़े विक्रेता, स्वयं सेवक आदि।
5.	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक स्तर से उच्च मा. स्तर तक)	प्रशासनिक विभाग अपने-अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ प्रशिक्षण रखेंगे। प्रत्येक स्तर का स्कूल अपने स्कूल में स्टाफ (सरकारी एवं गैर सरकारी) एवं छात्रों के साथ प्रशिक्षण शिविर रखेंगे। इसके अलावा स्कूल में कार्यरत NSS, Scout, Eco club, आदि अपना-अपना स्वयं का कार्यक्रम भी रखेंगे जो शनिवार से अलग होगा क्योंकि इन्हें अलग से बजट मिलता है।
6.	महाविद्यालय (सरकारी एवं गैर सरकारी)	जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कॉलेज प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को प्रशिक्षण शिविर रखेंगे। इसके अलावा महाविद्यालय में कार्यरत NSS, NCC, Scout, Eco, Club, YDC, महिला प्रकोष्ठ आदि अपना स्वयं का कार्यक्रम एक दिवसीय शिविर, सात दिवसीय

		शिविर, अभिविन्यास कार्यक्रम आदि के माध्यम से अलग से रखेंगे। क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा अलग से बजट आवंटित किया जाता है। इसके अलावा स्वयंसेवकों का ब्लड ग्रुप जाँच अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष 30 सितम्बर तक करवाकर जिला कलक्टर को सूची भेजेगें।
7.	नगरपालिका/नगर परिषद	सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी, ड्राइवर, फायर बिग्रेड से जुड़े कार्मिक, सफाईकर्मी, स्वयं सेवक, ठेकेदार आदि।
8.	सामुदायिक क्षमता निर्माण (CommunityCapacity Biulding)	यह कार्य प्रमुख रूप से महिला विभाग द्वारा अपने विभाग में एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपने क्षेत्र में किया जायेगा। • सभी स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी, स्वयंसेवक, • आंगनबाड़ी स्तर पर आप जनता, स्वयं सेवक, आदि • ग्राम स्तर पर –सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक, पंच, ग्रामीण जनसमुदाय, स्वयं सेवक आदि।
9.	पंचायत समिति स्तर पर	सभी स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी (सरकारी एवं गैर सरकारी) तक जिला परिषद, सदस्य, सरपंच, पंच, ठेकेदार, स्वयं सेवक आदि।
10.	गैर सरकारी संस्थान (लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, योगा संस्थान, मनोरंजन क्लब, एक्टिव संस्था इत्यादि)	जिले के अग्रणी एवं एक्टिव गैर सरकारी संस्थानों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे जनसाधारण को आपदा प्रबन्धन को न्यूनीकरण/कम करने में प्रशिक्षित करें।
11.	जिला उद्योग केन्द्र	जिले में समस्त पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों, स्टाफ के सदस्य, स्वयंसेवक सप्लायर इत्यादि।
12.	बैंक	सभी स्टाफ के सदस्यगण, स्वयंसेवक आदि।
13.	पेंशनर्स समाज	पेंशनर्स समाज से भी अपने पेंशनर्स के साथ क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
14.	विद्युत विभाग	सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी, ड्राइवर, फायर बिग्रेड से जुड़े कार्मिक, सफाईकर्मी, स्वयंसेवक, ठेकेदार आदि।
15.	वन विभाग	सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी, ड्राइवर, फायर बिग्रेड से जुड़े कार्मिक, सफाईकर्मी, स्वयंसेवक, ठेकेदार आदि।
16.	सिंचाई विभाग	सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी, ड्राइवर, फायर बिग्रेड से जुड़े कार्मिक, सफाईकर्मी, स्वयंसेवक, ठेकेदार आदि।
17.	रसद विभाग	सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी, ड्राइवर, फायर बिग्रेड से जुड़े कार्मिक, सफाईकर्मी, स्वयंसेवक, ठेकेदार आदि।
18.	रेल्वे विभाग	सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी, ड्राइवर, फायर बिग्रेड से जुड़े कार्मिक, सफाईकर्मी, स्वयंसेवक, ठेकेदार आदि।
19.	परिवहन विभाग	सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी, ड्राइवर, फायर बिग्रेड से जुड़े कार्मिक, सफाईकर्मी, स्वयंसेवक, ठेकेदार आदि।
20.	डाक विभाग	सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी, ड्राइवर, फायर बिग्रेड से जुड़े कार्मिक, सफाईकर्मी, स्वयंसेवक, ठेकेदार आदि।
21.	दूरसंचार विभाग	सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी, ड्राइवर, फायर बिग्रेड से जुड़े कार्मिक, सफाईकर्मी, स्वयंसेवक, ठेकेदार आदि।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय/मुद्दे/बिन्दु आवश्यक रूप से शामिल किये जायेगें।

- 1- HVCRA की जानकारी सभी को आवश्यक रूप से दी जाये। (Hazard- जोखिम, Vulnerability- संवेदनशील, Capactir-Risk Aresement- जोखिम आकलन)
- 2- आम जनता, निर्णय लेने वाले एवं नीति निर्धारण, अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक, स्वयंसेवक इत्यादि के बीच प्रकोप एवं आपदा के विषय में बोध एवं जागरूकता (Perception एवं anlsrene) पैदा करना। किसी आपदा के समय उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना।
- 3- आम जनता तथा प्रशासन को किसी सम्भावित आपदा/जोखिम की समय रहते अग्रिम सूचना देना।
- 4- आपदा से बचने के लिए आप जनता को निर्माण मानकों का सख्ती से पालन करने एवं निर्माण मानकों की जानकारी प्रदान करना।
- 5- किसी भी तरह की आपदा आने पर लोगों की सुरक्षा के उपायों से अवगत कराना ताकि जनधन हानि कम से कम हो।
- 6- प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं के प्रति लोगों को उनकी पुरानी सोच एवं धारणों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना।
- 7- आपदा से होने वाली क्षति को कम करने वाली वैज्ञानिक तकनीकों एवं सुरक्षा के उपायों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना।
- 8- हमेशा सजग एवं सावधान रहना।

अध्याय – 7

प्रतिक्रिया एवं राहत

(Response and Relief Measure)

आपदा प्रबन्धन में आपदा प्रतिक्रिया (response) रणनीति (बचाव एवं राहत कार्य, आपदा से रिकवरी एवं पुनर्वास) पर ज्यादा ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। इसमें ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से आपदा पूर्व (Pre-) प्रबन्धन के अन्तर्गत आपदा तैयारी, आपदा की रोकथाम, एवं आपदा निवारण तथा आपदोपरान्त (Post) बचाव एवं राहत कार्यों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है यहां इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि आपदा प्रतिक्रिया (Response) अर्थात् केवल आपदा के आने पर किये जाने वाले कार्य ही अधिक प्रभावी नहीं हो सकते हैं बल्कि आपदा के आने से पूर्व की तैयारी ज्यादा प्रभावी रहेगी। आपदा प्रबन्धन के चार महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनको सही तरीके से समझना हैं तथा उसी के अनुरूप कार्य योजना बनानी है।

1. आपदा निवारण (mitigation)
2. आपदा तैयारी (preparedness)
3. आपदा प्रतिक्रिया (response)
4. आपदा पुनर्वास (recovery)

आपदा तैयारी एवं आकलन :-

(Preparedness and assessment)

आपदा तैयारी का सामान्य अर्थ होता है किसी क्षेत्र तथा मानव समुदाय अर्थ होता है किसी क्षेत्र तथा मानव समुदाय में किसी प्रकोप के आने की दशा में उससे निपटने के लिए आवश्यक प्रबन्ध तथा तैयारी करना एवं उसका आकलन करना। इसके लिए निम्न कदम उठाये जाने आवश्यक है।

1. किसी प्रकोप एवं आपदा के लिए सम्बन्धित क्षेत्र एवं मानव समुदाय की अतिसंवेदनशीलता (Vulnerability) का आकलन (assessment) करना।
2. प्रकोप/प्रकोपों का निर्धारण करना तथा उनके स्वरूप उत्पत्ति की प्रक्रिया एवं उनकी प्रचण्डता का आकलन करना।
3. प्रत्येक प्रकोप एवं आपदा के जोखिम (Risk) का आकलन करना।
4. प्रकोप द्वारा होने वाली क्षति की मात्रा एवं परिणाम (Quantity and intensity) का आकलन एवं निर्धारण करना।
5. सम्बन्धित क्षेत्र का अतिसंवेदनशील (Vulnerability) का नेशनल मैप तैयार कर चर्चा करना।
6. विभिन्न माध्यमों एवं विधियों द्वारा प्रकोप के बारे में प्रतिकूल प्रभावों एवं क्षति के बारे में जनसाधारण को परिचित कराना। सूचना देना।
7. प्रकोपों से बचाव तथा आपदा के आने पर सुरक्षात्मक उपायों से लोगो को अवगत कराना।

आपदा तैयारी (preparedness) का मुख्य उद्देश्य एवं अर्थ है कि सभी प्रशासनिक इकाइयां, व्यक्ति एवं समुदाय, सामाजिक कार्यकर्ता, गैरसरकारी संगठन आदि को किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार दशा (State readiness) में चुस्त-दुरुस्त रखना है।

आपदा चेतावनी प्रणाली (Warning System)

जिला प्रशासन द्वारा आपदा चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है। इसके अन्तर्गत किसी भी आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के जन समुदाय को उस सम्भावित आपदा के विभिन्न पक्षों से अवगत करवाया जायेगा। आपदा चेतावनी प्रणाली के अन्तर्गत पूर्व चेतावनी (early warning) आधुनिक तकनीक के माध्यम से दी जायेगी ताकि लोगों को तुरन्त पता लग सके तथा वे संभल सके।

पूर्व चेतावनी साधन (early warning tools) :

- Internet
- Social media (Face book, Whatshup etcm)
- Normal sms
- रेडियो

- टेलीविजन
- समाचार पत्र
- लाउडस्पीकर

जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा चेतावनी केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इसका संचालन सम्बन्धित **SDM** करेंगे। आपदा चेतावनी की सफलता निम्न बातों पर निर्भर करती है—

1. चेतावनी की विश्वसनीयता
2. संचार व्यवस्था के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिण्ट मिडिया की समुचित क्रियाशीलता एवं सक्रियता।
3. आपदा चेतावनी में लगे लोगों एवं एजेन्सियों की कार्यकुशलता एवं कर्तव्य बोध।
4. आपदा शिक्षा।
5. आपदा तथा उस सम्बन्धित चेतावनी के प्रति आम जनता की समझ।
6. सही चेतावनी।
7. समय पर चेतावनी।
8. आम जनता का आपदा के प्रति सकारात्मक सोच एवं सहयोगात्मक रवैया।

जिला संकट प्रबन्धन समूह

(District crisis management corp) (CMG)

आपदा के संकट मंडराने पर जिला संकट प्रबन्धन समूह को बैठक का आयोजन आपातकालिन रूप से किया जाकर आगे की रणनीति तय की जायेगी।

आपातकालिन केन्द्र की सक्रियता

(Emergency Operation Center Activation) (EOC)

आपातकालिन केन्द्रों को तुरन्त सक्रिय (Activate) किया जायेगा। समस्त तहसील मुख्यालयों पर इसके अग्रिम सक्रिय अधिकारी **SDM** होंगे। जिले में आपातकालिन केन्द्रों की सूची संलग्न है।

आपातकालिन स्थिति में निम्न तत्वों/कार्यों/सेवाओं को तुरन्त सक्रिय किया जायेगा।

1. बचाव दल (Rescue Team)
बचाव कार्य में विशेषज्ञ (फायर, तैराक, चिकित्सक, ड्राइवर, आदि) वाहन मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए भारी उपकरण आदि।
2. मेडिकल दल (Medical Team)
डॉक्टर, नर्स, स्वयंसेवक, फर्स्ट एड बॉक्स, दवाइयां, एम्बुलेंस, वाहन आदि।
3. राहत सामग्री (Relief Material)
शुद्ध पेयजल खाने के पैकेट, टेण्ट, जेनरेटर, आवश्यक कपड़े (महिलाएं, पुरुषों एवं बच्चों के) कम्बल, दरी, लाइट उपकरण, मेडिकल उपकरण, आदि।

बाहरी सहायता :-

(External Help)

किसी भी प्रकार की आपदा की प्रकृति एवं मात्रा के अनुसार जरूरत पड़ने पर जिले के बाहर/राज्य के बाहर से भी मदद ली जा सकती है।) जिला स्तर से अंतराष्ट्रीय स्तर तक मदद करने वाले संगठनों की सूची संलग्न है)

प्रथम मूल्यांकन रिपोर्ट: (First Assessment Report) किसी भी प्रकार की आपदा के समय प्रभावित लोग तुरन्त आपातकालिन सम्पर्क सूत्र पर सूचना देंगे तथा वहाँ (आपातकालीन नं० 01562251322) से सीधे राहत भेजने के साथ-साथ उच्चाधिकारियों जिला कलक्टर/एस.डी.एम/तहसीलदार को घटना की जानकारी दी जायेगी ताकि उच्च स्तर पर तुरन्त कार्यवाही करके राहत पहुंचाई जा सके।

सूचना तंत्र : आपदा घटित होने के पश्चात इससे सावधानी एवं बचने के उपायों के बारे में लोगों को सतर्क करने हेतु ए.डी.एम द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की जायेगी। इसके लिए प्रेस मिटिंग भी बुलाई जा सकती है। (प्रमुख समाचार एजेन्सी के पत्रकारों की सूची संलग्न है)

रिपोर्टिंग (Reporting system):- घटना की रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर की तरफ जायेगी। घटना का बारिकी से निरीक्षण कर सभी प्रकार के पहलुओं से उच्चाधिकारियों एवं सुरक्षा हेतु आम जनता को सूचना प्रदान की जायेगी। रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर निम्न प्रणाली रहेगी।

अध्याय — 8

पुनःनिर्माण, पुनर्वास और रिकवरी उपाय (Reconstruction Rehabilitation and Recovery)

आपदा प्रबन्धन की आपदोपरान्त अवस्था किसी भी आपदा से दुष्प्रभावित समुदाय की आपदाओं द्वारा उत्पन्न त्रासदी को झेलने की लोचकता (Resilience) की प्रतीक होती है। इस अवस्था में चरणबद्ध तरीके से निम्न आवश्यक तत्वों/तथ्यों पर ध्यान देना है :-

1. राहत कार्य (Relief measur)
2. आपदाओं द्वारा जनित सदमों से उबरना (Recovery from shocks of distanten)
3. विस्थापित लोगों का पुनर्वास (Rehabilitation) राहत कार्य, रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक ढांचागत/संस्थागत सुविधाएं मुहैया करवानी है जो निम्न प्रकार से हैं—
 - बचाव कार्य (Rescue opration)
 - आवास एवं भोजन की व्यवस्था
 - पेयजल व्यवस्था
 - बिजली आपूर्ति
 - औषधि एवं चिकित्सा सुविधाएं
 - शौचालय
 - कपड़े/कम्बल
 - परिवहन सेवा
 - अन्य

पर्याप्त सपोर्ट सिस्टम :-

आपातकाल के समय उपर्युक्त ढांचागत/संस्थागत सुविधाओं को सुलभ कराने के लिए निम्न सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होगी :

- आर्थिक सपोर्ट
- सामग्री सपोर्ट
- उपकरण सपोर्ट
- प्रशासनिक सपोर्ट
- मेडिकल सपोर्ट
- सामाजिक सपोर्ट
- आपदा चेतावनी सिस्टम
- आपदा शिक्षा एवं जानकारी
- आपदा प्रबन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आपदा की सूचनाओं एवं जानकारी का प्रसारण एवं सम्प्रेषण।

यहां इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि उपर्युक्त सपोर्ट सिस्टम की उपलब्धता/सुनिश्चिता पहले से ही तय हो जानी चाहिए कि कौनसा सपोर्ट कब/कहां से /कितनी मात्रा में सुलभ हो सकता है। अतः आपदा प्रबन्धन की इस कार्ययोजना के एक-एक पहलु का अध्ययन करना सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अति आवश्यक है।

कार्य योजना के उद्देश्य :-

सुचारु योजना के अभाव में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यों का समन्वय नहीं हो पता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान-माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

1. प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
5. स्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।

6. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा 2ए में वर्णित प्रावधान के अनुसार जिला कलक्टर जिले में घटित किसी भी आपदा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए जिला कलक्टर आपदा के समय अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा उप जिला कलक्टर (जिला मुख्यालय) जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

- जिला कलक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था, इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते हैं।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना किया गया है जो कि 24 घंटे कार्यरत है।

नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलैक्ट्रेट में 24 घंटे संचालित है।
 - नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. उपलब्ध है।
- जिला नियन्त्रण कक्ष (इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर) के दूरभाष नम्बर 01562-251322/1077 है।

जिला एवं स्थानीय प्रशासन

1. आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेषज्ञ सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
2. रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
3. नियंत्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
4. सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
5. प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
6. प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना। विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
7. दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउंटर बनाना।
9. जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

1. आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना। खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

अग्नि एवं कार्ययोजना :-

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उत्तना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियंत्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई

गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल-मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास-पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है। शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है। जिले में अधिकतर अग्निकाण्ड रबी की सूखी फसल में बीडी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है।

जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र

शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोलियम पम्प, छविगृह, कृषि उपज मण्डी, गैस एजेन्सी, आदि है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएं

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती हैं लेकिन जिले में ज्वलनशील इकाईयां नहीं होने के कारण तथा अत्यधिक ज्वलन शील रसायनों के भण्डारण नहीं होने के कारण यहां ऐसी संभावना कम है।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

अग्नि दुर्घटना

1. अग्नि दुर्घटना के समय की जाने वाली विभागवार तैयारियाँ एवं उपलब्ध संसाधन

नगरपालिका, राजगढ़

1.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	शहर के सभी बाहरी वार्ड कच्ची बस्ती के कच्चे मकान व औद्योगिक क्षेत्र, समारोह, रोली एवं दीपावली आदि पर्वों पर संभावित
2.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मैटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	1. मानव शक्ति – मजदूर उपलब्ध है। 2. मशीन – ट्रैक्टर 3. मैटेरियल – आवश्यकतानुसार उपलब्ध है। 4. अग्निशमन वाहन नहीं है। कस्बे की 80 हजार की आबादी है।
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	पुलिस, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा विभाग, पी.डब्ल्यू.डी., सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एच.ई.डी., विद्युत विभाग व जनता का सहयोग।
4.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु पालिका के दूरभाष नंबर 01559-222039 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, तारानगर

1.	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	समय-समय पर छोटी मोटी दुर्घटना शहर में होती रहती है।
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	नया व पुरान बस स्टैन्ड, मुख्य बाजार एवं स्लम एरिया
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मैटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	मानव शक्ति उपलब्ध है। पानी हेतु मय टैंकर एवं पम्प सेट सहित ट्रैक्टर चालित है।
4.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	विद्युत विभाग, जलदाय, पुलिस एवं राजस्व विभाग

5.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	नगरपालिका तारानगर का दूरभाष नंबर 01561-240245
----	---	---

नगरपरिषद, चूरू

1	आपके क्षेत्र पूर्व में हुई अग्नि दुर्घटना का विवरण	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना होने पर अविलंब सहायता प्रदान की गई एवं घटनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर अग्नि दुर्घटना के कारण होने वाली हानि को कम करने के प्रयासों पर विचार विमर्श किया गया।
2.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	मेला स्थलों, होटलों में एलपीजी गैस के उपयोग एवं विद्युत अवछेदन के, गैस के गोदाम, सिनेमा हॉल, रासायनिक ईकाइयों, लकड़ी के कारखानों आदि
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मैटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर किसी प्रकार की हानि होने पर जिला प्रशासन को सूचित किया जाता है एवं जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाती है।
4.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	जिला-प्रशासन
5.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु परिषद के दूरभाष नंबर 01562-250318 एवं 101 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, रतननगर

1.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मैटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	मानव शक्ति उपलब्ध है।
2.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	अग्नि शमन वाहन हेतु चूरू नगरपालिका, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा विभाग, पी. डब्ल्यू.डी., सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एच.ई. डी., विद्युत विभाग व जनता का सहयोग।
3.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु पालिका के दूरभाष नंबर 01562-281224 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपरिषद, सुजानगढ़

1.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, पटाखों की दुकानों के आस-पास, केरोसीन तेल स्टोरेज स्थलों पर
2.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मैटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	फायर ब्रिगेड गाड़ी, डम्पर प्लेसर गाड़ी, जीप, तीन ट्रैक्टर्स मय ट्रौली, फायर मैन, ड्राइवर एवं सफाई कर्मचारी
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	विद्युत विभाग, जलदाय, पुलिस एवं राजस्व विभाग
4.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य	नगरपरिषद सुजानगढ़ का दूरभाष नंबर 01568-220004 व 01568-222419

	प्रकार की व्यवस्था की है (कार्यालय का फोन नंबर)	
--	---	--

नगरपालिका, छापरा

1.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	वार्ड नं. 1,2,15,16,18,19 एवं 20 इन वार्डों में आंशिक तौर से कच्चे मकान होने के कारण अग्नि दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।
2.	अग्नि दुर्घटना को रोकने व्यय राशि (लाखों में) विवरण सहित	—
3.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली संभावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	उचित होगा कि पालिका के पास अग्नि शमन वाहन, फायर ब्रिगेड स्टेशन व स्टाफ की व्यवस्था हो, इसके लिए अनुमानित राशि 18.00 लाख रुपये।
4.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	इस हेतु पालिका के पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।
5.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान को कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेगें।	वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस प्रशासन तथा अग्नि शमन वाहन हेतु नगरपालिका सुजानगढ़ में उपलब्ध अग्नि शमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी।
6.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक-द्वारा किस प्रकार संवाहित की जायेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियंत्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है (यथा कार्यालय का फोन नंबर)	इस हेतु नगरपालिका के दूरभाष नंबर 242099 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, रतनगढ़

1.	दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	कच्ची बस्ती, कपड़े की दुकानों, पटाखों की दुकाने, औद्योगिक ईकाईयों में
2.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	सफाई सेवक 69 (मानव शक्ति)
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना के नुकसान का कम करने के लिए आप किन-किन विभागों की सहायता लेना उचित समझेगें।	जलदाय विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रतनगढ़
4.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधि द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस प्रकार संवाहित की जावेगी, इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियन्त्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है। (यथा कार्यालय का फोन नम्बर)	कार्यालय का दूरभाष 01567-222095 अग्निशमन दूरभाष 01567-60013

नगरपालिका, राजलदेसर

1.	अग्नि दुर्घटना की संभावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	वार्ड नम्बर 2, 5 एवं 12 में आंशिक तौर कच्चे मकान होने के कारण अग्नि दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।
2.	अग्नि दुर्घटना को भविष्य में होने से रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों अन्तर्गत व्यय की जाने वाली सम्भावित राशि (लाखों में) विवरण सहित	उचित होगा कि पालिका के पास अग्निशमन के पास वाहन, फायर ब्रिगेड स्टेशन व स्टाफ की व्यवस्था हो इसके लिए अनुमानित राशि 18.00 लाख रुपये
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	इस हेतु पालिका के पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।

4.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना नुकसान को कम करने के लिए आप किन किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, पुलिस प्रशासन तथा अग्निशमन वाहन हेतु नगरपालिका रतनगढ मे उपलब्ध अग्निशमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी।
5.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधी द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस संवाहित की जायेगी। इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियन्त्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है। (यथा कार्यालय का फोन नम्बर)	इस हेतु पालिका के दूरभाष नम्बर 232504 है। दूरभाष पर सूचना होने पर तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

नगरपालिका, बीदासर

1.	अग्नि दुर्घटना की सम्भावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	काजर बस्ती ठोलियान मौहल्ला एवं मेघवाल बस्ती
2.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	इस हेतु पालिका के पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना नुकसान को कम करने के लिए आप किन किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	जलदाय विभाग, बीदासर तथा अग्निशमन वाहन हेतु नगरपालिका सुजानगढ मे उपलब्ध अग्निशमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था होगी।
4.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधी द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस संवाहित की जायेगी। इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियन्त्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है। (यथा कार्यालय का फोन नम्बर)	टेलीफोन एवं वायरलेस पुलिस स्टेशन

नगरपालिका, सरदारशहर

1.	अग्नि दुर्घटना की सम्भावित जगहों एवं अवसरों का विवरण	औद्योगिक क्षेत्र
2.	अग्नि दुर्घटना घटित होने के उपरान्त घटना से मानवीय, पशु एवं धन हानि को रोकने हेतु आपके पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध है। (यथा मानव शक्ति, मशीन, मेटेरियल एवं धन (पृथक-पृथक उल्लेख करें)	पालिका के पास अग्निशमन वाहन उपलब्ध है।
3.	अग्नि दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना नुकसान को कम करने के लिए आप किन किन विभागों की सहायता लेनी उचित समझेंगे।	जलदाय विभाग, बीदासर तथा अग्निशमन वाहन हेतु नगरपालिका सुजानगढ मे उपलब्ध अग्निशमन वाहन मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी।
4.	जन सामान्य या जन प्रतिनिधी द्वारा अग्नि दुर्घटना की सूचना आप तक/द्वारा किस संवाहित की जायेगी। इस हेतु त्वरित संवाद स्थापित करने बाबत आपने नियन्त्रण कक्ष या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की है। (यथा कार्यालय का फोन नम्बर)	नगरपालिका का दूरभाष नम्बर 01564-220030

अग्निशमन केन्द्र :- नियन्त्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम ऐसासियन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि।
- स्वयंसेवी संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी

1. आपदा की सूचना मिलने पर तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचना।
2. आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करना।
3. आवश्यकतानुसार स्वयंसेवक उपलब्ध कराना।

4. कानूनी व्यवस्था में मदद करना।
5. आश्रय स्थलों पर व ट्रेफिक व्यवस्था में प्रशासन की सहायता करना।

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- यातायात की व्यवस्था व नियन्त्रण करना।
- सेवाओं के घटना स्थल पर पहुंचने के मार्ग से बाधा हटाना व उन्हे सही रास्ते के दिशा निर्देश देना।
- घटना स्थल पर वीआईपी विजिट की स्थिति में आवश्यक प्रबन्धन करना जिससे आवश्यक सेवाओं के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
- बचाव कार्यों में मदद करना।
- घटना स्थल की घेराबन्दी करना।

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल।
- संबंधित अभियन्ता मय स्टाफ आपदा स्थल पर तत्काल रिपोर्ट करें।
- आपदा स्थल पर प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई/कटौती की परोपर व्यवस्था।
- विद्युत सप्लाई बन्द के दौरान आपदा स्थल पर आवश्यक विद्युत सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- विद्युत लाईनों (उपरी/भूमिगत) की परोपर देखभाल करना जिससे अनावश्यक विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्रोतों से जल की उचित आपूर्ति
- संबंधित अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर रिपोर्ट करेंगे।
- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक हुआ तो पानी की सप्लाई बन्द करेंगे व आवश्यकतानुसार टैंकों से पानी की व्यवस्था करवायेंगे।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता को देखते हुए हाईड्रैण्ट्स को चालू हालात में रखना, विद्युत सप्लाई बाधित होने की स्थिति में टैंकों से अग्निशमन हेतु आवश्यक पानी सप्लाई करवाना।
- गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा खपत को देखते हुए आवश्यक पानी की सप्लाई बनाये रखने की व्यवस्था करें। उपभोक्ताओं द्वारा घरों में बुस्टर लगा कर पानी खेंचने पर अंकुश लगावें।
- वर्षा के मौसम के दौरान पानी में आवश्यक क्लोरिन की व्यवस्था करावें ताकि दुषित पानी से निजात मिल सके।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार की परोपर व्यवस्था करना।
- घटना/आपदा स्थल पर तत्काल एम्बुलेंस मय मेडीकल स्टाफ भिजवाना।
- राजकीय एवं नीजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।
- हताहतों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाना।
- औषधियों की परोपर व्यवस्था करना।
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क रखना।
- चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता।
- मौसमी बिमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना।
- समय-समय पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों को दौरा आवश्यक सेनिटेशन की व्यवस्था करना व खान-पान की वस्तुओं को चैक करना।

- स्वयंसेवी एजेन्सीयों से सम्पर्क रखना।

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयंसेवकों की उपलब्धता कराना।
- राहत शिविर लगाना।
- सहायता सामग्री का वितरण।

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना।
- आपदा की स्थिति में जानवरों की बिमारियों पर नियन्त्रण हेतु आवश्यक टीकाकरण/औषधियों की व्यवस्था करना।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों की तैनाती।
- आपदा के पश्चात मृत जानवरों से महामारी की स्थिति न बने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

नगरपालिका/नगर निगम

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची।
- आश्रय स्थलों की परोपर सफाई व्यवस्था।
- घटना स्थल पर आवश्यक लाइट की व्यवस्था करना।
- मृत लोगों व जानवरों के अन्तिम संस्कार/दफनाने की व्यवस्था करना।
- महामारी की स्थिति से बचाव के उपाय करना।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

व्यापारियों व हलवाईयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना।

- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय।
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना।

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें क्या करें :-

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त नगर निगम जयपुर को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जाये।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालना करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें :-

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

नागरिक सुरक्षा बल : (CIVIL DEFENCE)

नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमण (युद्ध) की स्थिति में हवाई हमला के दौरान जान व माल की सुरक्षा व नुकसान को कम करना है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 को लागू किये जाने के उपरान्त नागरिक सुरक्षा अधिनियम में भी आंशिक संशोधन (नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009) करते हुए आपदा प्रबन्धन से जोड़ दिया गया है जिससे नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले के साथ ही प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की स्थिति में नागरिकों के द्वारा – नागरिकों के लिए वो तमाम प्रयास करना है, जिससे उनके जान और माल की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ जिले में क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों के तहत ओटीएस, राजस्थान पुलिस एकेडमी विभिन्न शिक्षण संस्थानों मॉल्स हॉटलों, पब्लिक सेक्टरों इत्यादि में आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देकर लोगों को जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। आपदा के समय नागरिक सुरक्षा बल के द्वारा त्वरित कार्यवाही निम्नानुसार की जाती है:-

- आपदा की सूचना मिलने पर संबंधित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक तत्काल आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचेंगे व नियन्त्रक (जिला कलक्टर) के निर्देशानुसार बचाव कार्यों को अंजाम देंगे।
- आपदा के दौरान हताहतों के खोज व बचाव का कार्य करना।
- हताहतों को घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार देना व अस्पताल भिजवाना।
- आश्रय स्थलों पर भोजन पानी, कपड़े इत्यादि हेतु स्वयंसेवक उपलब्ध करवाना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।
- जिले क्षमता संवर्द्धन के तहत आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण देकर लोगों को आपदा प्रबन्धन हेतु जागरूक करना।
- जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों को निभाना।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Response Force, SDRF) राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद (मोचन) बल (NDRF)

राजस्थान में प्राकृतिक आपदा एवं सम्भावित मानव कृत आपदा एवं अन्य घटनाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सम्पर्क नं० 9413444066 के निर्देशन में राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Response Force, SDRF) की 03 टुकड़ियां मय उपकरणों के साथ क्रमशः प्रथम बटालियन आर.ए.सी. जोधपुर (0291-2570071), तृतीय बटालियन आर.ए.सी. कोटो, (0744-2235771) एवं पांचवी बटालियन आर.ए.सी. जयपुर, (0141-2640964) पर (प्रति टुकड़ी 50 सदस्य) तैनात है। इसके अतिरिक्त NDRF की 01 टुकड़ी, नारेली किशनगढ़, जिला अजमेर में मय उपकरणों के साथ उपलब्ध है, जिसके कमाण्डर डिप्टी कमाण्डेंट, मो. 9414005412 है, से सहायता ली जा सकती है।

जयपुर की राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Response Force, SDRF) की 50 सदस्यीय टुकड़ी पांचवी बटालियन आर.ए.सी., घाटगेट पर तैनात है। इसके लिए कमाण्डेंट 5वीं आर.ए.सी. बटालियन (दूरभाष नं० 2640964 एवं 2641420) को सूचित कर उक्त प्रशिक्षित जवानों की आवश्यकतानुसार तैनाती की जा सकती है।

बम विस्फोट/आतंकवादी घटना

वर्तमान परिस्थिति में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आम तौर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया बम विस्फोट है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान माल को अधिक से अधिक हानि पहुंचाना है। यह विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किया जाता है जहां अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा स्कूल, सरकारी संस्थान एवं महत्वपूर्ण नेता आतंकवादियों के निशाने पर हैं।

अगर बम फट गया हो तो प्रशासन द्वारा त्वरित की जाने वाली कार्यवाही :

1. बम विस्फोट या आतंकवादी घटना के तुरन्त बाद जिले में कार्यरत एंटी टेरेरिस्ट स्कवाड (एटीएस) की बटालियन घटना वाले स्थान को चारों तरफ से घेरे लेंगे। साथ में बम डिस्पोजल की टीम भी रहती है जो क्षेत्र में पाये गये बम को निष्क्रिय करने का काम करती है। तथा बम की रसायनिक गुणों का पता लगाती है।
2. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
3. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस-पास दूसरा बम विस्फोट हो सकता है। इसलिए अधिक सक्रियता बरतेंगे।
4. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को देंगे।

5. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करेंगे।
6. आतंकवादीयों को पकड़ने एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में सक्रियता दिखायेंगे।
7. खुफिया तंत्र के साथ समन्वय कर बम विस्फोट एवं अन्य आतंकवादी घटनाओं को रोकने में प्रशासन को सहायता देंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात स्थिति में कार्ययोजना

1. जिले के ग्रामीण क्षेत्र को खण्डों में विभाजित किया गया है। जिनमें कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।
2. मुख्यालय पर नियन्त्रण कक्षों की स्थापना है। जो 24 घंटे रेपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन किया हुआ है। जिसके आधार पर नियन्त्रण कक्ष पर किसी भी प्रकार आपदा/बिमारियों की सूचना प्राप्त होते ही जिला मुख्यालय से रेपिड रेस्पॉन्स टीमों रोगी वाहन व आवश्यक औषधियों के घटना स्थल पर भिजवाये जाने की पूर्ण व्यवस्था है, तथा जिला मुख्यालय पर एआईडीएसपी सैल (ईन्टीग्रेटेड डिजीज सर्विस प्लान) कार्य कर रही है। जो बिमारियों का सर्वे एवं रिपोर्टों का संकलन कर नियमित भिजवाये जाने का प्रावधान है।
3. सभी खण्ड स्तर पर नियन्त्रण कक्षों की स्थापना हुई है। जिससे क्षेत्र में कहीं भी आपदा प्रबन्धन एवं मौसमी बिमारियों नियन्त्रण हेतु चिकित्सा दलों का गठन किया जाकर 24 घंटे चिकित्सा दल मय रोगी वाहन व आवश्यक औषधियों के तैनात किये गये हैं। जिसकी नियमित जानकारी एवं रिपोर्ट जिला नियन्त्रण कक्ष पर मेल एवं फैंक्स द्वारा भिजवाये जाने की पूर्ण व्यवस्था है।
4. सभी चिकित्सा संस्थानों पर पर्याप्त औषधियों की आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था है। किसी भी अप्रिय घटना घटने की स्थिति में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु प्रतिबद्ध है।

पशुपालन विभाग कार्य योजना

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी को नियन्त्रण कक्ष प्रभारी मनोनीत किया गया है।
- आपदा की सूचना मिलने पर नियन्त्रण अधिकारी सभी पशु चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- प्रभावित क्षेत्रों में घायल पशुओं को भर्ती करने की व्यवस्था करना।
- घायल भर्ती पशुओं के चारे दाने की व्यवस्था करना।
- आवश्यक दवाइयों का स्टॉक तैयार करना।
- आपदा स्थल पर पशु राहत, स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- अन्य निजी पशु चिकित्सकों एवं पैरा वैटनरी स्टाफ को आपदा से निपटने के लिए सम्पर्क करना।
- तहसील स्तर पर मोबाईल वैटनरी यूनिटों को आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- मृत पशुओं के निस्तारण हेतु नगरपरिषद/नगरपालिका/ग्राम पंचायत/ की मदद लेना।
- स्वस्थ पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना।

जल संसाधन विभाग कार्ययोजना

बाढ़ के समय उत्पन्न खतरे से निपटने हेतु कार्ययोजना का प्रारूप :

बाढ़ एवं अतिवृष्टि

1. बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय की जाने वाली विभागवार तैयारीयां एवं उपलब्ध संसाधन जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि नियन्त्रण हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की कार्ययोजना का ब्यौरा निम्न है—
चूरु जिला मुख्यतः मरुस्थलीय जिला होने व गत वर्षों के वर्षा के आंकड़ों के दृष्टिगत जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है। फिर भी वर्षा के दिनों में कस्बों के निचले स्थानों पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाने के कारण आंशिक रूप से वर्षा की स्थिति बन सकती है। इसके लिए प्रशासकिय स्तर पर निम्न किये जाते हैं—
2. बाढ़ की स्थिति साधारणतया वर्षा के दिनों में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न होती है। इस संबंध में जिला स्तर पर जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारीगण, तहसीलदार, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि, जल एवं विद्युत समस्त अधिशाषी अधिकारीगण, नगरपालिकाओं एवं जिले की समस्त पंचायत समितियों के विकास अधिकारीगण को निर्देश जारी कर सतर्क कर दिया जाता है।

3. जिला स्तर से जारी निर्देशों में उपरोक्त अधिकारीगण को बाढ़ की स्थिति से निपटने बाबत निचले क्षेत्रों जिनमें वर्षा का पानी एकत्रीत होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो, का पूर्व से ही चयन कर उन क्षेत्रों का दौरा करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
4. विभिन्न विभागों को इस बाबत भी निर्देशित किया जाता है कि अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न होने से पानी की निकासी की व्यवस्था की व्यवस्था एवं पानी की निकासी हेतु उपकरणों एवं उनकी क्रियाशीलता की स्थिति तथा पानी निकासी हेतु स्थल का चयन आदि के संबंध में भी निर्देशित किया जाता है।
5. मौसम विभाग से जिले में अतिवृष्टि की आशंका के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट को तुरन्त उपखण्ड अधिकारीगण एवं पुलिस विभाग को दी जाती है, एवं उन्हें इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं जनता का इस बाबत जागरूक रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।
6. अतिवृष्टि के कारण प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त प्रभावित क्षेत्र से निकालकर उन्हें किसी सार्वजनिक स्थल जैसे स्कूल, मन्दिर, मस्जिद, एवं धर्मशाला आदि में ठहराव की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।
7. प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का तुरन्त आंकलन कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रभावितों को तात्कालिक आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

बोरवेल की दुर्घटना :-

भारत में पीने के पानी के संसाधनों की समस्या के लिए आये दिन विभिन्न आवासीय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बोर-वेल खोदे जाते हैं। बोर-वेल के निर्माण के समय या बोर-वेल में पानी नहीं मिलने पर खुले बोर-वेल में बच्चे गिरने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में जयपुर जिले में शाहपुरा उपखण्ड के जगतपुरा ग्राम में 150 फीट खुले बोर-वेल में चार वर्षीय बालक की गिरने से मृत्यु हो गई एवं जिला प्रशासन द्वारा बच्चे के शव को बोर-वेल में से निकालने हेतु अनेक विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लेते हुए राहत कार्य चलाये गये। जिले में अन्य स्थानों पर भी इस दुर्घटना से बचाव हेतु निम्न कार्य योजना तैयार की गई है।

दुर्घटना से बचाव हेतु :

- जन जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार। जिसमें यह संदेश हो कि बोर-वेल खुदाई कर्ता ठेकेदार किसी भी स्थिति में बोर-वेल को खुला नहीं रखे। बोर-वेल खुदाई के समय ढकने हेतु पत्थर एवं लोहे का पर्याप्त आकार का ढक्कन लगाये जाने की आवश्यकता सुनिश्चित करें। लोग बोर-वेल खुदाई के संबंध में स्थानीय जिला प्रशासन को बोर-वेल खुदाई स्थल, खुदाई कर्ता ठेकेदार के नाम व पता मय ठेकेदार के सुरक्षा की पूर्ण प्रबन्ध कर दिये गये हैं के संबंध में सूचित करना।
- हर जिले में उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी अनुसूची के अनुसार दुर्घटना होने पर पूर्व तैयारी व जानकारी रखें।
- बोर-वेल में बच्चे गिरने की दुर्घटना होने पर बचाव कार्य हेतु निम्न अधिकारियों की टीम गठित की जा सकती है—
 1. संबंधित उपखण्ड अधिकारी
 2. संबंधित पंचायत समिति के उपखण्ड विकास अधिकारी
 3. संबंधित मुख्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी
 4. संबंधित उप अधीक्षक पुलिस
 5. जलदाय विभाग के संबंधित क्षेत्र के अधिशाषी अभियन्ता
 6. जलदाय विभाग के संबंधित क्षेत्र के अधिशाषी अभियन्ता डिलिंग।
 7. भू-जल विभाग के संबंधित क्षेत्र के भू-गर्भ शास्त्री
 8. भू-जल विभाग के संबंधित क्षेत्र के अधिशाषी अभियन्ता
 9. बिजली विभाग के संबंधित क्षेत्र के अधिशाषी/सहायक अभियन्ता
 10. भू-सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार, से संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ अधिकारी।
 11. सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंधित क्षेत्र के अधिशाषी/सहायक अभियन्ता।
 12. उप-नियन्त्रक नागरिक सुरक्षा।

दुर्घटना होने पर

- सर्वप्रथम जिला कलैक्ट्रेट कंट्रोल रूम तथा उपखण्ड कंट्रोल रूम में सूचना।
- संबंधित मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को मौके पर मय जीवन रक्षक ऑक्सीजन उपकरण एवं दवाइयां, एम्बुलेन्स तथा मेडिकल टीम सहित पहुंचने की सूचना।
- उपरोक्त टीम को मौके पर पहुंच कर तत्काल उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार बोर-वेल में क्लोज सर्किट कैमरा या इन्फ्रारेड कैमरा व ऑडियो विजुअल मॉनिटरिंग सिस्टम तथा स्वास्थ्य रक्षक उपकरण स्थापित करना।

- उपरोक्त टीम द्वारा दुर्घटना घटित होने के एक घंटे में बचाव कार्य हेतु संयुक्त रूप से मौके पर स्थिति अनुसार मिट्टी के प्रकृति के आधार पर समानान्तर बोर-वेल खुदाई या अन्य प्रकार से अनुसूची के अनुसार शेष संसाधनों को एकत्रित करने तथा बचाव कार्य करने की कार्य योजना तैयार करना।
- उपरोक्त कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही करना।
- मौके पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा राहत टीम के लिए रहने व भोजन की व्यवस्था।
- प्रति घंटे अतिरिक्त जिला कलक्टर को राहत कार्य की प्रगति के संबंध में सूचित करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना :-

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेंगे आवश्यक तकनीकी सलाह देंगे।
- घटना स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों (भारी मशीनरी) की सूचियां रखना व आवश्यकतानुसार उनकी सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारु रूप से हो सके।
- घटना स्थल पर बचाव दलों के कार्यों के दौरान आवश्यकतानुसार क्षति ग्रस्त ढांचों को ढहाना व सहारा देना।
- क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव दलों को भवन संबंधी आवश्यक सलाह देना।
- मानसून पूर्व सरकारी भवनों (विशेषतया स्कूलों/कॉलेजों) को आवश्यक देखभाल करना व क्षतिग्रस्त होने की हालात में उसे अनुपयोगी करार देते हुए गिरने की कार्यवाही करना।

जनस्वास्थ्य अभियान्तिकी विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना

1. वृत्त कार्यालयों के अधीन खण्डीय कार्यालयों एवं उपखण्ड कार्यालयों में कन्ट्रोल रूम स्थापित है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नं० अंकित है।
2. बाढ़, तूफान, भुकम्प व अन्य दुर्घटनाओं में पानी की स्थिति में पानी की पाईप लाईन बन्द होने एवं अन्य किसी कारणवश पेयजल सप्लाई में बाधा होने पर निजी टैंकों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। सभी सहायक अभियन्ता मुख्यालय एवं कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालयों पर पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीनेशन हेतु उपलब्ध है। जहाँ नियमित रूप से जल स्रोत के पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है।
3. पानी की पाईप लाईनों की देखभाल विभाग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा की जाती है तथा किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त होने पर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को सूचना दी जाती है। जिसे तत्परता से मरम्मत की जाती है। मरम्मत हेतु विभाग में सभी आवश्यक सामान कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालयों पर उपलब्ध होता है।
4. विभाग के समस्त उच्च जलाशयों/स्वच्छ जलाशयों पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। जीर्ण शीर्ण उच्च जलाशयों की मरम्मत की जाती है अथवा उनको गिराने की व्यवस्था की जाती है। नये बनने वाले उच्च जलाशयों पर सीढ़ियों पर गेट बनवाने का प्रावधान लिया जा रहा है।
5. सभी उच्च जलाशयों/पम्प हाउसों पर 24 घण्टे हाईड्रेट से पानी लेने की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
6. गर्मियों में पानी की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था करना। टैंकों की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करना।
7. अग्निशमन व्यवस्था के तहत वाटर हाईड्रेन्टों को चिन्हित करना व उनको चालू हालात में रखना। साथ ही संबंधित सहायक अभियन्ता को जिम्मेदारी देना।
8. आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों को तत्काल ठीक करवाना।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्ययोजना

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचें।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोड़ना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।
- खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- बाढ़ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से चालू रखने हेतु उपयुक्त मात्रा में आवश्यक सामग्री जैसे पोल, कण्डक्टर आदि की व्यवस्था रखी जाना।
- जमीन पर पड़े ट्रांसफार्मरों को डी.पी. पर रखा जाना।

- ढीले तारों को कसा जाना।
- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलेस, मोबाईल, हॉटलाइन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।
- घायलों को चिकित्सा शिविरों तक पहुँचाना।
- सहायता सामग्री को राहत शिविरों तक पहुँचाना।

खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

सूखे की कार्ययोजना :-

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

स्थानीय एवं जिला प्रशासन की भूमिका :-

मारवाड़ी में एक कहावत है कि "तीजो कुरियो चौथे काल" अर्थात् इस मरुधरा में प्रत्येक तीसरे वर्ष अर्द्ध अकाल तथा चौथे वर्ष अकाल अर्थात् दुर्मिक्ष की स्थिति बनती है। अकाल की स्थिति प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करने के साथ प्रच्छन्न बेरोजगारी को स्थायी बेरोजगारी में बदल सकती है। अकाल प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के आर्थिक पक्ष को प्रभावित करने के साथ-साथ पशुधन को भी बुरी तरह प्रभावित करती है।

अकाल की स्थिति को अभावग्रस्त क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक पक्ष को प्रभावित होने से रोकने, क्षेत्र के पशुधन को बचाने एवं पलायन से रोकने हेतु चारे की व्यवस्था तथा अनावृष्टि के कारण पेयजल की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना की गई है। इसी प्रकार जिला स्तर पर सहायता अनुभाग की देखरेख में जिला स्तर पर अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य संपादित किये जाते हैं जो जिले की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर से राहत कार्यों के संचालन एवं निष्पादन हेतु कार्य विभाजन कर राहत कार्य संचालन की व्यवस्था करती है।

इस प्रकार अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य संचालन हेतु की गई त्रि स्तरीय व्यवस्था को लागू कर राहत कार्य सफलतापूर्वक संचालित किये जाते हैं।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य संचालन में प्राथमिक उद्देश्य "आहत को राहत" निहित होता है एवं इसी के अनुरूप राहत कार्य संचालित किये जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकार से प्राप्त श्रम सीमा के अन्तर्गत जिला स्तर पर राहत कार्य संचालन हेतु प्रत्येक पंचायत समिति को एक निश्चित श्रम सीमा आवंटित कर श्रम नियोजन किया जाता है।

श्रम नियोजन अन्तर्गत श्रमिकों को मौके पर ही रोजगार उपलब्ध कराने की मंषा अन्तर्गत राहत कार्यों। को तीन भागों में बाँटा जाता है, व्यक्तिगत लाभ के कार्य, सार्वजनिक परिसम्पत्ति निर्माण के पक्के कार्य, कच्चे कार्य। व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में व्यक्तिगत कुण्ड निर्माण, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, बागवानी हेतु वृहत स्तरीय कुण्ड निर्माण आदि कार्य शामिल हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक परिसम्पत्ति निर्माण कार्यों में सामुदायिक भवन निर्माण, धर्मशाला निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, सार्वजनिक कुण्ड निर्माण एवं मरम्मत, कूप निर्माण एवं गहरास करना, ग्रेवल सड़क निर्माण, खुरा निर्माण, खरंजा निर्माण, पी.एस.पी. टूटी खेती निर्माण, छत से जोड़ते हुए कुण्ड निर्माण, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण, ईन्टों की सड़क निर्माण, पक्के जोहड़ों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार आदि पक्के निर्माण प्रकृति के कार्य शामिल हैं।

राहत कार्य अन्तर्गत कच्चे कार्यों के करवाये जाने के पीछे श्रम नियोजन की मंषा को देखते हुए अभावग्रस्त क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए विभिन्न प्रकृति के कच्चे कार्य करवाये जाते हैं जिनमें खाई फेंसिंग, कच्चाजोहड़ खुदाई कर मिट्टी निकालना, रास्ता सुगमीकरण, पक्के जोहड़ से मिट्टी निकालना, तालाब खुदाई कार्य आदि करवाये जाते हैं।

इसी प्रकार अभावग्रस्त क्षेत्र के पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चारे की व्यवस्था एवं पशु चारे के भावों को नियन्त्रण में रखा जाता है। इस हेतु अभावग्रस्त चारा डिपों संचालन की जिला स्तर से अनुमति दी जाती है जिनके द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्र के पशुपालकों को पशुओं हेतु अनुदानित दरों पर चारा उपलब्ध कराया जाता है।

आवारा एवं गौशाला में स्थित पशुओं के संरक्षण हेतु पंजीकृत गौशालाओं को छोटे एवं बड़े पशुओं के हिसाब से गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुचारु एवं निर्बाधित रखने हेतु जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश किये जाते हैं एवं पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

राहत कार्यों के व्यवस्थित रूप से एवं राज्य सरकार तथा जिला स्तर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालन हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो अपने क्षेत्र में राहत कार्य संचालन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। प्रभारी अधिकारी के कार्यों में विकास अधिकारी, पंचायत समिति के माध्यम से जिला सहायता समिति अनुभाग में राहत कार्यों के प्रस्ताव प्रेषित करवाया जाना एवं मस्टररोल पारित करवाकर राहत कार्य आरम्भ करवाना है। प्रभारी अधिकारी राहत कार्य आरम्भ होने के उपरान्त यह सुनिश्चित करता है कि राहत कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहे हैं एवं ब्लॉक एवं पंचायत समिति स्तर पर आवंटित श्रमिक सीमा के अनुरूप ही श्रमिकों का नियोजन हो रहा है। राहत कार्य पूर्ण होने के पश्चात नये राहत कार्यों के प्रस्ताव भी भिजवा दिये जावे। राहत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो इसके उपाय करना।

साधारणतया संबंधित उपखण्ड अधिकारी की प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाती है जो अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों यथा तहसीलदार, विकास अधिकारी, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं ग्राम सेवक को कार्यनुसार राहत कार्य का उचित विभाजन करते हुए राहत कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए निर्देशित करता है एवं किसी प्रकार की अनियमितता एवं शिकायत पाये जाने पर शिकायत का निस्तारण बाबत उचित कार्यवाही प्रभारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में उचित स्थान पर चारा डिपो खोले जाने बाबत प्रभारी अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर, सहायता को लिखा जाकर चारा डिपो खोला जाता है एवं यह सुनिश्चित किया जाता है कि पशुपालकों चारे की कमी न हो एवं पंचायत समिति स्तर पर चारा डिपो पर विक्रीत होने वाले चारे के निर्धारित भावों से अधिक भाव से चारा न बेचा जावे एवं चारे की आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए चैक पोस्ट की स्थापना व समय-समय पर चारा डिपो का निरीक्षण भी किया जाता है। प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित पंजीकृत गौशालाओं का निरीक्षण कर जिला सहायता समिति को गौशाला के छोटे एवं बड़े पशुओं की संख्या उपलब्ध कराकर उन्हें अनुदान हेतु अभिशंषा की जाती है तथा गौशाला में पशु का संरक्षण हो इसके लिए जिला एवं राज्य स्तर पर जारी निर्देशों को गौशाला को उपलब्ध कराया जाता है एवं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि गौशाला का निर्देशों के अनुरूप ही संचालन करें एवं अनुदान प्राप्त करें।

इस प्रकार राज्य सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से घोषित अभावग्रस्त क्षेत्रों में अपनी कल्याणकारी नीतियों के अनुरूप राहत कार्य संचालन करती है।

दुर्घटना कार्य योजना :-

दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उप जिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी, ग्रामसेवक, अध्यापक, ए.एन.एम., सरपंच या अन्य किसी सरनकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें।

प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना से 140000 मौतें प्रतिवर्ष होती हैं, प्रतिदिन 387 मौतें एवं प्रतिघन्टा 18 मौत दर्ज की गई हैं। एवं 4.5 लाख सड़क दुर्घटना से घायल एवं शारीरिक अपंगता दर्ज की गई है। राजस्थान में अकेले 10 हजार मौतें प्रतिवर्ष रिकॉर्ड की गई है। अधिकतर दुर्घटना से मौतें लापरवाही एवं सुरक्षा कानूनों की अनदेखी करने से हुई है। यदि इस दिशा में सार्थ प्रयास न किया गया तो गम्भीर परिणाम समाज को भुगतना होगा।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय :- दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय :-

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफतार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हैलमेट पहने, कार में आगे और पीछे बैठे सवारी को सीट बेल्ट बांधना आवश्यक है।
- बाईं तरफ से ओवरटैक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दाईं व बाईं ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाईट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान जिला प्रशासन का कर्तव्य :-

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।

- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचनाएं पहुंचाना।
- हानि का आकलन करना।

चिकित्सा विभाग :-

- तहसील में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची संलग्न है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग :-

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

भूकम्प एवं कार्य योजना :-

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प की दृष्टि से सिसमिक जॉन 2 में आता है, जिससे गंभीर खतरे की संभावना कम है, फिर भी बिगड़ते हुए प्रदुषण के कारण भूकम्प की संभावना बढ़ती जा रही है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

भूकम्प के मुख्य कारण :-

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :-

स्थानीय एवं जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुंचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवकों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।

- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना।

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, नगर परिषद, विद्युत, पशुपालन, दूरसंचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

ओलावृष्टि

ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति को प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षतिग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

खड़ी फसल पर ओलावृष्टि हो जाने काशतकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है जिसके कारण काशतकार को आर्थिक रूप से हानि सहनी पड़ती है। राज्य सरकार द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित काशतकार को आंशिक रूप से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक मदद दी जाती एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर काशतकार को अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाती है। ओलावृष्टि के पश्चात जिला प्रशासन स्तर पर निम्न कार्यवाही की जाती है—

1. पटवारी द्वारा ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में फसल के नुकसान, पशुहानि एवं जनहानि के संबंध में मौके पर जाकर हुए नुकसान के संबंध में फर्द मौका तैयार किया जाकर अविलम्ब तहसीलदार को पेश किया जाता है।
2. तहसीलदार द्वारा ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की पटवारी द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट को लघु, सीमान्त एवं बड़े काशतकारों की श्रेणीवार विभाजन कर तहसीलवार ईकजाई कर उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर, सहायता अनुभाग में प्रेषित की जाती है।
3. उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी द्वारा ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान स्थिति का आंकलन किया जाता है एवं काशतकारों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हुए नुकसान की भरपाई हेतु आर्थिक सहायता के संबंध में आश्वस्त किया जाता है।
4. उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर प्रस्तुत हुए नुकसान की प्राप्त रिपोर्ट को जिला स्तर पर ईकजाई करते हुए जिले में ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भेजी जाती है एवं जिला प्रशासन राज्य सरकार से काशतकारों की फसल एवं पशुधन हानि के संबंध में अवगत कराते हुए काशतकारों को आर्थिक मदद की व्यवस्था करता है।
5. काशतकारों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा विभिन्न घोषणाएँ जैसे राजस्व लगान में छूट या लगान को माफ करना, ओलावृष्टि प्रभावित काशतकारों के बिजली के बिल माफ करना तथा आर्थिक रूप से मदद करना आदि शामिल है जिससे काशतकार ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई कर सकें।
6. ओलावृष्टि आदि से बचाव हेतु काशतकारों को चाहिए कि वे सरकार द्वारा संचालित फसल बीमा का लाभ उठाएँ तथा पशुधन हानि से बचने हेतु पशु बीमा भी कराये ताकि नुकसान की भरपाई में मदद मिल सके।

**डी.डी.एम.पी. क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन
(Financial Resources for Lumentation of DDMP)**

अकाल भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि अग्नि, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनधन की क्षति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष (National Calamity Fund) से सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाएँ तथा गैर प्राकृतिक आपदाएँ भी हैं। जिनसे होने वाली जन धन की क्षति के लिए सहायता प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं में जनता को सहायता प्रदान कर राहत देने के लिए वर्ष 2005-06 को राज्य के बजट में राजस्थान राहत कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान राहत कोष के लिए निम्नानुसार व्यवस्थाओं से संबंधि प्रावधान किये जाने प्रस्तावित हैं।

शीर्षक :

राज्य स्तर पर स्थापित किये जाने वाले इस कोष को राजस्थान राहत कोष कहा जावेगा।

“ राजस्थान राहत कोष ” का गठन एवं संचालन —

1. इस कोष के लिए राज्य सरकार, राज्य बजट के माध्यम से आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार से प्राप्त राशि बिना ब्याज के निजी निक्षेप खाते में रखी जावेगी।
2. किसी दानदाता या संस्था द्वारा इस कोष में उपलब्ध करायी गई सहायता राशि को भी इसी कोष के निजी निक्षेप खाते में जमा की जावेगी।
3. मुख्यमंत्री सहायता कोष की भाँति इस कोष में दी गयी राशि को भी आयकर से छूट प्राप्त करने हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी तथा आयकर विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी अधिसूचना जारी की जावेगी।
4. इस कोष का नियन्त्रण एवं संचालन, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जावेगा।
5. इस कोष के संचालन के लिए राज्य स्तरीय समिति (जिसका गठन आगे उल्लेखित किया गया है) समय-समय पर निर्णय लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिए सक्षम होगी।

राज्य स्तरीय समिति —

राज्य स्तर पर “राजस्थान राहत कोष” के संचालन हेतु राज्य स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित की जावेगी —

मुख्य सचिव	—	अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)	—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	—	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग	—	सदस्य
शासन सचिव, खान विभाग	—	सदस्य
शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	—	सदस्य

राज्य स्तरीय समिति के क्रियाकलाप

1. राजस्थान, राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं में सहायता के मापदण्डों का निर्धारण करना।
2. मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी की स्थिति का निर्णय करना।
3. राजस्थान राहत कोष से होने वाले व्यय के वित्त पोषण संबंधि सभी मामलों पर निर्णय लेना।
4. राजस्थान राहत कोष के नियन्त्रण एवं संचालन के लिए आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को दिये जाने वाले दिशा निर्देशों का निर्णय करना।
5. राजस्थान राहत कोष से जिस प्रायोजन हेतु राशि उपलब्ध करायी जाये उन प्रायोजनों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप भी राशि का उपयोग भी सुनिश्चित करें।
6. राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार विशेष प्रयोजन हेतु उप समिति का भी गठन किया जा सकेगा एवं उस उप समिति को उपरोक्त वर्णित क्रियाकलापों में से किन्ही क्रियाकलापों के लिए अधिकारों को प्रत्यायोजन भी किया जा सकेगा।
7. अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो राजस्थान राहत कोष की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो।

“राजस्थान राहत कोष” के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाएँ —

1. मनुष्य पशु एवं फसलों का महामारी से बचाव।
2. खान में बाढ़ का पानी आना या उसके ढहने पर होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव का कार्य।
3. बहु मंजिले भवनो के ढहने, कुए के ढहने पर होने वाली आपदा के समय किये जाने वाले खोज एवं बचाव के कार्य।

4. मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने तथा कुएँ में जहरीली गैस से उत्पन्न आपदा में खोज एवं बचाव कार्य।
 5. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आपदाएँ जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता देने योग्य हो निर्णित कि जावें।
 मनुष्य पशुओं एवं फसलों की महामारी निर्धारण के लिए जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता तब तक के लिए निम्न प्रावधान लागू होंगे।

1. मनुष्यों में महामारी – विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय में किसी विशेष प्रकार की बीमारी का होना या पाया जाना, जो सामान्य अनुमानों अथवा पूर्व के अनुभवों तथा सामान्य स्त्रोंतो निकाले गये मापदण्डों से अत्यधिक हो।
2. पशुओं में महामारी – किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्रभावित करने वाली बीमारी, जिसके त्वरित गति से विस्तार होने की सम्भावना हो एवं जो सामान्य अनुमानों एवं पूर्व अनुभवों के मापदण्डों से अत्यधिक हों।
3. फसलों में महामारी – विशेष भौगोलिक क्षेत्र की फसलों अथवा किसी विशेष फसल के विस्तृत क्षेत्र में लगी बीमारी, जिसके कारण सामान्य अनुभवों एवं पूर्व के अनुमानों से अत्यधिक मात्रा में, क्षति आंकलित की गयी हो। महामारी के निर्धारण के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उसे अधिसूचित करने पर ही इस कोष को सहायता दिया जाना अनुमत होगा।

विभिन्न आपदाओं के लिए नोडल विभाग –

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. मनुष्यों की महामारी | – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग |
| 2. पशुओं की महामारी | – पशु पालन विभाग |
| 3. फसलों की महामारी | – कृषि विभाग |
| 4. खान में बाढ़ का पानी आना एवं ढहना | – खान विभाग |
| 5. विभिन्न आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्य | – आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग। |

क. उपरोक्तानुसार आपदाओं के नोडल विभाग के अतिरिक्त, समग्र रूप से नियन्त्रक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग रहेगा।

ख. प्रत्येक नोडल विभाग, उनसे संबंधित आपदाओं के प्रबन्धन के लिए ऐसी योजना बनायेगा, जिसमें आपदा से पूर्व ही रोकथाम के उपाय तथा आपदा के दौरान नियन्त्रण एवं राहत प्रदान करने के उपायों को उल्लेखित करेगा। इसके अतिरिक्त, आपदा की स्थिति के समाधान के लिए भी योजना बनायेगा, जिससे कि भविष्य में ऐसी आपदा की सम्भावना कम से कम उत्पन्न हो।

ग. उपरोक्तानुसार बनायी गयी योजनाओं को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा समय समय पर उसे अपडेट करने की कार्यवाही भी संबंधित नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।

घ. राज्य स्तरीय समिति के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, आपदाओं के नोडल विभागों को दिशा निर्देश भी जारी करेगा, जिसको क्रियान्वयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

आपदाओं में सहायता दिये जाने के मापदण्ड :-

1. राजस्थान राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली विभिन्न आपदाओं के लिए सहायता प्रदान करने के मापदण्ड समय समय पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे तथा उन्हीं मापदण्डों के आधार पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
2. यदि इस कोष के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के लिए किसी अन्य विभाग/किसी अन्य योजना/किसी अन्य संस्था या बीमा कम्पनी/मुख्यमंत्री राहत कोष इत्यादि से सहायता प्रदान करने का प्रावधान हो तो उस आपदा के लिये “राजस्थान राहत कोष” से सहायता देय नहीं होगी।
3. “राजस्थान राहत कोष” से दी जाने वाली सहायता स्थानीय स्तर पर किये गये प्रयासों से प्राप्त सहायता के पूरक के रूप में ही उपलब्ध करायी जायेगी।
4. खान, भवन, कुएँ आदि के ढहने की आपदा में खोज एवं बचाव कार्य पर किये गये व्यय का पुनर्भरण, उस सम्पत्ति के स्वामी से भी प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाना अपेक्षित होगा।

राजस्थान राहत कोष से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि :-

1. संबंधित जिला कलक्टर द्वारा जिलों में “राजस्थान राहत कोष” के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं के उत्पन्न होने की सूचना एवं उस आपदा से होने वाले नुकसान की सूचना तथा इस कोष से प्रदान की जाने वाली राहत के प्रस्ताव, संबंधित नोडल विभाग को एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।
2. जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्तावों को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा संबंधित नोडल विभाग की अभिशंसा के साथ राज्य स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय अनुसार आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि स्वीकृत की जाकर जिला कलक्टर को संबंधित नोडल विभाग को सूचित करते हुए, उपलब्ध कराई जायेगी।
3. महामारी की आपदाओं में, उस पर नियन्त्रण करने एवं पीड़ितों को सहायता पहुँचाने के लिए जिला कलक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों पर नोडल विभाग की टिप्पणी ली जायेगी एवं राज्य स्तर से एक विशेषज्ञों का दल गठित कर

प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन कर, अभिशंषा करने हेतु भेजा जायेगा। उक्त विशेषज्ञों के दल के सदस्यों का निर्धारण मुख्य सचिव के द्वारा किया जायेगा, जिसे आगामी राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट एवं अभिशंषा को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, दी जाने वाली सहायता के बारे में निर्णय कराया जायेगा एवं तदनुसार ही आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा राजस्थान राहत कोष से उक्त आपदा के लिये सहायता राशि स्वीकृत कर संबंधित जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध करायी जावेगी तथा संबंधित नोडल विभाग को सूचित किया जायेगा।

अध्याय – 10

डी.डी.एम.पी. के अद्यतन और रख रखाव के लिए निगरानी मूल्यांकन एवं कार्यप्रणाली

(Procedure and Methodology for monitoring evaluation, UP dastion and maintencece of DDMP)

डी.डी.एम.पी. की निगरानी एवं मूल्यांकन

Proper Monitarning and Evaluction of DDMP :

इसके लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई जो Monitring and Evalustion का कार्य करेगी। कमेटी में निम्न सदस्य होंगे:

क्र.सं.	सदस्य	भूमिका
1.	जिला कलक्टर, चूरु –	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु –	सदस्य सचिव
3.	जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु –	सदस्य
4.	जिला प्रमुख चूरु – सदस्य	सदस्य
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चूरु –	सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी –	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता पीएचईडी/पीडब्ल्यूडी –	सदस्य

आपदोपरान्त निगरानी प्रणाली :

Post Mechanism

आपदोपरान्त निगरानी प्रणाली में एक कमेटी का गठन किया जायेगा। कमेटी निम्न तथ्यों/बातों को प्राथमिकता से मूल्यांकन करेगी।

1. पीड़ित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें तुरन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना।
2. आपदा से पीड़ित लोगों को भोजन, अस्थायी आवास, पेयजल तथा दवाइयां समय पर एवं सही मात्रा में उपलब्ध हो।
3. जल एवं बिजली आपूर्ति को बहाल करना।
4. संचार एवं परिवहन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना।
5. नुकसान का मूल्यांकन करना।

आपदोपरान्त मूल्यांकन समिति

Post Evalustion Meehanism for DDMP

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	भूमिका
1.	जिला कलक्टर, चूरु –	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु –	सदस्य सचिव
3.	जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु –	सदस्य
4.	जिला प्रमुख चूरु – सदस्य	सदस्य
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चूरु –	सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी –	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता पीएचईडी/पीडब्ल्यूडी –	सदस्य

मोक ड्रिल कार्यक्रम (नकली अभ्यास)

(Mock Drills)

आपदा प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण में सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। अग्नि सुरक्षा, बम विस्फोट, आतंकवादी हमला, साम्प्रदायिक दंगे, भूकम्प आदि विपदाओं से सम्बन्धित नकली अभ्यास/मोक ड्रिल कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इससे तकनीकी स्टाफ एवं प्रशासन द्वारा की गई तैयारी का पूर्व अभ्यास भी हो जायेगा। तथा साथ ही पता भी चल जायेगा कि हमारा सिस्टम/यंत्र/तकनीकी कितना चुस्त दुरुस्त है। मोकड्रिल वर्ष में दो बार आयोजन किया जायेगा एक बार अगस्त माह में एवं दूसरी बार जनवरी माह में। इसके लिए किसी भी कॉलेज,स्कूल, भवन, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, शापिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट आदि स्थान का चयन किया जा सकेगा। मोकड्रिल के लिए जिम्मेदार अधिकारी सम्बन्धित तहसील के SDM होंगे जो कलक्टर की पूर्वानुमति से मोक ड्रिल कार्यक्रम रखेंगे। प्रति वर्ष इसकी सुनिश्चता की जिम्मेदारी ADM करेंगे।

अध्याय – 11

डी.डी.एम.पी. के क्रियान्वयन के लिए समन्वय तन्त्र

(Coordination Mechanism for Implementation of DDMP)

DDMP के क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी विभागों में आपस में पूर्ण तालमेल एवं समन्वय रहे। क्योंकि आपदा से निपटने का कार्य किसी एक व्यक्ति अथवा एवं विभाग का नहीं है यह सभी विभागों की साझा जिम्मेदारी है जिले में आपदा प्रबन्धन के क्रियान्वयन के लिए समन्वय तन्त्र निम्न प्रकार से कार्य करेगा।

1. अन्य जिलों एवं राज्य सरकार से समन्वय:
बड़ी आपदा/विपदा के समय जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों से सहायता अथवा राज्य सरकार से सहयोग लेने के लिए जिला कलक्टर समन्वय स्थापित करेंगे।
2. जिले की अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह (SHGS), औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्राईवेट स्कूल एवं हॉस्पिटल से समन्वय का कार्य जिला स्तर पर ADM एवं तहसील स्तर पर SDM करेंगे।
3. विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण की जरूरत पड़ने पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों से समन्वय का कार्य जिला कलक्टर देखेंगे।
4. ग्राम स्तर पर समन्वय का कार्य तहसीलदार/बी.डी.ओ. करेंगे। इसमें पटवारी एवं ग्राम सेवक सहयोग करेंगे।
5. नगरपालिका/नगरपरिषद से समन्वय का कार्य सम्बन्धित तहसील के SDM करेंगे।
6. सभी विभागों के विभाग अधिकारियों से समन्वय एवं तालमेल का कार्य ADM करेंगे।
7. पार्षद एवं चुने हुए पंच सरपंच से समन्वय का कार्य नगरपालिका/नगरपरिषद सी.ई.ओ एवं बी.डी.ओ करेंगे।

अध्याय – 12

मानक क्रियान्वयन/संचालन प्रक्रिया एवं चैकलिस्ट

(Standard Operation Procedures (SOPS) and Checklist)

राहत कार्य के दौरान आपदा प्रभावित लोगों एवं समुदाओं को विभिन्न रूपों में सहायता प्रदान की जाती है। राहत सामग्री स्वीकृत मानक (Approved Standard) वाली होनी चाहिए तथा वितरण पर्याप्त मात्रा में शीघ्रता से किया जाना चाहिए। छक्कड़ की गाइडलाइन्स के अनुसार राहत सामग्रियों एवं कार्यों के मानकों का पालन करना चाहिए। सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्मांकित कार्यों में मानक गाइडलाइन्स के अनुसार कार्य किया जाना है।

- क्षेत्र को खाली करवाना।
- खोज एवं सहायता।
- क्षेत्र का चिन्हीकरण
- यातायात कन्ट्रोल।
- कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा।
- मृत लोगों की बोडी का डिस्पोजल।
- जानवरों की बोडी का डिस्पोजल।
- पिड़ितों को सहायता प्रदान।

मानवीय सहायता एवं सहयोग :

- खाना
- पेयजल
- दवाइयां
- घायलों का उपचार
- कपड़े
- अन्य आवश्यक वस्तुएं
- आश्रय स्थल
- हेल्पलाईन/सहयोग/जानकारी/सूचना
- बिजली, सड़क, पानी की लाइन, आदि का मरम्मत कार्य
- बी.आई.पी. लोगों की व्यवस्था (आने वाले VIP)
- आपातकालिन (Emergency) सुविधाएं
- अन्य

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा Emergency Support Function (E.S.F) से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उक्त वेबसाइट के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों को पूर्व से ही अवगत कराया जा चुका है तथा उसकी एक हार्ड कॉपी प्रिन्ट कराकर अभिलेखों में सुरक्षित की गई है। E.S.F के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग के Standard Operating Procedures (S.O.P.) से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं जिसको आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कराकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। जनपद स्तर पर प्रभावित दैवी आपदाओं से सम्बन्धित मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत सौंपे गये दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को आपदा से निर्गत सभी पुस्तिकाओं में अवगत कराया जाता है तथा उनसे बेहतर सामंजस्य स्थापित कर आपदाओं से निपटने एवं राहत, बचाव का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है।

Stage	Activity
Pre-	Awareness and information campaigns, Training of local volunteers, Advocacy and planning
During	Immediate rescue and first aid, including

	psychological aid, supply of food, water, medicines and other immediate need materials ensuring sanitation and hygiene damage assessment
Post-	Technical and material aid in reconstruction assistance in seeking financial aid monitoring

क्र.सं.	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को कियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।
2.	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अभि सूचना एकत्रीकरण सैन्य/अर्धसैनिक बलों से समन्वय। पूर्व सूचना पर चिन्हित लोगों का आवागमन नियमित/प्रतिबंधित करना।	खोज, बचाव, राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था ट्राफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन, क्षेत्र की घेरेबन्दी, शरणालय/राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य/अर्ध सैन्य बलों की मांग। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राईवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय। रोगों पर सतर्क दृष्टि रखना।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डॉक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। परीक्षण हेतु नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव का निस्तारण।
4.	अति. जिला कलक्टर	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को कियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था करना।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
5.	उपखण्ड अधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को कियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6.	जलदाय विभाग	परमाणु हमले से बचाव हेतु	यह सुनिश्चित करना कि	शुद्ध पेयजल की

		अपने जल स्रोतों एवं पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	कोई पेयजल स्रोत विसंकमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्रोतों की मरम्मत।
7.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।		क्षतिग्रस्त भवनों, पुलों, सड़कों आदि की मरम्मत/निर्माण करना। क्षति का मूल्यांकन कर आंकलन के अनुसार धन की मांग करना।
8.	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रान्सपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नं. आदि रखना।	मांग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9.	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डार ग्राहों का चिन्हीकरण। पेट्रोल पम्पों का चिन्हीकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल डीजल एवं एल.पी.जी. सुरक्षित रखना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल.पी.जी. सुरक्षित रखना।
10.	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरण/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
11.	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरण/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं का आदान प्रदान।
12.	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरण/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज से संबंधित समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि।
13.	शहरी नगर निकाय	भूकम्प रोधी मानकों का दृढ़ अनुपालन, कमजोर ढांचों को चिन्हित कर उनके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करना।		अपने संसाधनों से मलवा आदि की सफाई का कार्य।
14.	नगर परिषद्/नगरपालिका			आवासहीनों को आवासीय सुविधा उपलब्ध का कार्य।

ESFs Activated at the Time of a

ESF	Function	Nodal Agency/Officer	Supporting Agencies
Esf 1	Communication	BSNL	private telecom service operators, mobile phone services operators
Esf 2	Evacuation	Department of Revenue	Police, fire Service, Directorate of Health Service and Civil Defence etc
Esf 3	Search and Rescue	Fire Service	Department of Revenue, Police,

			Civil Defence and Directorate of Health Services.
Esf 4	Law and order	Police	Home guards, central paramilitary forces etc
Esf 5	Water Supply	Jal Board	CWC, Irrigation and Flood Control.
Esf 6	Relief (Food and Shelter)	Department of Food and Civil Supplies	Department of Revenue, Urban Development, PWD.
Esf 7			Northern Railways, Civil Aviation, PWD, Civil Defence etc.

आपदा आकलन प्रपत्र

आपदा के प्रकार :					आकलन तिथि और समय:				
आपदा तिथि और समय:					आकलन कर्ता का नाम:				
प्रभावित क्षेत्र									
प्रभाव		गाँव / कस्बा		ग्राम पंचायत / तहसील				तहसील	
सर्वाधिक प्रभावित									
प्रभावित									
सामान्य प्रभावित									
प्रभावित जनसंख्या									
					प्रभावित परिवार				
कुल परिवार / आबादी		प्रभावित परिवार / आबादी		SC	ST	Minorita	अन्य		
समुह का क्षति									
कुल मृत्यु		मृत्यु के कारण		कुल घायल		गायब लोग		अन्य	
महिला	पुरुष			महिला	पुरुष	महिला	पुरुष		
वर्तमान स्थिति (दुर्घटना / आपदा के बाद)									
पेयजल :									
भोजन :									
शौचालय :									
आश्रय :									
परिवहन :									
स्वास्थ्य :									
अन्य :									

Churu district Pollution Plan

The District Level Environment Committee in its urgent meeting held on 19-11-2024 at 10.00 AM, has observed that the AQI of Churu city was recorded 476 on 18-11-2024. Further, the average AQI for Churu city is expected to remain in this adverse range owing to heavy fog, variable winds, unfavorable meteorological and climatic conditions and will continue in SEVERE/SEVERE+ in winters, owing to unfavorable weather conditions. The GRAP for the Churu city has now been classified under 4 different stages of adverse air quality as follows:

- (i) Stage I - Poor (AQI 201-300)
- (ii) Stage II - Very Poor (AQI 301-400)
- (iii) Stage III - Severe (AQI 401-450)
- (iv) Stage IV - Severe + (AQI >450)

Therefore, in an effort to prevent further deterioration of the air quality, the committee has decided to take following actions as per AQI standards :-

Poor (201-300 AQI)

S.No.	Directions/Action taken	Agencies responsible / Implementing Agencies
1.	Ensure proper implementation of directions/guidelines on dust mitigation measures in construction and demolition activities and sound environmental management of C&D waste.	SE, PWD Commissioner, NP, Churu
2.	Ensure regular lifting of Municipal Solid Waste, construction & demolition waste and hazardous wastes from dedicated dump sites and ensure that no waste is dumped illegally in open land areas.	Commissioner, NP, Churu
3.	Carry out periodic mechanized sweeping and water sprinkling and ensure scientific disposal of the dust collected in designated sites / landfills.	Commissioner, NP, Churu
4.	Ensure that C&D materials & waste are properly stored / contained, duly covered in the premises. Ensure transportation of C&D waste in covered vehicles and its recycling at an appropriate processing facility.	SE, PWD Commissioner, NP, Churu
5.	Intensify water sprinkling and dust suppression measures in road construction/maintenance/repair projects.	SE, PWD Commissioner, NP, Churu
6.	Stringently enforce prohibition on open burning of biomass and municipal solid waste. Impose maximum penalty upon violations.	Commissioner, NP, Churu
7.	Strict visit to ensure that there are no burning incidents in the landfill sites/dumpsites.	Commissioner, NP, Churu

8.	Deploy traffic police for smooth traffic flow at all identified locations with heavy traffic and congestion prone intersections,	SP, Churu
9.	Strict vigilance and enforcement of PUC norms for vehicles	SP, Churu DTO, Churu
10.	No tolerance for visible emissions – Stop visibly polluting vehicles by impounding and / or levying maximum penalty.	DTO, Churu
11.	Ensure strict penal /legal action against non compliant and illegal industrial units.	RM, RIICO, Churu
12.	Strictly enforce all pollution control regulations in Industries brick kilns and hot mix plants etc. – strict compliance of the prescribed standards of emissions.	RM, RIICO, Churu Labour Welfare Officer
13.	Ensure that only approved fuels are used by the industries including in brick kilns and hot mix plants and enforce closure in case of violations, if any	RM, RIICO, Churu
14.	Strictly enforce Hon'ble Courts/Tribunal orders regarding ban on fire crackers.	SP, Churu
15.	Ensure regular lifting and proper disposal of industrial waste from industrial and non-development areas.	RM, RIICO, Churu Commissioner, NP, Churu
16.	Jdvnl to minimize power supply interruptions.	SE, JdVVNL, Churu
17.	Ensure that diesel generator sets are not used as regular source of power supply.	Commissioner, NP, Churu
18.	Enforce complete ban on coal / firewood in Tandoors in Hotels, Restaurants and open eateries.	Commissioner, NP, Churu
19.	Ensure hotels, restaurants and open eateries use only electricity / clean fuel gas- based appliances.	Commissioner, NP, Churu
20.	Information dissemination including through social media and bulk sms etc.	PRO
21.	Ensure quick actions for redressal of complaints.	AD, PS & DLOs
22.	Encourage offices to start unified commute for employees to reduce traffic on road.	All DLOs & Private Agencies

Further, citizens may be urged to adhere to the citizen charter and assist in effective implementation of the GRAP measures aimed towards sustaining and improving the Air Quality in the city, as under:

1. Keep engines of your vehicles properly tuned,
2. Maintain proper tyre pressure in vehicles
3. Keep PUC certificates of your vehicles up to date
4. Do not idle your vehicle, also turn off the engine at red lights.
5. prefer hybrid vehicles or EVs to control vehicular pollution.
6. Do not litter / dispose wastes, garbage in open spaces.
7. Report air polluting activities through Sampark portal.
8. Plant more trees.
9. Celebrate festivals in an eco-friendly manner – avoid firecrackers.
10. Do not drive/ply end of life 15 years old diesel/petrol vehicles.

Very Poor (301-400 AQI)

In addition to the directions / instructions given for poor AQI, following more directions should also be followed strictly:

S.No.	Directions/Action taken	Agencies responsible / Implementing Agencies
1.	Carry out mechanical / vacuum sweeping and water sprinkling of the identified roads on a daily basis.	Commissioner, NP, Churu
2.	Ensure water sprinkling along with use of dust suppressants (at least every alternate day, during non-peak hours, especially in night) on roads dust especially at hotspots, heavy traffic areas, vulnerable areas and proper disposal of dust collected in designated sites/landfills.	Commissioner, NP, Churu
3.	Intensify inspections for strict enforcement of dust control measures at C&D sites.	SE, PWD, Churu Commissioner, NP, Churu
4.	Ensured focussed and targeted action for abatement of air pollution in all identified hotspots. Intensify remedial measures for the predominant sector(s) contributing to adverse air quality in each of such hotspots.	Commissioner, NP, Churu
5.	Ensure uninterrupted power supply to discourage use of alternate power generating sets / equipment (DG sets etc.)	SE, JdVVNL, Churu
6.	Strictly implement the schedule for regulated operations of DG sets across all sectors including Industrial, Commercial, Residential and offices etc.	RM, RIICO Churu GM, DIC, Churu Commissioner, NP, Churu
7.	Alert in newspapers/TV/radio to advise people about air pollution levels and Do's and Don'ts	PRO

	for minimizing polluting activities.	
8.	Enhance parking fees to discourage private transport.	SP, Churu

Further, citizens may be also urged to adhere to the citizen charter and assist in effective implementation of the GRAP measures aimed towards sustaining and improving the Air Quality in the city, as under:

1. People to use public transport and minimize use of personal vehicles.
2. Use technology, take less congested route even if slightly longer.
3. Regularly replace air filters at recommended intervals in your automobiles.
4. Avoid dust generating construction activities during months of November to January.
5. Avoid open burning of solid waste and bio mass.

Severe (401-450 AQI)

In addition to the directions / instructions given for poor and very poor AQI, following more directions should also be followed strictly:

S.No.	Directions/Action taken	Agencies responsible / Implementing Agencies
1.	Further intensify the frequency of mechanized / vacuum-based sweeping of roads.	Commissioner, NP, Churu
2.	Ensure daily water sprinkling along with dust suppressants, before peak traffic hours, on roads and right of ways including hotspots, heavy traffic corridors and ensure proper disposal of the collected dust in designated sites/landfills.	Commissioner, NP, Churu
3.	Further intensify public transport services. Introduce differential rates to encourage off-peak travel.	DTO, Churu
4.	Construction & Demolition activities:	
(i)	Enforce strict ban on construction and demolition activities, except for the following categories of projects: a. Projects for Railway services/Railway stations b. Airport and Inter State bus terminals c. National security/defence related activities/ projects of national importance d. Hospitals/health care facilities e. Linear public projects such as highways, roads, flyovers, over bridges, power transmission/distribution, pipelines etc. f. Sanitation projects like sewage treatment plants and water supply projects etc. g. Ancillary activities, specific to and	SE, PWD, Churu Commissioner, NP, Churu

	supplementing the above noted categories of projects. Note : The above exemptions shall be further subject to strict compliance of the C&D waste management rules, dust prevention/control norms including compliance with the directions of the commissions issued from time to time in this regard.	
(ii)	Other than the projects exempted under (i) above, dust generating/air pollution causing C&D activities to be strictly banned during this period shall include: - Earthwork for excavation and filling including boring & drilling works. - All structural construction work including fabrication and welding operations. - Demolition works - Loading & unloading of construction materials anywhere within or outside the project sites. - Transfer of raw materials either manually or through conveyor belts, including fly ash. - Movement of vehicles on unpaved roads. - Operation of batching plant. - Laying of sewer line, waterline, drainage work and electric cabling by open trench system. - Cutting and fixing of tiles, stones and other flooring materials. - Grinding activities. - Piling work. - Water proofing work - Painting, Polishing and varnishing works etc. - Road construction/repair works including paving of sidewalks/pathways and central verges etc.	SE, PWD, Churu Commissioner, NP, Churu Ex.En. GWD, Churu
(iii)	For all construction projects, non-polluting / non-dust generating activities such as plumbing works, electrical works, carpentry related works and interior furnishing / finishing / decoration works (excluding painting, polishing and varnishing works etc) shall be permitted to be continued.	SE, PWD, Churu Commissioner, NP, Churu
5.	Close down operations of stone crushers.	RM, RIICO,

		Churu Commissioner, NP, Churu
6.	School/coaching classes may take a decision on discontinuing physical classes in schools for children up to Class V and conducting classes in an online mode.	Principal Lohia College, Churu CDEO, Churu Principal Polytechnic College, Churu Principal ITI Churu All Private Coaching Institutions.

Further, citizens may be also urged to adhere to the citizen charter and assist in effective implementation of the GRAP measures aimed towards sustaining and improving the Air Quality in the city, as under:

1. Walk or use cycles for small distances.
2. Choose a cleaner commute. Share a ride or work or use public transport.
3. People, whose positions allow working from home, may work from home.
4. Do not use coal and wood for heating purpose.
5. Individual house owners may provide electric heaters (during winters) to security staff to avoid open burning.
6. Combine errands and reduce trips.

Severe + (>450 AQI)

In addition to the directions / instructions given for poor, very poor AQI, following more directions should also be followed strictly:

S.No.	Directions/Action taken	Agencies responsible / Implementing Agencies
1.	Stop entry of truck traffic into city (except for trucks carrying essential commodities/providing essential services and all LNG/CNG/electric trucks.)	SP, Churu DTO, Churu
2	Ban C&D activities also in linear public projects such as highways, roads, flyovers, overbridges, power transmission, pipelines etc.	SE, PWD, Churu Commissioner, NP, Churu

3	School/coaching classes may take a decision on discontinuing physical classes even for classes VI-IX and class XI and conduct lessons in an online mode.	Principal Lohia College, Churu CDEO, Churu Principal Polytechnic College, Churu Principal ITI Churu All Private Coaching Institutions.
4	Private offices to work on 50% strength and the rest to work from home.	All Private Agencies/ Companies

Further, citizens may be also urged to adhere to the citizen charter and assist in effective implementation of the GRAP measures aimed towards sustaining and improving the Air Quality in the city, as under:

1. Children, elderly and those with respiratory, cardiovascular, cerebrovascular or other chronic diseases to avoid outdoor activities and stay indoors as much as possible.
- Action under Stages II, III and IV of the GRAP shall be invoked at least three days in advance of the AQI reaching to the projected levels of that stage.
 - The Committee will also review the actions taken by various agencies responsible towards effective implementation of the GRAP.
 - The Committee may decide upon additional measures and exceptions to the schedule of the GRAP, under different air pollution categories i.e., Stages I to IV, as per the prevalent AQI and weather forecast.

जिले में आपदा राहत मद से उपलब्ध सामान की सूची

<u>क्र.सं.</u>	<u>सामान का नाम</u>	<u>संख्या</u>
01.	रोप	32
02.	लॉईफ बॉय	36
03.	लाईफ जैकेट	38
04.	सेफटी हेलमेट	35
05.	स्ट्रेचर फॉल्डिंग	32
06.	मेगा फोन	27
07.	कम्बल	32
08.	स्ट्रेचर स्पाईन बोर्ड फाईबर	02
09.	हैण्ड टूल सैट	01
10.	गम बूट	42
11.	फायर सूट	17
12.	रेस्क्यू नेट	04
13.	हैण्ड ग्लव्स	30
14.	गैस मास्क	30
15.	पीए सिस्टम	20
16.	इण्डस्ट्रियल सायरन	12
17.	हैण्ड ऑपरेटिंग सायरन	12
18.	हैलमेट	05
19.	हैलमेट विद टॉर्च	30
20.	ड्रेगन लाईट	25

चूरु जिले के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर

विभाग	नाम अधिकारी	पद	मोबाईल	कार्यालय
प्रशासन	श्री अभिषेक सुराणा, आई.ए. एस.,	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	8619730624	250806
	श्रीमती श्वेता कोचर, आर.ए. एस.,	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	9928663765	250594
	श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए. एस.,	अति. जिला कलक्टर, चूरु	9982767111	250918
	श्री संतोष कुमार मीणा, आर. ए.एस.	अति. जिला कलक्टर, सुजानगढ़	99506 40319	
	श्री भागचन्द खारिया, अति. चार्ज	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	9530167423	250432
उपखण्ड अधिकारी	श्री धीरज झाझड़िया, आर.ए. एस.	उपखण्ड अधिकारी, चूरु	9571074221	250425
	श्री मुकुल चौधरी, तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर	9982724580	224786
	श्री मिथलेश कुमार, आर.ए. एस.,	उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़	96941 80422	222023
	श्री मनोज खेमादा, आर.ए.एस.	उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़	97831 44708	222032
	सुश्री प्रियंका कड़ेला	उपखण्ड अधिकारी, तारानगर	6350003429	241222 241223(F)
	श्री ओम प्रकाश वर्मा, आर.ए. एस.	उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़	9460166117	225550
	श्री अमीलाल यादव, आर.ए. एस.	उपखण्ड अधिकारी, बीदासर	9828337205	263482
	श्री सुनील कुमार,	उप पंजीयक सुजानगढ़	9413892639	
उप पंजीयक	श्री रामकुमार पूनियां	तहसीलदार, चूरु	9461605765	250930
	श्री मुकुल चौधरी	तहसीलदार, सरदारशहर	9982724580	250930
	श्री विवेक चौधरी	तहसीलदार, रतनगढ़	9587115714	222094
	श्री कुलदीप सिंह	तहसीलदार, राजगढ़	9829904693	222306
	श्री यशवन्त मीणा	तहसीलदार, सिद्धमुख,	9414022572	
	श्री हनुमान सिंह	तहसीलदार, तारानगर	9772819144	240278
	श्री अर्जुनलाल सालोदिया	तहसीलदार, सुजानगढ़	9950249683	220094
	श्री प्यारेलाल चावला	तहसीलदार, राजलदेसर	6350352880	
	श्री इन्द्राज बारुपाल	तहसीलदार,	9414341935	263501

		बीदासर		
	श्री ओमप्रकाश	तहसीलदार, भानीपुरा	9414821657	
नायब तहसीलदार	श्री सुरेन्द्र कुमार	भू-अभिलेख, कलेक्ट्रेट	9929781978	
	श्री चुन्नीलाल,	उपखण्ड कार्यालय, चूरु	7976639962	
	श्री महेन्द्र गहलोत,	उप तहसील, दूधवाखारा	8005805286	
	पद रिक्त	नायब तहसीलदार, निर्वाचन कलेक्ट्रेट		
	श्री चन्द्रशेखर यादव	नायब तहसीलदार, साहवा	7015299871	
	श्री अनिल मीणा, अति. चार्ज	नायब तहसीलदार, राजगढ़	95710 87553	
	श्री हनुमान सिंह	नायब तहसीलदार, सिद्धमुख	79 7653 7103	
	श्री हनुमान सिंह, अति. चार्ज	नायब तहसीलदार, हमीरवास	79 7653 7103	
	श्री अनिल मीणा,	नायब तहसीलदार, ददरेवा	95710 87553	
	श्री किशनाराम पूनियां	नायब तहसीलदार, रतनगढ़	9982518073	
	श्री राजेन्द्र प्रसाद	नायब तहसीलदार, निर्वाचन रतनगढ़	9783023101	
	श्रीमती पूजा पारीक	नायब तहसीलदार, राजलदेसर	7020343060	
	श्री प्रहलाद पारीक	नायब तहसीलदार, भानीपुरा	9461110995	
	श्री बजरंग सिंह	नायब तहसीलदार तारानगर	9414397231	
	श्री प्रहलाद पारीक, अति. चार्ज	नायब तहसीलदार, सरदारशहर	9461110995	
	मोहम्मद असलम	नायब तहसीलदार, कातर छोटी	9414542386	
	श्री हरिशंकर पारीक	नायब तहसीलदार, सालासर	9413977279	
	श्री महेन्द्र भाम्भी	नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, तारानगर	8619462819	
रसद	श्री अंशु तिवाड़ी	जिला रसद अधिकारी, चूरु	88753 86734	250927
	श्री सम्पत्ति कुमार	प्रवर्तन निरीक्षक, चूरु	9828690625	
	श्री नरेश धानियां	प्रबंधक, खाद्य नाग. आपूर्ति नि.लि. चूरु	8764428537	
कोष कार्यालय	श्री प्रवीण सिंघल	कोषाधिकारी	8209034639	250230
	श्री रामस्वरूप शर्मा,	अति. कोषाधिकारी रि.	9460906014	250230

कलेक्ट्रेट	श्री पवन तंवर, अति चार्ज	उप विधि परामर्शी	9414327753	
	श्री मनीराम दनेवा	कार्यालय अधीक्षक	94135 87942	251322
DOITC/NIC	श्री देवेश अग्रवाल	डी.आई.ओ., एनआईसी	9414401859	252805
	श्री गिरधारी हुडा	ए.डी.आई.ओ., एन. आई.सी.	94269 75412	252805
	श्री नरेश कुमार छिंपी	उप निदेशक, ए.सी. पी.	9649447474	252783
पुलिस प्रशासन	श्री निश्चय प्रसाद एम, आई. पी.एस.	पुलिस अधीक्षक, चूरु (आईपी 25004)	8867225126	250804
	श्री सुनील कुमार, आर.पी.एस.	अति. पुलिस अधीक्षक, चूरु	9216963534 8764510301	250946
	श्री रिछपाल सिंह, आरपीएस	अति. पुलिस अधीक्षक, राजगढ़	9414019222 8764510302	223200
	श्री सतपाल सिंह, आरपीएस	अति. पुलिस अधीक्षक, सुजानगढ़	8290198555 8764510303	220102
	श्री गजेन्द्र सिंह, आरपीएस	वृत्ताधिकारी, चूरु	9414094798 8764873571	253456
	श्री गौरव खिड़ीया, आरपीएस	थानाधिकारी, कोतवाली, चूरु	7742466879 9530419401	250414
	श्री कुलदीप वालिया, आरपीएस	वृत्ताधिकारी, सरदारशहर	9413360909 8764873653	222100
	श्री अभिजीत पाटिल, आई.पी. एस.	सहायक पुलिस अधीक्षक, राजगढ़	721 876 2444 8764873570	223940
	श्री दरजाराम, आरपीएस	वृत्ताधिकारी वृत्त सुजानगढ़	9414359627 8764873450	221066
	श्री ईसार अली, आर.पी.एस.	वृत्ताधिकारी वृत्त रतनगढ़	9414313235 8764873828	222045
	श्री रोहित सांखला, आर.पी. एस.,	वृत्ताधिकारी वृत्त तारानगर	7976701396	240222
	श्री विजय कुमार, आर.पी.एस.,	वृत्ताधिकारी वृत्त बीदासर	9829597411	299360
	श्री महावीर प्रसाद	अति. पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी.	9468728774	250284
अभियोजन	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	उप निदेशक, अभियोजन, चूरु	99832 47901	
	श्री रोशन सिंह	लोक अभियोजक, चूरु	9414084007	
	श्री राजेश माटोलिया	अपर लोक अभियोजक, चूरु	9414254752	
विकास अधिकारी	श्री अशोक ढाका, अति. चार्ज	विकास अधिकारी, चूरु अति. विकास अधिकारी : 9784522711	8949452049 9530453045	250317 252746

	श्री रविन्द्र सिंह, सहा. अभि.	विकास अधिकारी, राजगढ़	95874 58776	222038 222289
	श्री गणेश कुमार जाखड़	विकास अधिकारी, सुजानगढ़	9414664395	220019 222418
	श्री महेन्द्र सोलंकी, सहा. अभि.	विकास अधिकारी, सरदारशहर 9530303694	8005536251	220050 221640
	श्री छगन लाल, अति. चार्ज	विकास अधिकारी, तारानगर	9116448121 9530303664	240236 240953
	श्री जगदीश प्रसाद व्यास	विकास अधिकारी, रतनगढ़ 9530303632	9414038694	222034 223892
	श्री रवि कुमार	विकास अधिकारी, बीदासर 9530303743	8302718510	263019
वाटरशेड	श्री महेन्द्र कुमार	अधीक्षण अभियन्ता	7891274892	254494
नगर परिषद् / नगरपालिका	श्रीमती अभिलाषा सिंह	आयुक्त, नगरपरिषद्, चूरु	9414854280	250318
	श्री वेदपाल सिंह	अधिक्षापी अभियन्ता, नगर परिषद्, चूरु		
	श्री मुकेश, कनिष्ठ अभियन्ता	अधिक्षापी अधिकारी, न.पा., रतननगर	77269 52050	281224
	श्री भवानी शंकर व्यास, स.ले. अ.-2	अधिक्षापी अधिकारी, न.पा., रतनगढ़	7014168093	222095
	श्री सीताराम मीणा, स.प्र.अ.	अधिक्षापी अधिकारी, न.पा. , राजलदेसर	97834 32796	232504
	श्री मगराज डूडी	आयुक्त, नगर परिषद्, सरदारशहर	9828103889	220030
	श्री अजय प्रताप सिंह	अधिक्षापी अधिकारी, न.पा. तारानगर	7014029064	240245
	श्री सत्यनारायण स्वामी	अधिक्षापी अधिकारी, न.पा. साहवा	9782198118	
	श्री के के छाबा	अधिक्षापी अधिकारी, न.पा., राजगढ़	9982355222	222039
	श्री महेन्द्र सिंह सुश्री चारवी, सहायक अभियन्ता 9636255777	आयुक्त, नगर परिषद्, सुजानगढ़	7742026629	220004
	श्री विकास शर्मा	अधिक्षापी अधिकारी, न.पा.छापर	6367807203	242099
	श्री द्वारका प्रसाद	अधिक्षापी अधिकारी, न.पा. बीदासर	92525 01259	262028
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद	डॉ. रमाकान्त वर्मा	प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, चूरु	94609 62020	251888

विद्युत विभाग	डॉ. दीपक चौधरी	अधीक्षक राज0 डी0बी0 हॉस्पिटल, चूरु	7726042150	
	डॉ. मनोज शर्मा,	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़, जिला चूरु	7014470590	
	पद रिक्त	उप मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी (स्वा.) , रतनगढ़ जिला-चूरु		
	डॉ. शशांक चौधरी	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वा0 अधिकारी, चूरु	89490 11750	
	डॉ. अहसान गौरी	अति0 मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी (प0क0) चूरु	6350178 682	
	श्री अजय शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, जोविविनिलि, चूरु	9413359747 7597191713	223725
	श्री सुनील सैनी	अधीक्षण अभियन्ता, राविप्रनिलि, रतनगढ़	72220 27933	223725
सार्वजनिक निर्माण विभाग	श्री भीम सेन स्वामी	अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त, चूरु	97845 62445	
	श्री रितिक सांखला	अधिशोषी अभियन्ता, खण्ड चूरु	98286 32739	222105
जलदाय विभाग	पद रिक्त	अति.मुख्य अभियन्ता, आपणी योजना, चूरु		251415
	श्री शरद माथुर	अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना	9414582485 9079027253	250223
	श्री आर.के. राठी	अधीक्षण अभियन्ता,	94148 36135	250223
	श्री सुशील कुमार	अधिशोषी अभियन्ता एवं तकनिकी सहायक	9783689638	250343
	श्री अनुराग शर्मा	अधिशोषी अभियन्ता (मोनेटरिंग)	9950074477	
	श्री आनन्द सिंह शेखावत	अधि. अभियन्ता, आईजीएनपी, तारानगर	90799 62435	248614
	श्री नथमल खैदर	अधिशोषी अभियन्ता, जल संसाधन सीकर	94142 85302	222212
	श्री लक्ष्मण सिंह	भू-जल वैज्ञानिक, चूरु	9057560506 9462361304	250920
महिला एवं बाल विकास विभाग	श्री सुभाष चन्द्र विश्मोई	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, चूरु	95870 15510	250920

	श्री राजेन्द्र शेखावत	सहा. निदेशक, महिला अधिकारिता, चूरु	9460240165	250915
शिक्षा विभाग	संगीता मानवी	संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु	9461165768	250439
	श्री संतोष महर्षि	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चूरु	9784788568 8619589200	
	श्री सज्जन सिंह सैनी	जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय माध्य) चूरु	94131 72606	252899
	श्री ओमप्रकाश प्रजापत	जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय प्राथ.) चूरु	9413743775 7014651781	250362
	श्रीमती मंजू शर्मा	प्राचार्य, लोहिया महाविद्यालय,चूरु	94146 65955	
	श्री श्रवण सैनी	प्राचार्य, विधि कॉलेज, चूरु	9414278556	250009
	श्री रतिराम जी	प्राचार्य, पोलीटेक्निक कॉलेज, चूरु	8209903783	
	सुश्री नेहा सैनी	प्राचार्य, आई.टी. आई., चूरु	9461674046	
	श्री ख्यालीराम, अति. चार्ज	प्राचार्य, आई.टी. आई., रतनगढ़	9351609622	253280
	श्री ख्यालीराम	प्राचार्य, आईटीआई, सुजानगढ़	9351609622	250236
	श्री कृष्ण सिंह चौहान	प्रींसीपल, केन्द्रीय विद्यालय, चूरु	9460843678 6376701747	224535
सूचना एवं जन-सम्पर्क	श्री सूर्यकान्त	सहायक निदेशक,	7597 788 666	
	श्री मनीष कुमार	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, चूरु	9587796780	
राज्य बीमा एवं भविष्य निधि	श्री सुनील धायल	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि	9587745873	
उद्योग	श्री नानूराम गहनोलिया	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चूरु	9414541261	
	सुश्री उजाला	सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चूरु	9654730449	
वन विभाग	श्री भवानी सिंह,	उपवन संरक्षक, चूरु	94143 19536	250938
	श्री मनीष पूनियां	सहायक उपवन संरक्षक, चूरु	95402 33567	
	श्रीमती क्रांति सिंह	सहायक उपवन संरक्षक, छापर	8053971185	250237
पशुपालन	डॉ. ओमप्रकाश,	संयुक्त निदेशक	94145 27112	
	मोहम्मद इरशाद खान	मत्स्य विकास अधिकारी, चूरु	9594458166	250395

कृषि एवं उद्यानिकी	श्री दीपक कपिला	संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, चूरु	9672986544 9414293544	
	पद रिक्त	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, चूरु		
	डॉ. राजकुमार कुल्हरि	परियोजना निदेशक, आत्मा प्रोजेक्ट	7877778049	
	श्री कुलदीप शर्मा	कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, चूरु	9928011666	250950
परिवहन एवं रोडवेज	श्री नरेश बसवाल,	जिला परिवहन अधिकारी, चूरु	94624 94740	
	श्री बजरंगलाल खीचड़	परिवहन अधिकारी, सुजानगढ़	94130 85176	253386
	श्री सुदीप शर्मा	मुख्य प्रबंधक, रोडवेज डिपो, चूरु	9549653218 9376239191	250904
	श्री मनीष कुमार	मैनेजर, ट्रेफिक, रोडवेज डिपो, चूरु	9549653219	220014
	श्री विक्रम सिंह सोलंकी	मुख्य प्रबंधक, रोडवेज, सरदारशहर	9549653231 8619799489	250307
आबकारी	श्री भवानी सिंह,	जिला आबकारी अधिकारी, चूरु	9413388999	250307
कृषि उपज मण्डी	श्री दयानन्द सिंह,	क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, बीकानेर		0151-2250939
	श्री पंकज शर्मा, अति. चार्ज	सचिव कृषि उपज मण्डी, चूरु	8058178581	
	श्री पंकज शर्मा, अति. चार्ज	सचिव कृषि उपज मण्डी, राजगढ़	8058178581	
	श्री पंकज शर्मा	सचिव कृषि उपज मण्डी, सरदारशहर	8058178581	
	श्री नरेन्द्र गौड़	सचिव, कृषि उपज मण्डी, रतनगढ़	8107607970	
	श्री सुरेन्द्र बांगड़वा, अति. चार्ज	सचिव कृषि उपज मण्डी, सुजानगढ़	90010 03514	
बैंक एवं वित्तीय संस्थान	श्री राहुल देव गोले	एल.डी.एम., बैंक ऑफ बड़ौदा, चूरु	8875001903 9967822978	251412
	श्री ओंकारमल सैनी	सहा. एल.डी.एम. बैंक ऑफ बड़ौदा,	9785141849	254606
	श्री मयूर सोलंकी	निदेशक, RSETI	98986 58911	238351
	श्री जी.एल निर्वाण	एजीएम ,नाबार्ड, चूरु	9041077591	250084
सहकारी समिति / बैंक	श्री मदनलाल	प्रबंध संचालक, सीसीसीबी, चूरु	7665001602	250433
	श्री कैलाश चन्द्र सैनी	उप रजिस्ट्रार, कोपरेटिव सोसा. चूरु	7023655951	250901
खेल एवं युवा	श्री सीताराम प्रजापत	जिला खेल	83026 32724	294282

मामलात		अधिकारी, चूरु		
	स्नेहलता	युवा समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र,	98683 75375	250909
स्काउट/गार्ड	श्री महिपाल सिंह तंवर	सी.ओ. स्काउट	8003097146	
	श्री ओमप्रकाश	सचिव, स्काउट, चूरु	89550 59804	
	श्रीमती सुभीता महला	सी.ई.ओ. गार्ड	8107467203	254635
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता / अल्पसंख्यक / बाल अधिकारिता	श्री के के चन्द्रवंशी	उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	93128 84432	
	श्री सत्येन्द्र पाल वीर	सहा.निदेशक, बाल अधिकारिता सम्प्रेक्षण गृह	94139 45863	250433
	श्री सत्येन्द्र पाल वीर	परियोजना प्रबंधक, अनुजा / जनजाति निगम	93128 84432	250586
	श्री राजेन्द्र शेखावत	अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	9460240165	250586
श्रम एवं रोजगार	श्री प्रशान्त झाझड़िया	श्रम कल्याण अधिकारी, चूरु	820 968 6455	
	श्री खेमचन्द	श्रम निरीक्षक, चूरु	9602560071	252021
	श्री दिनेश चौधरी, अति. चार्ज	जिला रोजगार अधिकारी, चूरु	99295 95103	252021
	श्रीमती सुशीला कटारा	सहा. जिला रोजगार अधिकारी, चूरु	9783991791	250403
आर्थिक, सांख्यिकी एवं आयोजना	श्री भागचन्द खारिया, अति. चार्ज	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी		250337
	श्री भागचन्द खारिया	मुख्य आयोजना अधिकारी	95301 67423	250994
सर्किट हाऊस पर्यटन	श्री राजेन्द्र महे	मैनेजर	9871367540	250994
	श्री देवेन्द्र झाझड़िया	उप निदेशक, पर्यटन झुंझुनू	9650784021	
सैनिक कल्याण	कर्नल अनिल पूनिया	जिला सैनिक कल्याण अधि०, चूरु	7607102222	
राजीविका	श्री भागचन्द खारिया, सीपीओ, अति. चार्ज	डी.पी.एम. राजीविका	9530167423	